राजस्थान विधान सभा

तृतीय बैठक, मंगलवार, दिनांक–१६ मार्च, सन् १६५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८. १४ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री।

प्रश्न संख्या १

तहसील आमेर व तहसील सवाई जयपुर के हाई स्कूल व मिडिल स्कूल

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

तहसील आमेर और तहसील सवाई जयपुर में कितने हाई स्कूल एवं मिडिल स्कूल हैं तथा वे कहां कहां पर चल रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (शिक्षा मन्त्री की ओर से)—सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इस सम्बन्ध की तालिका सदस्य महोदय को दे दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट देखिये)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—आ गई साहब।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जयपुर तहसील में कितने हाई स्कूल हैं ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—जो उत्तर दिया गया है सदस्य महोदय को उसमें बताया गया है कि कोई नहीं है।

श्री अर्जुनदास—Does the Hon'ble Minister not give a copy to the House ?

श्री अध्यक्ष—The purport of the question is not very clear.

श्री अर्जुनदास— The Hon'ble Minister has not given a copy of the statement to the House.

श्री भोगीलाल पण्ड्या—It was a long list. Therefore it was handed over to the Member.

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—अब सरकार कब तक खोलने का विचार कर रही है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या— अगली बार सोचा जायगा तो इसका भी विचार रखा जायगा।

श्री अर्जुनदास— Unless the House gets a copy of the reply, it is not possible for us to put questions.

श्री भोगीलाल पण्ड्या—If you like I can read out.

श्री अध्यक्ष—All members are not interested. It is a long list.

श्री अर्जुनदास— But we cannot ask supplementaries.

श्री अध्यक्ष—It is not necessary that supplementaries should be asked.

श्री अर्जुनदास— It is not necessary from the point of view of the Hon'ble Minister. But from our point of view, it is necessary.

श्री अध्यक्ष—I do not think. Next.

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री मनसाराम पुरोहित (सचिव, राजस्थान विधान सभा)—महोदय, मैं विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, सदन की मेज पर रखता हूँ :

"Bills assented to by the President.

1. The Rajasthan Jagirdars' Debt Reduction Bill, 1956.
2. The Rajasthan Cotton Ginning and Pressing Factories (Rajasthan Amendment) Bill, 1956.

Bills assented to by the Governor.

1. The Rajasthan Land Revenue Bill, 1956.
2. ... of Kotah Improvement (Amending and Validating) Bill. 1956.
3. The Rajasthan Agricultural Loans Bill, 1956.
4. The Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Bill, 1956.
5. The Rajasthan Gazette (Rajpatra) Bill, 1956.
6. The Rajasthan Excise (Second Amendment) Bill, 1956.
7. The University of Rajputana (Change of Name) Bill, 1956.
8. The Rajasthan Tenancy (Third Amendment) Bill, 1956.
9. The Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) Bill, 1956.
10. The Rajasthan Contingency Fund Bill, 1956.

[श्री सचिव, विधान सभा]

11. The Rajasthan Official Language Bill, 1956.

12. The Rajasthan Ministers' Salaries Bill, 1956.

13. The Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, 1956.

14. The Rajasthan Civil Courts Laws (Extension) Bill, 1956".

सदन की मेज पर रखे गये अन्तः सत्रकाल के अध्यादेश

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट । श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) अध्यादेश, १९५७

श्री भोगीलाल पण्ड्या—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ (अध्यादेश सं० १, सन् १९५७) को सदन की मेज पर रखता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

सदन की मेज पर रखी गई राजस्थान मोटर वेहिकल्स नियमावली, १९५१ के अन्तर्गत गृह विभाग की विज्ञप्तियें

श्री भोगीलाल पण्ड्या—अध्यक्ष महोदय, मोटर वेहिकल्स एक्ट, १९३९ की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत गृह विभाग (२) विज्ञप्ति सं० डी० ५४५९ एफ. १०(५)३ गृह २।५४, दिनांक १५–२–५६ व विज्ञप्ति सं० डी० १६३२। एफ १६ (४) (१) गृह २। ५६ दिनांक १५–१२–५६ की प्रतियां जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वेहिकल्स रूल्स, १९५१ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूँ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सिलसिले में एक आपत्ति करनी है । जो विज्ञप्ति अभी सदन की मेज पर रखी गई है उसमें पहले नम्बर की विज्ञप्ति में मन्त्री महोदय ने पढ़ कर सुनाया दिनांक १५–२–५६ । इसका तात्पर्य यह है कि विज्ञप्ति शाया होने के बाद इस विधान सभा का बजट अधिवेशन हुआ और उसके बाद एक और सिटिंग विधान सभा की हो चुकी परन्तु लगभग एक वर्ष से ज्यादा अवधि तक वह विज्ञप्ति सदन की मेज पर नहीं रखी गई । कानून के अन्दर यह है कि जितनी जल्दी सम्भव हो इस प्रकार की विज्ञप्ति जल्दी सदन की मेज पर रखी जानी चाहिये । अतएव मेरी यह प्रार्थना है कि आप मन्त्री महोदय से यह पूछें कि उन्होंने अथवा सरकार ने इस प्रकार कानून की अवहेलना क्यों की और १५–२–५६ की विज्ञप्ति इतनी देर से सदन की मेज पर क्यों रखी गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, जहां तक १५-२-५६ की विज्ञप्ति का संबंध है इस सिलसिले में कई बातें सरकार के ध्यान में थीं और रूल्स में कई संशोधन करने की बातें थीं, इसलिए यह समझा गया कि सारी की सारी विज्ञप्तियें साथ ही प्रकाशित की जावें। इसलिये १५-२-५६ और उसके बाद से १५-१२-५६ की विज्ञप्ति प्रकाशित हुई। यह आवश्यक था कि तरमीम शाया हो वह अच्छी तरह देख कर हो और जो कुछ हुआ है वह मोटर व्हिकल्स एक्ट की तहत में कानून के अनुसार किया गया है। यह तो एक फोरमल सी बात है। कई दिक्कतें थीं। ऑफिसरों के एपोइन्टमेंट की दिक्कतें थीं इसलिये यह टाइम लगा है।

(श्री हरिकृष्ण व्यास के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—Not satisfied ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Not at all, Sir.

यह संभव है कि कई चीजों पर विचार किया जावे, चाहें उन पर बार बार विचार किया जावे, चाहे हर बार उन पर विचार किया जावे यह सरकार के अधिकार की बात है कि उन पर विचार करे। मगर शाया करने के बाद उस पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सही है कि कानून के अनुसार उनको पुराने रूल्स में संशोधन करने का अधिकार सरकार को दिया गया है मगर यह अधिकार सरकार को इस पाबन्दी के आधार पर दिया गया है कि ऐसी विज्ञप्तियें यथाशीघ्र सदन की मेज पर रखी जावेंगी और उसकी मंशा यह है कि राज्य सरकार कोई भी संशोधन करे तो उसके तुरन्त बाद उसको सदन की मेज पर रखे। इसलिये जब विज्ञप्ति जारी हुई तो वह सदन की मेज पर नहीं रखी गई और १०-२० विज्ञप्तियां एक साथ सदन की मेज पर रखी जावें, ऐसा तो कोई कायदा नहीं है। क्योंकि प्रत्येक विज्ञप्ति की अलग हैसियत होती है और अलग कानूनी महत्व होता है। अतः १५-२-५६ की विज्ञप्ति को इतने दिनों से सदन की मेज पर क्यों रखा गया ? इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय संतोषजनक उत्तर न दें या उनका इस पर संतोषजनक उत्तर न आवे इसको सदन की मेज पर रखा गया नहीं माना जावे और जब संतोषजनक उत्तर आये तो इसको सदन की मेज पर रखा हुआ माना जावे।

श्री अध्यक्ष—Is it within my competence ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस पर सदन को अधिकार है कि इसके संबंध में कन्विंसिंग उत्तर मिल पाए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Is it at all necessary ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Why this particular notification was not placed ? This is the specific question.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939 provides that "every power to make rules given by this Act is subject to the condition of the rules being made after previous publication.

This will come into force only after its publication.

"All rules made under this Act shall be published in the official gazette and shall, unless some later date is appointed, come into force on the date of such publication.

(3) All rules made under this Act by the Central Government or by any Provincial Government shall be laid after not less than 14 days before the Central or Provincial Legislature, as the case may be, as soon as possible after they are made, and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the sesson in which they are so laid".

श्री हरिकृष्ण व्यास—सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष—आप इसका सारांश समझा दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आप इसमें किसी प्रकार का मोडिफिकेशन करना चाहें तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। यदि कोई किसी ड्राइवर के व्हिकल को डिटेन करेगा तो वह इसके लिये सर्टिफिकेट देगा। This is very formal.

श्री अर्जुनदास—Sir, I think the Hon'ble Minister has not tried to understand the point raised by my friend, Shri H. K. Vyas. Still I will request Shri Vyas to be charitable towards him. This is after all the last meeting and we may not meet again.

श्री अध्यक्ष—But his is also the last presence in the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, इसका कोई स्पष्ट उत्तर तो नहीं मिला है and I am quite willing to be charitable, but I do not think the House should encourage such mistakes.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

१५-२-५६ को विज्ञप्ति शाया हुई, वह तुरन्त सदन की मेज पर रखी जानी चाहिये थी। अब आप यह कहते हैं कि अगर मोडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर यह बात पहले भी थी। सरकार को चाहिये था कि वह अपनी भूल को स्वीकार करती। यहां पर इससे ज्यादा कोई दंड तो मिलने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

सदन की मेज पर रखी गई

राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा प्रतिबन्ध) विनियम, १९५१ के अन्तर्गत गृह विभाग की विज्ञप्ति

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा प्रतिबन्ध) विनियम, १९५१ में नियुक्ति (ए) विभाग विज्ञप्ति सं० डी ८३२० । ५६ एफ. १४ (४) नियुक्ति (सी) । ५१, दिनांक १८ दिसम्बर, १९५६ व सं० डी. ८४९५ । एफ. १४ (१) नियुक्ति (ए) । ५६ दिनांक २१ दिसम्बर, १९५६ द्वारा जो संशोधन किये गये हैं उनको मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

सदन की मेज पर रखा गया राजस्थान वित्त निगम का अंकेक्षा प्रतिवेदन

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त निगम की अंकेक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापन)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५७ को पुरः स्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—अब फिर बोलिये जो रह गया है।

Page No.8

सदन की मेज पर रखी गई राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत परिसीमन आयोग की आज्ञा

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ४७ के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में संसद तथा विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बन्धित परिसीमन आयोग की आज्ञा दिनांक १९ दिसम्बर १९५६ सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आर्डीनेन्स को पुरः स्थापित करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आर्डिनेन्स रख रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (एमेन्डमेंट) विधेयक, १९५७ को पुरः स्थापित करता हूँ।

श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव की प्रस्तुति एवं उस पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष—राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री नाथूराम मिर्धा यह प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को अभिनन्दन प्रस्तुत किया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय राज्यपाल ने कल इस सदन के समक्ष भाषण दिया था उस भाषण के सिलसिले में धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। माननीय राज्यपाल ने कल जो छोटा सा भाषण माननीय सदस्यों के सामने दिया है उसमें सिर्फ ५, ६ मुद्दों पर चर्चा की गई थी। सबसे पहले माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में इस बात की हमको याद दिलाई कि पिछले ५ वर्षों में राजस्थान में किस तरह विभिन्न इकाइयें थीं और वह किस प्रकार विभिन्न इकाइयों में बंटा हुआ था और इन सब इकाइयों को मिटा कर राजस्थान को एक बनाया गया। राजस्थान को एक बनाने के लिये बहुत सारी बातों को करने की आवश्यकता थी। अलग अलग रियासतों के अलग अलग कानून थे, अलग अलग रियासतों के अलग अलग राज्य चलाने के ढांचे थे, अलग अलग युनिट्स के अलग अलग कानून बने थे। इन सब रियासतों का एकीकरण करने के बाद में हमारे आम चुनाव हुए और इस सदन का निर्माण हुआ। इस सदन के माननीय सदस्यों ने पिछले पांच सालों में राजस्थान को आगे ले जाने के लिए, राजस्थान के जो अलग अलग कानून कायदे थे उनका एकीकरण करने के लिए बहुत से कानूनों का निर्माण

[श्री नाथूराम मिर्धा]

किया और इस सदन के जरिये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून बनाये गये हैं। राजस्थान की अलग अलग रियासतों के फाइनेन्सेज़ का अलग अलग तरीके का हाल था। बहुत सी रियासतों के बजट घाटे के बजट थे। राजस्थान बना, और राजस्थान बनने के बाद में आर्थिक समस्या भी इसके सामने आई। इस समस्या का भी बहुत अच्छे तरीके से हल किया गया। सम्पूर्ण राजस्थान का एक बजट बना और वह एक कल्याणकारी बजट बना। पिछले पांच वर्षों में जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उस योजना के जरिये हमारे राजस्थान के इलाकों को आगे ले जाने के लिए, राजस्थान की जनता का स्तर ऊंचा उठाने के लिए जो काम इस सदन ने किये हैं उनकी याद हमें माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में दिलाई है। राजस्थान के इलाके जो काफी पिछड़े हुए माने जाते हैं इनमें इन पिछले पांच सालों में बहुत काम हुए हैं। माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में डेवलपमेंट के सिलसिले में कुछ बातें कहीं, हालांकि उन्होंने इसके आंकड़े अधिक डिटेल्स में नहीं दिये और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि यह हमारे सदन का आखिरी सत्र है। लेकिन फिर भी जो माननीय सदस्य इस समय यहां उपस्थित हैं उनके सामने कुछ बातें कहनी ही होंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में राजस्थान की जो पहली पंच वर्षीय योजना थी उसको राजस्थान की सरकार ने इस सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग से बहुत ही अच्छी तरह से पूरा किया है और यह मानी हुई बात है कि राजस्थान पिछले पांच सालों में काफी आगे बढ़ा है। बहुत से जन कल्याणकारी काम राजस्थान के अलग अलग भागों में हुए हैं, लोगों की भलाई के लिए वास्तव में अनेक काम हुए हैं। भाखड़ा की नहर हमारे राजस्थान के चार जिलों में आई है, चम्बल बांध का काम बहुत तेजी से चल रहा है जिससे हमारे राजस्थान को बहुत लाभ होगा, जवाई बांध का काम भी पूरा हो चुका है और इस साल भी करीब पचास हजार एकड़ भूमि इस जवाई बांध से सिंचित हुई है। इससे राजस्थान में धान की पैदावार बढ़ी है और इसके अलावा बहुत सी जगहों पर बिजली भी लगाई गई है। बिजली का उत्पादन हमारे राजस्थान में पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ा है।

डेवेलपमेंट के सिलसिले में जैसा कि माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा है एक चौथाई हिस्से में हमने कम्युनिटी प्रोजेक्ट की योजना को राजस्थान में लागू किया है। यह योजना हमारे गांवों को काफी आगे ले गई है। इससे लोगों के दिलों में एक प्रकार की नई जागृति पैदा हुई है। जहां यह योजना लागू की गई है वहां तो सचमुच लोगों में नई जागृति का अनुभव होने लगा है।

इसी तरह से हमारे राजस्थान में जो पहली पंचवर्षीय योजना में सड़कों का टार्गेट था वह ठीक तरह से कामयाबी के साथ पूरा किया गया है। हमारे राजस्थान में पंच वर्षीय योजना में पहले पांच करोड़ रुपये की धन-राशि सड़कों के निर्माण के लिए रखी गई थी, लेकिन इस धनराशि के अलावा और पचास लाख रुपयों की रकम सड़कों के बनाने में लगाई गई, इस कारण सड़कें

[श्री नाथूराम मिर्धा]

हमारे राजस्थान में पिछले पांच सालों में काफी बढ़ी हैं और इन सड़कों के जरिए हमारे यातायात के साधन बढ़े हैं। हमारे राजस्थान के इलाके में काम और व्यापार के अन्दर अधिक तरक्की हुई है और लोगों में खुशहाली बढ़ी है। इस तरह से इस डेवेलपमेंट के सिलसिले में जमीन में अधिक सिंचाई हुई है और सड़कों का निर्माण हुआ है, लोगों के जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ज्यादा डिस्पेन्सरीज़ और शफाखानों की तरक्की हुई है, स्कूलों की संख्या में अधिक बढ़ोत्तरी हुई है एवं गांवों के अन्दर अनेक स्कूल खोले गये हैं। पांच सौ से ज्यादा की आबादी का कोई भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां के बच्चों को पढ़ाने के लिये स्कूल न हो। तो इस तरह से लोगों को सुधारने के लिए पिछले पांच सालों में काफी काम हुए हैं। इन्हीं डेवेलपमेंट की योजनाओं की तरफ माननीय राज्यपाल ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण प्वॉइन्ट जो माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में टच (touch) किया है वह है राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की सुव्यवस्था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय राजस्थान का निर्माण हुआ था उसके बाद से अब तक के समय में जो कुछ भी हुआ, तो इन पिछले पांच वर्षों के आंकड़े उठाकर अगर हम देखें तो पता चलेगा कि राजस्थान के निर्माण के पहले और उसके थोड़े दिन बाद तक इस राजस्थान में यह बड़ी ही गम्भीर समस्या थी कि लोगों को अपने जानमाल की चिन्ता लगी रहती थी और करीब करीब राजस्थान के लगभग सभी इलाकों में लोगों की जानमाल का पूरा खतरा था। कई डाकू अलग अलग जगह अपने गैंग्स को ऑपरेट करते थे। हमारे जोधपुर की तरफ पांच छः गैंग्स थे धौलपुर की तरफ गैंग्स थे और लोगों को बहुत परेशान किया करते थे। लोगों में जो राजनैतिक चेतना उत्पन्न हो रही थी उसको दबाने का काम इन गैंग्स ने किया। उसके बाद में कई तरह की डकैतियां हमारे अलग अलग क्षेत्रों में हुईं। परन्तु धीरे धीरे ज्यों ज्यों शासन-व्यवस्था इस सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग से राज्य सरकार ने संभाली, तो यह सिचुएशन ज्यादा काबू में आती गई। राज्य सरकार ने इन गैंग्स का लिक्विडेशन किया और स्थिति को काबू में लिया। कभी कभी जो थोड़े बहुत डाकू लोग बचे हैं वे राजस्थान के इलाकों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं और इसके लिए भी सरकार जागरूक है।

चुनावों के सिलसिले में माननीय राज्यपाल ने जो कहा कि यह जो हमारे देश का सबसे बड़ा काम था वह राजस्थान में भी हुआ। इसके लिए काफी मात्रा में सरकारी कर्मचारी काम पर लगाए गए। इस सिलसिले में माननीय सदस्यों के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे राजस्थान के एक इलाके में वारदात हुई। नागौर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में एक डकैती हुई और वहां चालीस-पचास हजार रुपये का नुकसान हुआ। हो सकता है कि इतना बड़ा राजस्थान राज्य है वहां एक वारदात हो जाय। हम कह सकते हैं कि शान्ति और सुव्यवस्था

[श्री नाथूराम मिर्धा]

के हिसाब से हम जरूर आगे बढ़े हैं और अब राजस्थान के लोगों को सच माने में अपनी जानमाल का इतना खतरा नहीं है जितना कि पिछले पांच सालों में हमें महसूस होता था। तो इस दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं और इसका जिक्र माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में भी किया है। माननीय राज्यपाल ने इसी ओर इशारा किया कि हमारे सामने यह समस्या थी और उस पर हमने ठीक तरह से काबू पाने की कोशिश की।

फेमीन रिलिफ के सम्बन्ध में जो कुछ काम करने जरूरी थे वे किये गये, जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जिक्र किया। कुछ गांवों में पिछली खरीफ की फसल फेल हो चुकी थी बरसात समय पर न होने के कारण, इस सम्बन्ध में जिक्र करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि १५४३ गांवों में लैन्ड रेवेन्यू सस्पेन्ड किया गया है और उन जगहों पर रिलीफ के काम शुरू हो गये हैं। मैं इस सम्बन्ध में इस समय सरकार के नोटिस में इतना ही लाना चाहता हूं कि कुछ इलाकों में रिलीफ के काम चालू हो गये हैं किन्तु ऐसे भी इलाके हैं जिनमें कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। जब आम चुनावों के सिलसिले में हम गांवों का दौरा कर रहे थे उस समय बहुत से लोगों ने यह कहा था कि हम बिल्कुल बेकार बैठे हैं, हमारे पास खाने पीने का ज़रिया नहीं है, अतः हमारे यहां रिलीफ के काम खोले जांय ताकि हमें रोजगार मिल सके। मेरा सरकार से इतना निवेदन है कि ऐसे इलाके जिनमें अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है वहां पर काम जल्दी शुरू करवाया जाय। अभी तक काम शुरू न करने की वजुहात यह भी मानी जा सकती हैं कि अधिकारी वर्ग पिछले दिनों आम चुनावों में व्यस्त थे इसलिये कुछ ऐसे इलाके रह गये हैं जहां काम शुरू होना चाहिये था, किन्तु नहीं हो पाया है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे इलाकों में जल्दी से जल्दी कार्य शुरू किये जाने चाहिये। जिन गांवों में अकाल है यहां पर रिलीफ के कामकाज देने की आवश्यकता है।

इसके बाद में जिस तरह से खरीफ की फसल फेल हो जाने के बाद में कुछ धान के भाव बढ़े थे उसकी रोकथाम करने के लिये भी सरकार ने कदम उठाया है। इस ओर भी इशारा माननीय राज्यपाल ने किया है। सस्ते अनाज की दुकानें कायम करके सिचुएशन को काबू में लाने की कोशिश की गई है जो वास्तव में सही कोशिश थी। इससे अनाज की कीमतों में काफी फर्क हुआ है जिसकी वजह से कुछ कस्बों में, बड़े शहरों में जहां सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई थीं वहां पर धान के भावों में आगे बढ़ोत्तरी नहीं हो सकी है, वे भाव रुक गये हैं। यहां तक भी देखने को मिला है कि कुछ जगहों पर तो भावों में गिरावट भी आ गई है। सरकार से मैं यह निवेदन करूंगा जहां इस प्रकार सस्ते अनाज की दुकानें खोलकर अनाज के भावों को गिराने की कोशिश की गई इस सम्बन्ध में और भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो हालात सामने आ रहे हैं उनकी ओर पूरी तोर से ध्यान

[श्री नाथूराम मिर्धा]

रखा जावे ।

श्रीमान् राज्यपाल ने अपने भाषण में इस बात का भी इशारा किया था कि इस सदन में ऐसे सदस्य भी हैं जो दुबारा इस सदन में नहीं आ सके हैं, ऐसे माननीय सदस्य जो आने वाले सदन में नहीं रहेंगे उनका जिक्र करते हुए माननीय राज्यपाल ने कहा कि उन माननीय सदस्यों ने जो तजुर्बा इन पांच सालों में हासिल किया है आने वाले पांच सालों में जहां कहीं भी वे रहें उस तजुर्बे का फायदा किसी न किसी तरीके से इस सदन को और राजस्थान सरकार को अपने सहयोग द्वारा पहुंचाते रहेंगे, इस प्रकार की आशा माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में व्यक्त की है । वे चाहें जिस क्षेत्र में या जिस इलाके में काम करें आने वाली द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जो बहुत से काम होने वाले हैं, पहली पंच वर्षी योजना से करीब करीब तिगुनी या चार गुना काम द्वितीय पंच वर्षीय योजना में होने वाला है, उस काम को पूरा करने के लिये इस सदन के सदस्यों का तो पूरा सहयोग सरकार को प्राप्त होगा ही किन्तु जो माननीय सदस्य इस सदन से रिटायर होने वाले हैं उनसे भी सरकार यह आशा करती है कि जहां कहीं भी वे रहें वे वहां के लोगों में इस बात की प्रेरणा और चेतना जागृत करें।जैसी कि पिछले पांच सालों में पैदा हुई है, जिससे उससे भी अधिक काम हो सके । उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने पांच साल में तजुर्बा हासिल किया है वे आने वाले सदन में भले ही न बैठें लेकिन जिस किसी भी क्षेत्र में काम करते हों उनका यह पहला फर्ज हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग हमारी सरकार को जन कल्याणकारी कार्यों में दें ताकि जिन जिन इलाकों में पंच वर्षीय योजना का असर होगा उसको पार उतारने के लिये, लोगों का जो सहयोग आवश्यक होगा उस सहयोग को दिलाने में उन लोगों में एक प्रकार की चेतना जागृत करने में, प्रेरणा पैदा करने में जो बातें आम लोगों के फायदे के लिये हों और जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, समाजवादी समाज की रचना की ओर बढ़ रहे हैं, उसे पूरा करने में जिस तरीके से भी हो सके सरकार को सहयोग मिलना चाहिये । सहयोग मिलता रहा तो हमारा प्रान्त तरक्की करेगा । माननीय राज्यपाल ने भी अपने भाषण में आशा व्यक्त की है कि वह जरूर मिलता रहेगा । इस प्रकार की आशा व्यक्त करना उनके लिये जरूरी था । वे आखिरी दफा उन तमाम सदस्यों से मिले हैं जो आने वाले सदन में नहीं रहेंगे । तो उनकी आशा को सही उतारना उन माननीय सदस्यों के लिये आवश्यक हो जाता है, उन सदस्यों का फर्ज हो जाता है कि भलाई के कामों में ज्यादा से ज्यादा वे सरकार को सहयोग दें ताकि राजस्थान की जनता आने वाले पांच सालों में उन्नति कर सके । यह आशा माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में जाहिर कर दी है । अब मैं माननीय सदस्यों का ज्यादा समय नहीं लूंगा जो थोड़ी सी बातें माननीय राज्यपाल ने कही हैं, उनमें जो सही दिशा बतायी गई है, उसकी रीति नीति के बारे में मैंने कुछ प्रकाश डाला है । इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा इस सब के लिये माननीय राज्यपाल को धन्यवाद दिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—आप प्रस्ताव पढ़ दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा—प्रस्ताव की कॉपी तो मेरे पास नहीं है।

(तत्पश्चात् एक अन्य माननीय सदस्य से लेकर)

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये जोकि उन्होने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत है।

श्री तेजमल बापना—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय राज्यपाल को धन्यवाद देने के सिलसिले में माननीय नाथूरामजी मिर्धा ने रखा है मैं उस प्रस्ताव के समर्थन में दो शब्द निवेदन कर देना चाहता हूँ।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में, जो जो काम पिछले पांच सालों में किये गये हैं, उनका संक्षेप में वर्णन किया है। विशेषकर मुझे तो राज्यपाल के वे शब्द वास्तव में बड़े अच्छे लगे हैं जो उन्होंने कहा है, "गांवों की जनता सदियों की गहरी नींद से जाग उठी है।" वास्तव में इन शब्दों में बहुत बड़ा तथ्य है। सदियों से जो गांव उन्नति के मायने में पिछड़े हुए थे वहां की आज यह हालत है कि जहां लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता था, मवेशियों को पानी नहीं मिलता था वहां आज यह हालत है कि जल बोर्ड द्वारा अच्छे अच्छे कुए खुदवा दिये गये हैं, मवेशियों को पीने के लिये अच्छा पानी मिलने लगा है। जो भूमि सदियों से सूखी पड़ी हुई थी, जहां गांवों के आदमी सैकड़ों की संख्या में भूखों मर रहे थे, जिनको खाने भर को नहीं मिलता था, जहां अनाज की कमी रहती थी, आज वहां पर तकावी के रूप में पैसा दिया जाकर, सिंचाई के लिये कुए व तालाब आदि का प्रबन्ध किया है, आज इस वजह से हजारों बीघा जमीन काश्त करने योग्य बन पायी है। इससे गाँव वालों को रोजी मिली है, वास्तव में यह एक विशेष वर्णनीय काम है।

इसके साथ साथ मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब से राजस्थान में जागीर पुनर्ग्रहण कानून लागू हुआ है, बहुत सी जागीरें ले ली गई हैं लेकिन आज भी उन जागीर क्षेत्रों में जो व्यवस्था है वहां के नागरिकों की यह हालत है कि वे अभी तक आराम की नींद नहीं सो रहे हैं। सरकार को यह अच्छी तरह से मालूम है कि जागीरों के पुनर्ग्रहीत होने के बाद में, इस प्रकार का कानून बन जाने के बाद भी पचासों ऐसे तालाब जिनसे सिंचाई होती थी, जिनसे जन साधारण, किसान को सिंचाई के लिये पानी मिलता था उनको क्षति पहुँची है, कइयों के खेत बरबाद हो रहे हैं इस पर थोड़ा नियन्त्रण सरकार द्वारा होना आवश्यक है।

इसके साथ साथ बहुत से ऐसे स्थान भी हैं जहां सिंचाई के साधन नहीं पहुंच पाये हैं।

[श्री तेजमल बापना]

मैं अभी अभी जिन जिन क्षेत्रों में घूमा हूँ, जो मेरे लिये एक नया क्षेत्र था, वहां पर कोटड़ी एक ऐसा कस्बा है जो एक तहसील है, वहां कोई तालाब ऐसा नहीं है जिस ओर अभी तक किसी ने ध्यान आकर्षित किया हो। वहां पर सैकड़ों बीघा जमीन ऐसी पड़ी हुई है जो नये सिरे से आबाद हो सकती है, उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

शिक्षा के बारे में वास्तव में प्रथम पंचवर्षीय योजना में काफी सुधार हुआ है, काफी स्कूल खुले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोटड़ी तहसील, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, उस तहसील में नन्दवा एक स्थान है जहां पर पचास वर्ष पहले से प्रारम्भिक पाठशाला चली आ रही है, वहां की जनसंख्या पांच हजार के करीब होते हुए भी वहां माध्यमिक पाठशाला नहीं हो सकी है और प्रारम्भिक पाठ-शाला की जो व्यवस्था है वह भी सन्तोषजनक नहीं है। इसके लिये मैं राजस्थान सरकार को दोष नहीं दे सकता। वहां से जो पहले चुनकर माननीय सदस्य आये हैं उनको यह चाहिये था कि वे गवर्नमेन्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो इलाके दरअसल में पिछड़े हुए हैं सिंचाई के माने में, रोड्स के माने में उस ओर ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिये। माननीय मुख्य मन्त्री कई दफा कोटड़ी पधारे हैं। वहां पर तहसील हैडक्वार्टर होते हुए भी

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और आस पास में कोई बड़ी शिक्षण संस्था न होते हुए भी वहां हाई स्कूल का कोई प्रबन्ध न हो सका, जब कि तीन साल पहले माननीय मुख्य मन्त्री महोदय वहां पधारे थे और उन्होंने इस आशय का आश्वासन भी दिया था। पर आज भी वहां के लोग उस आश्वासन की पूर्ति की इन्तजार में बैठे हैं। लिहाजा उम्मीद है कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय एवं राजस्थान सरकार शीघ्र ही शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

माननीय राज्यपाल ने लॉ और ऑर्डर के बारे में भी कुछ शब्द कहे हैं। वास्तव में आज सही माने में जनता को कुछ आराम महसूस हो रहा है। यह वस्तु-स्थिति है। आज से पांच साल पहले जब हम इस सदन में एकत्रित हुए थे तो लोगों में बहुत बड़े आतंक की भावना थी, लोग परेशान थे, जगह जगह से सुनाई पड़ रहा था कि फलां जगह डाका पड़ा है, फलां जगह कत्ल हो गया है, चोरी हो गई है, लूटपाट हो गई है। पर आज हम आराम की नींद में हैं, जनता को आज आराम है और विश्वास है कि उनकी जान और माल अब सही माने में सुरक्षित है। तो यह काम भी वास्तव में बड़ा प्रशंसनीय है।

[श्री तेजमल बापना]

सारे राजस्थान में पहले अलग अलग जगहों के अलग अलग कानून-कायदे थे, अलग अलग खर्चे और आमदनी थी। उनका एकीकरण वास्तव में बड़ा कठिन काम था, पर राजस्थान सरकार ने बहुत बुद्धिमानी से इसे भी हल किया है। इसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिये।

किसानों के सम्बन्ध में जो कानून बने हैं मैं उस सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, विशेषकर टिनेन्सी एक्ट के बारे में। कानून बनाया गया है कि छठे बांटे से ज्यादा लाटा न किया जावे। पर बहुत सी जगह आज भी आधा और तिहाई बांटा जबर्दस्ती लिया जाता है। किसान शिकायत करते हैं पर उस पर कुछ सख्ती से अमल नहीं होता है और कानूनों से सही माने में राहत किसानों को, गरीब आदमियों को नहीं मिल रही है जो कि मिलनी बहुत आवश्यक है।

सामुदायिक विकास खण्ड और राष्ट्रीय विकास सेवाओं का काम वस्तुतः प्रशंसनीय है। मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। भीलवाड़ा जिला इस माने में वास्तव में पिछड़ा हुआ है। आज एक हिस्सा पश्चिम का और एक हिस्सा पूर्व का जो विकास सेवाओं से थोड़ा बहुत मिलाया गया है वह भी बढ़ा कर आगे के बाकी हिस्सों से मिला दिया जावेगा, ऐसी मैं शीघ्र ही उम्मीद करता हूँ।

इसके अलावा मैं एक खास बात की ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। राज्यपाल महोदय ने सस्ते अनाज की दुकानें खोलने की बात का जिक्र किया है। यह वस्तु-स्थिति है कि अनाज की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और इस पर नियन्त्रण करने की सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन मेरे खयाल से बहुत सी जगहों पर तो अभी सस्ते अनाज की दुकानें खुली भी नहीं हैं, और जहां खुली भी हैं वहां भी अव्यवस्था की बहुत बड़ी बड़ी शिकायतें हैं। उदाहरण के तौर पर भीलवाड़ा जिले की बात कहना चाहता हूं। वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार उधर भी ऐसी व्यवस्था करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

इसके अतिरिक्त मैं विशेष ध्यान इस सदन का इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम जिस तरह से गत पांच सालों में उन्नति की ओर द्रुत गति से बढ़े हैं आइन्दा भी उसी रफ्तार से बढ़ते रहें और इस ओर प्रयत्नशील रहें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।

किसानों को आज जंगलात सम्बन्धी कठिनाइयां भी हैं। राजस्थान सरकार का कानून स्पष्ट है कि किसान अपने खेत से काम के लिये लकड़ी ले सकता है। लेकिन आज भी उनको काफी परेशान किया जाता है, उसे अपने काम के लिये भी लकड़ी नहीं लेने देते। इस मामले में छोटी छोटी बातों को लेकर उन पर मुकदमे भी लगा दिये जाते हैं जिससे वे परेशान रहते हैं। पत्थर के लिये भी यही हाल है। चूना बनाने के लिये साधारण पत्थर भी आसानी से नहीं मिलता, रेत

[श्री तेजमल बाफना]

सक पर टैक्स लगा दिया है। आज पंचायतें बनी हुई हैं और उनके काम चलाने के लिये पंचायत विभाग ने अलग अलग पंचायतों को अपनी आमदनी के जरिये बनाने के लिये टैक्स लगाने के सुझाव दिये हैं। लेकिन बहुत सी पंचायतों ने वहां के जन-साधारण की स्थिति को देखे बिना ही कई तरह के टैक्स उन पर लगा दिये हैं। देखने को तो समझदार आदमी कह देते हैं कि ये टैक्सों की यह सब आमदनी पंचायतों को ही मिलती है पर जन-साधारण जो कि शिक्षित नहीं है वह वास्तव में इन टैक्सों के लिये सरकार को ही दोष देता है। तो मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि टैक्स न लगाये जावें पर जन साधारण की स्थिति को देखकर, जैसा वे बरदाश्त कर सकें, वैसा टैक्स लगाया जाना चाहिये। तो जो सामुहिक टैक्स लगाये गये हैं उनमें संशोधन करना वास्तव में जरूरी है।

अब मैं आपका अधिक समय न लेते हुए माननीय श्री मिर्धाजी ने जो राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रक्खा है उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल महोदय ने कल अपना अभिभाषण देकर हमें पिछले पांच सालों के कार्यों का सिंहावलोकन करने का जो अवसर प्रदान किया है उस अवसर प्रदान करने के लिये यदि धन्यवाद देना है तो इसमें मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन इन पांच वर्षों में जो कार्य–कलाप उधर से हुआ है और जो नीति सरकार द्वारा अपनाई गई है वह कोई धन्यवाद देने लायक है, मैं ऐसा नहीं समझता।

आज से पांच वर्ष पूर्व जब हम यहां आये थे उस समय सरकार की हमारे प्रति एक नीति थी कि भर–पेट जिस तरह हो सके विरोधी दल को कोसा जावे और उस पर हावी हुआ जावे। मैं तो यहां तक कहूँगा कि मन्त्री महोदयों तक ने भी विरोधी दल को डाकुओं से सांठ-गांठ करने वाला प्रतिक्रियावादी कहा और उन्होंने यहां तक कहा कि हममें से बहुत से ऐसे होंगे जिनकी डाकुओं से सांठगांठ है और उनसे सम्बन्ध हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में भी मैं तो बधाई विरोधी दल को ही दूंगा कि जिन्होंने साहस का परिचय दिया है। हम तो जानते हैं कि जो सरकार आज बनी है वह बाहर जाकर क्या करती है, बाहर आचरण उसका क्या रहता है, जो बाहर रवैया रहता है वही का वही भीतर रहेगा और वैसा ही कहेंगे। बाहर-भीतर उसमें परिवर्तन नहीं होता। बाहर जहां भी यह बात कहते हैं, हम लोग जो विरोधी दल के हैं, कांग्रेस के विरोध में या सरकारी पार्टी के विरोध में जीतकर आते हैं या उनके सामने राजनैतिक क्षेत्र में आते हैं उनके सामने सिवाय इसके कि ये अप्रजातान्त्रिक हैं, सामन्ती तत्व हैं, जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं, इन्होंने तो जनता का शोषण किया है सरकार के पास और कहने को कुछ नहीं है। लेकिन समय आगे बतायेगा कि एक दल विशेष ने सत्ता प्राप्त कर ली है, जनता उसको चाहती है या नहीं, यह

[श्री तनसिंह]

परिस्थिति आ सकती है कि आज का सत्तारूढ़ दल है वह कल नहीं होगा और यह कहना कि जनता की सेवा हम ही कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते, ऐसी बात असम्भव है।

इतना होते हुए भी यहां जो भी बिल आये, जो भी कानून पास करने के लिये यहां आये, राज्यपाल महोदय ने बताया कि हमने उनके लिए उदारता से समय दिया है। मैं समझता हूं कि जितनी राज्यपाल महोदय ने कहा उससे उदारता कहीं अधिक उदारता हमने बताई, प्रत्येक कानून के लिए अंगूठा चेपने में कसर नहीं रखी, जो भी कानून आया उसको पास किया। लेकिन खेद है कि एक ही कानून को एक नहीं कई बार एक हो वर्ष में पलटना पड़ा। यहां बहस हो सकती है और यहां तक कि किसी किसी बात को लेकर और उसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर बढ़ने की बात भी आयी। किन्तु वे ही कानून वापिस लाये गये, जब उनको कसर दिखायी दी, लेकिन उनको पास किया और उनको एक नहीं कई बार और मैं तो यहां तक कहूंगा कि एक एक कानून को पांच-छः बार उनको परिवर्तित करना पड़ा। इसका कारण यह है कि पहले के कानून के लिए यह कहा गया कि हम इनके द्वारा जनता का भला कर रहे हैं, दुनिया को बता दें कि यह किया है लेकिन उसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं की और जो कठिनाइयां आने वाली हैं उनको देखा नहीं गया। इसी कारण से यह देखा गया कि किसी किसी कानून को चार-पांच बार बदलना पड़ा।

जिस कानून के लिए राज्यपाल महोदय ने विशेष रूप से सदन का ध्यान आकर्षित किया है वह विशेष रूप से राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम और टिनेन्सी बिल के लिये कहा था। मैं तो कहता हूं कि कानून पास करना आसान है और मैं यह कहता हूँ कि कोई सिरफिरा आदमी कानून पास करता है कि प्रत्येक आदमी को यह हुक्म दिया जाय कि बजाय पैरों के हाथ पर चलें, लेकिन ऐसा कानून नहीं चल सकता है। ऐसे बहुत से कानून हैं और उनके लिये बधाई के पात्र बनाना चाहते हैं और यह कहें कि ये जनता के हित में और उनके हित में पास कर दिये गए हैं, भले ही यह कहा जाय लेकिन वास्तविक रूप में जिन कानूनों के सम्बन्ध में कठिनाइयां आयी हैं और जैसा कि राज्यपाल महोदय ने कहा है, उनको पूरी तौर पर देखा नहीं गया है, राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम का ढोल पीटा जाता है और कहा जाता है कि इससे जनता का हित और विधान के इतिहास में यह स्मरणीय घटनायें हैं। मैं मानता हूं कि ये विधान सभा के इतिहास की स्मरणीय घटनायें हैं लेकिन उसके लिये इस सरकार को श्रेय नहीं मिल सकता क्योंकि इसका आचरण कराने में सरकार ने जो किया है हम मानते हैं वे ऐसे थे कि उससे कटुता का वातावरण बना और जो उद्देश्य था उन कानूनों का उनसे हम दूर भागते गये। जागीर अधि-नियम के अन्तर्गत जो लायबिल्टीज़ थीं वे सरकार ने नहीं लीं बल्कि जो असेट्स थे वे ले लिये। सरकार ने जागीरें रिज्यूम कर लीं लेकिन जो सरकार पर कर्तव्य आये थे, जो काम उसे दिये गये थे वे भी पूरे नहीं हुए। जागीरदारों के पुनः स्थापन के विषय में जो समस्यायें हैं वे भी अनिर्णीत हैं

[श्री तनसिंह]

और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो यह समस्यायें अनिर्णित रहेंगी। जिस बदले की भावना से काम लिया गया वह जनता को खुशहाली, सुख, शान्ति और बहतरी के लिये शोभा जनक नहीं है। हो सकता है कि इससे बहुत से लोगों का हित होता हैं लेकिन मैं फिर भी यह निवेदन करूंगा कि कुछ लोगों के हित बढ़े हैं, कुछ लोगों के जायज़ हितों की हत्या करके कुछ लोगों के हित में फैसले किये हैं, यह जनता के लिये शोभादायक चीज़ नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आयन्दा कानून बनायें तो उनमें जो पेचीदगियां हैं उनका ध्यान रखें और मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनको सद्भावना और समता की दृष्टि से काम में लाना चाहिए।

विकास कार्यों के लिए राज्यपाल महोदय ने बताया कि इसमें बड़े वेग से काम हो रहा है। लेकिन जहां तक सरकारी नीति का प्रश्न है मैं यह निवेदन करूंगा कि उन विकास कार्यों में भी सरकार की एक निश्चित नीति रहती है और वह नीति यह है कि कुछ विशेष क्षेत्रों में जहां से सरकार की पार्टी के कुछ लोग आए हों, जहां सरकार के अपने आदमी थे, जहां इन चुनावों में मतदान अपने पक्ष में होने की आशा थी, उन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू किये और उन्हीं क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों में पैसा लगाया। अगर यह उद्देश्य न होता तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सिंचाई के बांध वहां बांधे जा रहे हैं, जहां पीने के पानी की बहुतायत है, हरे भरे और चमन क्षेत्र हैं। मैं यह नहीं कहता कि आराम से रोटी क्यों खायें पियें, मैं ईर्ष्या नहीं करता लेकिन एक ओर सिंचाई के लिये बांध बन रहे हैं तो दूसरी ओर लोगों के लिये पीने का पानी भी नहीं है। ऐसे क्षेत्र हैं जहां पीने का पानी नहीं है और एक ओर सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। मैं मानता हूँ कि अन्न एक आवश्यक वस्तु है लेकिन पीने के लिये पानी पहली आवश्यक चीज है। आदमी अन्न के बिना एक-दो दिन रह सकता है लेकिन पीने के पानी के बिना एक दो दिन रहना कठिन हैं। जो कुछ रुपया विकास कार्यों में खर्च किया जा रहा है उसका एक शतांश भी अगर पीने के पानी के लिये खर्च किया जाता तो मैं आभारी होता और उम्मीद करता कि हमारे इलाकों की ओर भी सरकार ने ठंडी निगाह डाली है। जो जल बोर्डों के द्वारा खर्चा करने की योजना बनाई गई, तो मुझे खेद है कि उसमें भी सरकार की वही नीति काम कर रही है। मैं तो बड़े खेद के साथ यह अर्ज करूंगा कि जहां यह रुपया दिया गया है वहां पर करप्शन फैला हुआ है, लोगों ने पर्सेन्टेज़ बना लिए हैं और कहीं कहीं विरोधी दल के एम. एल. एज़ को जिला जल बोर्ड का सदस्य बनाना था, तो मैं अपने ही क्षेत्र के विषय में निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि तीन वर्ष हुए मुझे इत्तला नहीं है कि जिला बोर्ड की मीटिंग हुई, सूचना तक नहीं दी जाती। जब पहले सूचना दी जाती थी तो मैं उन स्थानों का दौरा करता था और मालूम करता था कि जितना रुपया दिया गया है वास्तविक रूप में वे काम में आये या नहीं। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि यह कार्य ऐसे हैं, हमारे मार्ग में कांटे आ रहे हैं तो उन्होंने इत्तला देना भी बन्द कर दिया। मेरे जैसे अनेक लोगों को इस प्रकार की कठिनाइयां हैं। जो लोग जनता की सेवा में दिलचस्पी रखते हैं उनको उनमें लिया जाय, लेकिन केवल कांग्रेस ही ऐसी संस्था है जो

[श्री तनसिंह]

जनता की सेवा में दिलचस्पी रखती है और कोई नहीं, मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। आज भी कांग्रेस के विरोध में जनता बहुमत में है और वह विरोध बढ़ता बढ़ता इस हद तक बढ़ सकता है कि जिससे इस सरकार को अपनी यही स्थिति बनाये रखने में कठिनाई हो। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात है इस विकास के सम्बन्ध में और वह यह है कि हमारी विकास योजना भौतिक विकास की ओर जाती है, हमारे इस प्रदेश की जो संस्कृति है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया और अगर उत्पादन ही बढ़ता जावेगा और आवश्यकता कम करने के लिए आवश्यक साधन प्राप्त नहीं होंगे और केवल उत्पादन की होड़ बढ़ती जावेगी तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। मनुष्य के पास आज १००) रु० हैं और वह कल चाहेगा कि उसके पास १००) रु० और आ जाएं। इस प्रकार उसकी लालसा, उसकी तृष्णा, कभी मिटने की ही नहीं है। लेकिन आज एक पक्ष को देख कर दूसरे पक्ष को नज़रअन्दाज़ करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि रोटी की आवश्यकता है। हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं उनके बिना हम जी नहीं सकते हैं, वे जीने की आवश्यकताएं हैं उनके बिना रहा नहीं जाता, लेकिन इस प्रकार के शिक्षण की भी आवश्यकता है कि जिससे हम अपनी आवश्यकताएं कम करें। हम अपने जीवनस्तर को आगे नहीं बढ़ने दें फिर हमारे देश के उत्पादन को भी आगे बढ़ाए और यही कारण है कि अन्यथा हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी।

विकास के कार्यों के लिए यदि कहीं कहा जाय कि केवल सिंचाई के लिए जल की बहुतायत हो और खेती के साधनों का बाहुल्य हो और इनके अलावा कुछ मनोरंजन के साधन प्राप्त किये जायं, तो केवल यही विकास नहीं हो सकता। केवल कुछ स्कूलों का निर्माण कर दें, साथ ही साथ वही की वही शिक्षण पद्धति चलती रहे, तो ज्ञान की पिपासा, मनुष्यों में त्याग सिखाने की बात वास्तव में नहीं हो सकती, और बिना इसके आगे बढ़ते भी जायेंगे तो मैं समझता हूं कि वह भूख कभी मिटने की नहीं है।

इसके बाद राज्यपाल महोदय ने डकैतियों के बारे में इशारा किया। मैं तो आज भी यह सुनकर हैरान हुआ जब कि प्रस्तावक महोदय ने आज जाते जाते भी यही कहा कि पहले जो डकैतियां हुई थीं, वे राजस्थान में जो राजनैतिक जागृति हुई थी उस जागृति को दबाने के लिए की गई थीं। वह ऐसा कह रहे हैं मानों इन डकैतियों तथा राजस्थान में सब चोरियों के पीछे एक निश्चित् योजना थी। वह सारा एक योजनाबद्ध काम था। पहले भी इस विषय में बहुत बार वाद-विवाद हो चुका है और उनको कई बार निरुत्तर भी कर दिया गया है, लेकिन उनकी तो आदत पड़गई है कि वे इसको राजनैतिक जागृति के कारण और उस जागृति को दबाने के लिए यह किया गया है, बता रहे हैं। मैं खेदके साथ कहना चाहता हूंकि उनका यह आर्ग्युमेंट बहुत पुराना है, वे इस आर्ग्युमेंट को बदल दें। मैं भी पूछना चाहता हूं इस धर्मनिरपेक्ष सरकार से गोविन्द देवजी के मंदिर की चोरी के बारे में।

[श्री तनसिंह]

क्या वह चोरी-निरपेक्ष सरकार हो गई है ? यदि आप जानते हों तो मैंने गृह मंत्री महोदय से पिछली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद करते समय निवेदन किया था, उन्होंने क्या किया ? मनुष्यों की चोरी, मंदिरों की चोरी में कोई अन्तर नहीं है। अथवा क्या इसके विषय में सरकार की कोई विशेष नीति है ? ऐसी ही आपकी पुलिस की कामयाबी है ? यदि आपकी पुलिस बहुत जागरूक है तो आपकी नाक के नीचे जयपुर में, राजस्थान की राजधानी में, इस प्रकार की चोरी हो और वह भी १-२ रुपये की नहीं परन्तु लाखों रुपयों की चीजों की चोरी हो और उसमें भी एक दो नहीं, ढाई-तीन हजार व्यक्तियों के साथ मारपीट की जाय और तफ्तीश की जाय, तो मैं क्या कहूँ कि आपकी कितनी काबिल पुलिस है ? इसके संचालन में हमारे यहां किस प्रकार से शान्ति और व्यवस्था बनाई जा सकती है ?

इसके बाद राज्यपाल महोदय ने चुनावों के सिलसिले में भी कुछ बातें कहीं। मैं समझता हूं कि इस विषय में बहुत से अपवाद हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिन तथ्यों और जिन आंकड़ों को लेकर इस विषय में कहूंगा। जो कुछ भावना निष्पक्षता और जिम्मेदारी की और जो चुनाव में कार्य संचालित किया गया है मैं समझता हूं कि यह एक विवादास्पद प्रश्न है। हो सकता है कि कहीं किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की निष्पक्षता बरती भी हो, लेकिन ऐसे उदाहरण भी हैं, ऐसे अपवाद भी हैं, बहुत से हैं; जहां पर कि कई लोगों ने जो कि सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने बहुत आगे आगे बढ़ बढ़ कर सरकारी पक्ष यानी सरकारी पार्टी को चुनाव में मदद देने में कोई कसर नहीं उठा रखी। इस विषय में यहां कहने की अपेक्षा आने वाली विधान सभा में यह मौका दिया जाय और उसमें मैं विस्तार से यह कहूंगा कि इन चुनावों में भी, मैं मानता हूं पिछले चुनावों में जितना पक्षपात था उससे अधिक नहीं तो उससे ज्यादा कम भी नहीं हुआ है। हो सकता है कि किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं हो लेकिन ऐसी शिकायतें नहीं हैं या ऐसी बात नहीं हुई है, यह बात नहीं है। मैं मानता हूं कि जो योग्य कर्मचारी थे उन्होंने इस प्रकार की निष्पक्षता को रखा हो और चुनाव को ठीक रूप से चलाने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखी हो, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सर्विसेज़ के अन्दर, हमारे कर्मचारियों में अभी तक एक बात तो है ही कि वह अपने आपको एक प्रकार से असुरक्षित समझते हैं और असुरक्षित समझने के कारण अनावश्यक रूप से सरकार को प्रसन्न करने के लिए, सत्तारूढ़ दल को प्रसन्न करने की चेष्टा किया ही करते हैं और उनके द्वारा इस बात के प्रयास किये जाने में किसी के साथ में न्याय अन्याय हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करे। सरकार दबाव न डाले। सरकार काम निकलवाने की कोशिश न करे। इसलिए मैं समझता हूं कि चुनाव में पक्षपात का जितना उत्तरदायित्व सरकारी कर्मचारियों पर है उससे अधिक उत्तरदायित्व हमारी सरकार पर भी है। सत्तारूढ़ दल का यह प्रयास होना चाहिए। यह जनतन्त्रवाद के जमाने की बात है। पहले जो चुनाव था वह प्रारम्भिक चुनाव था, उसमें गलतियां हो सकती थीं लेकिन इस चुनाव में ऊंचे दर्जे की योग्यता और निष्पक्षता रखनी

[श्री तनसिंह]

थी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इस समय मुझे यहां कहने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी कहना है उसके लिये आने वाली विधान सभा में और आने वाली सरकार के सामने छूट रहेगी।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूँ।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष राजपाल महोदय ने जो अभिभाषण पेश किया है और जिसके अन्दर हमारी सरकार की पांच वर्षों की कामयाबियों का जिक्र किया गया है उसके लिए मैं यह मानता हूं कि सरकार वाकई में बहुत ही बधाई की पात्र है। क्यों नहीं ? सन् ५२ के चुनाव में जब यह सरकार बनी थी वह चाहे सरकार हमारे वर्तमान माननीय मुख्य मन्त्रीजी की हो, चाहे श्री टीकारामजी पालीवाल की हो, या और किसी व्यक्ति की हो, लेकिन वह उसी पार्टी की सरकार की थी। उस समय राजस्थान के अन्दर जौ का भाव ५ सेर या ६ सेर के बीच में था। उपाध्यक्ष महोदय, इससे अधिक कामयाबी और सफलता की क्या बात हो सकती है कि आज ५ वर्षों के अन्दर वह भाव गिरते गिरते ढ़ाई सेर तक पहुंच गया है। मैं मानता हूँ कि अगर यही हमारे बधाई देने का नापतौल है तो हमारी सरकार से अधिक राजस्थान में तो क्या, दुनिया के अन्दर कोई सरकार नहीं हो सकती कि जिसको बधाई न दी जाय। क्या कहना है ? एक तरफ तो ६ सेर का भाव गिरते गिरते ढ़ाई सेर पर आगया और हमारे राज्यपाल महोदय कहते हैं कि यह तो बहुत थोड़े समय के लिए है। यह तो फिर बढ़ा दिये जायेंगे। बढ़ किस दिन जायेंगे ? यह शायद जमाना बतायेगा। आज रफ्तार इस प्रकार से चल रही है कि आने वाले ५ वर्षों के समय में जौ नसीब भी नहीं होगा। एक तरफ यह कहा जाता है कि सरकार ने बहुत कुछ किया है। अगर यह बात देखी जाय तो हमारी सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो सबसे अधिक खर्चा किया है वह सिंचाई की मद पर किया है। सिंचाई के लिए कहा जाता है कि बड़े बड़े बांध बनाये हैं, हम पांच वर्षों के अन्दर बहुत बड़ी बड़ी नहरें लाये हैं राजस्थान के अन्दर, हमने राजस्थान को लहलहाता हुआ बना दिया है। क्या कहना है ? आपने राजस्थान में जौ और गेहूं इतनी अधिक मिकदार में पैदा कर दिया है कि भाव दुगुना हो गया है। जौ और गेहूं ६ सेर और १२ सेर के थे और आज किस भाव बिकने लगे हैं ? मैं कहता हूं कि उस समय हमारे देशी हिसाब से ६ सेर पक्के तोल के बिकते थे और आज ६ सेर के कच्चे तोल से भी नसीब नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं हम इसके लिये मुख्य मंत्री जी को बधाई दें ? और क्यों नहीं उनके पास बैठे हुए अपनी जीत से मदहोश भूतपूर्व खाद्य मन्त्री जी को बधाई दें ? मैंने भूतपूर्व खाद्य मंत्री जी से कहा है क्योंकि खाद्य का महकमा उन्होंने अपने पास बहुत दिन तक रखा था। लोगों की जान जाती है, पर कोई सुनने वाला नहीं है और कोई सुनते भी हैं तो कहते हैं कि जौ तो हमारे पास स्टॉक में नहीं है। इसके लिये मैं सबसे बड़ी बधाई तो इस सरकार को देना चाहता हूँ जिससे वह कभी वंचित नहीं हो सकती। यह बधाई गरीब मजदूरों और चपरासियों की तरफ से है, जिनको ३५—४० रुपये माहवार तनख्वाह दी जाती है और

[श्री मानसिंह महार]

जो रुपये के ढाई सेर के दाने घर पर ले जाते हैं। आप उन गरीबों की आहों को देखिये जिनका असर केवल चुनावों पर ही नहीं बल्कि किसी को ब्लड प्रेशर होता है और किसी को थ्रोम्बोसिस होता है। उससे मालूम पड़ता है कि ये आहें आपको कहां ले जाती हैं? कुर्सियों पर बैठने वालों को मैं यह बधाई देना चाहता हूँ।

दूसरी बधाई, छोटे छोटे कर्मचारियों की आपने किस प्रकार से मदद की उसके लिए देनी है। हमारे राज्यपाल महोदय ने सरकार की तारीफ करते हुए बड़े गर्व से कहा कि आप लोगों को पिछले पांच साल के कार्यकाल को देखना है, आप उसे बड़े गर्व से देखेंगे और आपको बहुत बड़ा संतोष होगा। संतोष क्या नहीं होगा? जयपुर रियासत का जिस समय राजस्थान के साथ एकीकरण हुआ उस समय वहां के एक चपरासी को वही तनख्वाह मिलती थी जो कि आज राजस्थान के चपरासी को मिलती है। बड़े अफसरों की बात अलग है। लेकिन एक पुलिस सिपाही या चपरासियों को लीजिये तब पता चलेगा कि गर्व की बात कहां तक ठीक है? लेकिन यह बात जरूर है कि मेवाड़ में कोई हाकिम था और कोई नायब हाकिम था जिनको १५० या १७५ रुपये मिलते थे और वे रुपये भी कौन से थे? वे अठन्नी वाले रुपये थे उदयपुरी जो रुपया अठन्नी में चलता था और राजस्थान बनते ही वह रुपया अठन्नी के बजाय रुपये में चलने लगा उनके लिये इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? उससे भी बढ़कर आज आई. ए. एस. में प्रमोशन की बात और बढ़ गई है। उनमें से बहुत से लोगों को लिया गया है। उनके जैसे योग्य लोगों को नहीं लेंगे तो किस को लेंगे? उन्होंने स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा होगा कि मेवाड़ में "बड़े हुक्म" के सहारे २००), २५०) रु० से अधिक नहीं पहुँच पायेंगे लेकिन वे ही आज १८००) रुपयों तक पहुँच गये। वे लोग जरूर इनको बधाई देंगे और धन्यवाद देंगे। लेकिन आप उन गरीब आदमियों की हालत को देखिये जो बीकानेर से या अजमेर से या जोधपुर से तबदील होकर यहां आये हैं, उनमें से पुलिस के सिपाही या चपरासी भी हैं जो यहां आकर रो रहे हैं, उनकी ओर देखेंगे तो पता चलेगा कि उनकी क्या हालत है? एक दिन मैंने पुलिस के सिपाहियों को पूछा था कि कहां के हो तो किसी ने कहा कि मैं जोधपुर का हूँ और किसी ने कहा कि मैं बीकानेर का हूं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि छोटे छोटे कर्मचारियों का तबादला उनके इलाके के बाहर नहीं किया जायगा और दूसरी तरफ उनका तबादला दूर दूर कर दिया जाता है। उसूल की और कहने की बात खाली कागज पर ही रह जाती है लेकिन होता उल्टा है। यदि आप २५ रु. पाने वालों का वेतन बढ़ा कर १०० रुपये कर देते तब तो आप किसी प्रकार से उनकी सहानुभूति प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आज इन छोटे कर्मचारियों को वही तनख्वाह दे रहे हैं जो जयपुर राज्य के समय इन कर्मचारियों को दी जाती थी। उस समय हम सर वी. टी. कृष्णामाचारी को कोसा करते थे। अफसोस की बात है कि वर्तमान फाइनेन्स सेक्रेटरी जयपुर रियासत के समय भी वहां के फाइनेन्स सेक्रेटरी थे और वे गरीबों को कुचला करते थे। वे ही महोदय राजस्थान में आ गये और उन्होंने गरीबों को तरक्की से महरूम रखा।

[श्री मानसिंह महार]

आयन्दा विधान सभा में शायद मैं नहीं रहूंगा और मौजूदा मुख्य मंत्री जी भी शायद मुख्य मंत्री नहीं रहें। यदि वे मुख्य मंत्री नहीं भी रहेंगे तो भी मैं समझता हूं केबिनेट में तो वे जरूर रहेंगे, यह मुझे पक्का विश्वास है क्योंकि पिछले ६ वर्षों में वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान की केबिनेट से बाहर नहीं रहे। चाहे कितनी ही गड़बड़ियां चलती रहीं लेकिन वे बाहर नहीं रहे, इसलिये मैं उनको बधाई देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे अपना सद्भाव इन गरीबों के प्रति रखें और इन गरीबों की तनख्वाह कम से कम १००) रु० करें। आप इन गरीब पुलिस के सिपाहियों, मास्टर लोगों और चपरासी लोगों की तनख्वाह बढ़ावें और १०० रु० से कम पानेवाले जितने भी लोग हैं उनकी आहों से डरें और उनकी तनख्वाह बढ़ा कर कम से कम १०० रु० कर दें। आज जब कि जौ का भाव ढ़ाई सेर का है उस समय भी उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो कब बढ़ेगी?

उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी समय जब हमारा ५ वर्षों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उस समय सरकार को मैं एक बात के लिये जरूर बधाई दूंगा। हम शुरू से इस बात के पक्षपाती रहे हैं कि राजस्थान में पक्षपात का दौर-दौरा देखते हुए यहां पर चीफ सेक्रेटरी के पद पर कोई बाहर का व्यक्ति होना चाहिये। बाहर का चीफ सेक्रेटरी रहने से सरकार पर अंकुश रहता है। लेकिन पिछले २ वर्षों से हमारे राजस्थान के ही एक इलाके के निवासी को चीफ सेक्रेटरी का ओहदा दिया हुआ था और उनको इस ओहदे पर बिठाया गया था। मैं सही कहता हूं कि उनके दो वर्ष के कार्यकाल में सर्विसेज़ में बड़ा असंतोष रहा और कई लोगों की सीनियोरिटी खत्म हो गई। उधर बैठने वाले लोग कहते हैं कि चुनावों में जातिवाद रहा लेकिन मैं कहता हूं कि जातिवाद का नमूना आप देखना चाहते हैं तो वह आई. ए. एस. और आर. ए. एस. के प्रोमोशन्स में देखिये। तो पता चलेगा कि किस प्रकार गुट विशेष या युनिट विशेष के लोगों को बढ़ावा दिया गया है। मैं यह नहीं कह सकता कि यह काम सरकार का है या ऊपर से थोपा हुआ है जिसके फलस्वरूप बाहर के चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई है। यदि ऊपर से थोपा हुआ है तो मैं कहता हूं कि सभी मित्रों को मिल कर ऊपर वालों को बधाई देनी चाहिये कि उन्होंने बाहर के चीफ सेक्रेटरी को यहां भेजा। मैं चीफ सेक्रेटरी महोदय से आशा करूंगा कि वे भविष्य में होने वाली गड़बड़ियों को मिटाने के साथ साथ जो कुछ गड़बड़ियां पहले हुई हैं उनको भी दुरुस्त करें। यदि पिछले दो वर्षों की गड़बड़ियों को सुधारा गया तो हम मानेंगे कि उन्होंने वास्तव में कुछ किया है।

उपाध्यक्ष जी, इस अभिभाषण में हमारे राज्यपाल महोदय ने एक बात का और जिक्र किया और वह यह कि पिछले कुछ महीनों में वर्षा समय पर न होने से खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचा है इसलिये कुछ इलाकों को कमी का क्षेत्र घोषित किया गया है। इस भाषण को जब मैंने पढ़ा तब मैं, उपाध्यक्षजी, ताज्जुब में रह गया। वे कमी के क्षेत्र कौन से हैं? उनको देखा

[श्री मानसिंह महार]

जाय तो उसमें सबसे पहला नाम उदयपुर जिले का है, फिर नागौर जिले का नाम है, फिर सीकर जिले का नाम है और फिर कोटा जिले का नाम है। बेचारा जयपुर जिला तो गुनहगार है, इसमें क्या शक है ? जयपुर में वर्षा कम होने से और बाद में अतिवृष्टि होने से क्या हुआ है कि फसल बिल्कुल बर्बाद होती है, लेकिन जयपुर को रियायत कौन दे ? जयपुर वाले हां में हां मिलाने वाले नहीं हैं "बडयो हुकम", करने वाले नहीं हैं, उनको कोई छूट क्यों दे ? उपाध्यक्ष महोदय, अब तो चित्तोड़ में भी हो जायेगा क्योंकि वहां एक बड़े नेता को उन्होंने लुढ़काया है। यह सही बात है, उपाध्यक्ष महोदय, और मैं यह मानता हूं कि उनको भी रियायत मिलेगी। लेकिन जयपुर की तरफ तो ध्यान देने की सौगन्ध खा ली है। मैं निवेदन करूं कि इस बात को राज्यपाल के अभिभाषण में देख कर राज्यपाल के पक्षपात का उदाहरण मिलता है कि उन्होंने मान लिया कि कहां पर अतिवृष्टि हुई है और कहां पर अनावृष्टि हुई है। मैं निवेदन करूं कि इसी विधान सभा में किशनगढ़ के बारे में चर्चा हुई और यह प्रार्थना की गई कि वहां पर भी कोई रियायत करनी चाहिए, इस पर राजस्व मंत्री जी ने दुर्भाग्य से वह इस वक्त मौजूद नहीं है, कहा था कि वे जांच करवा रहे हैं। मालूम नहीं कि उस जांच का क्या नतीजा आया है ? मैं जानता हूं कि वहां पर भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि किशनगढ़ भी जयपुर जिले में आजाता है और क्योंकि वह हमेशा से जयपुर जिले में रहा है इसके कारण ही उस पर दुर्भाग्य की बाढ़ पर बाढ़ आती जा रही है, इसलिए राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का जिक्र करना एक पक्षपात की बात है सरकार की और मैं इस बात का जिक्र करना एक बड़ा अन्यायपूर्ण मानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले के अन्दर रियायत देने की बात कही है वहां पर ऑलरेडी ढ़ाई-तीन रु० बीघा का लगान है। एक सोचने की बात है कि ढ़ाई-तीन बीघा का लगान कोटा जिले में उस लगान वगैरह की वसूली को रोका जाय और आमेर और जमुआ-रामगढ़......

श्री दिलीपसिंह—वहां का बीघा बड़ा है।

श्री मानसिंह माहर—आप वहां से जीत कर आ गये हैं इसलिए डमडमो बजाने लगें हैं।

मैं निवेदन कर रहा था कि शायद उन्हें मालूम नहीं है कि अब स्टेन्डर्ड बीघा हो गया है। अब सब जगह एक ही हो गया है।

श्री दिलीपसिंह—अभी तक नहीं हुआ है।

श्री मानसिंह माहर—गलती हो ही जाती है, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई बात नहीं है।

[श्री मानसिंह महार]

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जमवा-रामगढ़ में देखा जाय तो आज भी वहां पर ६—९ बीघा के सेटलमेन्ट की रेट्स मौजूद हैं। वहां के काश्तकार दबे जा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। वहां पर लैंड रेवेन्यू की वसूली नहीं रोकी गई। उदयपुर और कोटा में होना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिनका कोटा में इतना दब-दबा था, वे रह गये, मुझे उनसे सहानुभूति है। खैर, जैसा कि कल मंत्री जी कह रहे थे कि बाद में मौका आता रहेगा। अभी रह गये हैं तो बाद में टक्कर लेकर घुस जायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को एक बात और निवेदन करूंगा। हमारे राज्यपाल ने राजस्थान पुलिस के इन्तजाम की काफी तारीफ की है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि पुलिस के इन्तजाम के अन्दर जो कुछ सुधार हुआ है, उसका श्रेय मैं राज्यपाल को और सरकार को उतना नहीं देता जितना कि वहां के उच्च अधिकारी को देता हूं। मैं फिर वही बात दोहराता हूँ, जो बात मैंने आज से दो वर्ष पूर्व कही थी और वह बात यही थी कि पुलिस विभाग का यह सौभाग्य रहा है कि इसके अन्दर आई० जी० पी० एक बाहर के आदमी रहे हैं। यदि वे यहीं के होते तो जो बात मैंने चीफ सेक्रेटरी के बारे में कही वही वे करते। बाहर के आई० जी० पी० होने के कारण उन्होंने पुलिस विभाग के अन्दर एक इन्फ्लूएन्शल तरीके से काम किया है। वहां के कर्मचारियों में और ऑफिसरों में, मैं दावे के साथ कहता हूं जो पिछले वर्षों में असन्तोष था, जो अस्थिरता थी कि आज यहां, कल कहां और परसों कहां, वह खत्म कर दिया है। इससे पुलिस में सुधार जरूर हुआ है। लेकिन फिर भी, उपाध्यक्ष जी, कुछ कृपा-पात्र ऐसे मौजूद हैं जो आज भी १९५७ के अन्दर ऐसी कार्यवाहियां कर देते हैं कि जो शायद अंग्रेजों के निरंकुश शासन काल सन् १९२७ में एक शर्म की बात थी। अभी का मैं एक उदाहरण देता हूं, १० दिन भी नहीं हुए कि जमुवा-रामगढ में चन्दावासी जगह के तारासिंह थानेदार ने शराब पीकर एक मीणे को इतना पीटा कि उसकी हड्डियां टूट गई और मरणासन्न हालत में अस्पताल में है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—जमुवा-रामगढ़ में चन्दावासी जगह में ?

श्री मानसिंह माहर—लेकिन मैं आई० जी० को बधाई देता हूं कि उन्होंने लाश को देख कर उस सब-इन्सपेक्टर को मुअत्तिल कर दिया है। लेकिन मुअत्तिल करने से कुछ नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नीच को जो सन् १९५७ में, जब प्रजातन्त्र के पांच वर्ष पूरे होकर दूसरे पांच वर्ष चल रहे हैं, इस प्रकार की जुर्रत करता है, ऐसे नीच को आज जेल के सींखचों में होना चाहिए, न कि खुले हुए में जिससे कि वह अपने मुकदमे की पैरवी करे और साथी थानेदारों को यह कहता फिरे कि मुझे बचाने के लिए फलां आदमी के ऊपर दबाव डालो। मैं अर्ज करता हूं और प्रार्थना करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को फौरन एरेस्ट करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो

[श्री मानसिंह महार]

मैं निवेदन करूंगा कि यह राज्य के अन्दर गड़बड़ी फैलाने वाली चीज है। यदि एक मीणे ने कोई गुनाह किया है तो वह एक बात है. लेकिन अगर कोई उसका दुश्मन थानेदार साहब को शराब पिला कर वहां ले जाय, दगतपुरा नाम के गांव के अन्दर और वहां पर थानेदार साहब उसको डंडे से पीट रहे थे और क्योंकि वे शराबी की अवस्था में थे तो उस आदमी ने डंडा तो उनसे ले लिया और अपनी लाठी दे दी और उस लाठी से उसको पीटा गया। आज भी मुख्य मन्त्री जी चाहें तो मैं वहां उनको ले कर चलूंगा जहां कि वह मरणासन्न अवस्था में पड़ा है। उसकी जो हालत हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उसको वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अर्ज करूं कि उसको आई० जी० पी० साहब ने सस्पेन्ड तो कर दिया लेकिन एक और रोग हुआ, वह मैं और निवेदन करना चाहता हूं। बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, उसको सस्पेन्ड तो किया...(घंटी) अब आखिरी वक्त है, अब तो बोल लेने दीजिए।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—जनरल बात हो, डिटेल में नहीं होनी चाहिए।

श्री मानसिंह माहर—यह पार्टीक्युलर केस है, उसको दो मिनट में खत्म कर देता हूं। मेरा कहा एक काम भी कर देंगे तो मैं अपनी पांच वर्ष की सफलता मान लूंगा।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह मीणा जिसका नाम दूलिया है, उसके हाथ पैर की हड्डी तोड़ दी। उसी गांव का उसका एक भाई जिसका नाम भागीरथ मीणा है और जो पुलिस में नौकर है, जब उसको मालूम हुआ तो उस बेचारे ने उस मीणे को यहां आई०जी० तक पहुँचा दिया। वह इतने से ही गुनहगार हो गया कि उसने उसको आई०जी० पी० के सामने पेश कर दिया। उस पुलिस के सिपाही पर यह इल्जाम लगाया जारहा है कि वह उस लाश को यहां क्यों लेगया, डिप्टी एस० पी० के पास क्यों नहीं ले गया ? एक सोचने की बात है कि आज भी इस प्रकार की बात होती है। अगर एक भाई को इतना मारा गया कि उसके हाथ-पैर की हड्डियां तोड़ दी गई तो उसको लेकर अगर वह आई०जी०पी० के पास ले आया तो उसने क्या गुनाह किया ? शायद यहां तक नौबत पहुँचने वाली है कि उसको सस्पेन्ड कर दिया जायगा। उसका गुनाह इतना ही है कि उसने एक बड़े गुनाह को रोशन किया। इसके लिए उसको दो चार रुपया इनाम में देते तो उस इलाके के एस० पी० उसे अच्छा मानते, यह तो नहीं हुआ। यदि मुख्य मन्त्री जी तलाश करेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि उस सिपाही से जवाब तलब किया जा रहा है कि वह डिप्टी एस० पी० के पास क्यों नहीं ले गया। कितना अन्याय है ? यह ऐसा ताजा काण्ड है। मैं मुख्य मन्त्री जी से आशा करूंगा कि वे इस प्रकार का इन्तजाम करेंगे कि उस थानेदार को बर्खास्त ही नहीं पर उस थानेदार को जेल के अन्दर

[श्री मानसिंह महार]

बन्द करना चाहिए । सरकार को, जितनी अधिक से अधिक हो सके, इस केस की पैरवी करनी चाहिए और थानेदार को ७ वर्ष की सजा होनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जो बहुत ही उल्लेखनीय इस अभिभाषण में है वह है मैसूर राज्य के भूतपूर्व दीवान, श्री एन. माधव राव की सदारत में फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की नियुक्ति ।

पहले जब यह बात मैंने अखबारों में पढ़ी थी तो उस समय चुनावों में व्यस्त होने के कारण मैं ठंडे दिमाग से इस पर विचार नहीं कर सका, लेकिन हारने के बाद जब मेरा दिमाग ठंडा हुआ तो मैंने यह सोचा उपाध्यक्ष जी, कि यह फाइनेन्स कमीशन क्यों बिठाया गया है ? मेरा खयाल गलत हो सकता है पर मैंने अन्दाज लगाया है कि इस कमीशन को बिठाने का सबसे बड़ा कारण राजस्थान को ऊंचा उठाने का नहीं बल्कि टैक्सेशन बढ़ाना है । मेरी छोटी बुद्धि के अनुसार मेरी समझ में तो यह आया है कि खर्च दिन प्रति दिन बहुत बढ़ रहे हैं, आमदनी कम रहती है, ओवर ड्राफ्ट बढ़ता जा रहा है तो सीमा तो हर चीज की होती है । इस कमी की पूर्ति के लिये शायद इस कमीशन की नियुक्ति की गई है । शायद किसी नये टैक्सेशन के लिये जाल बिछाया जायगा, कहा जायगा कि पंजाब में टैक्सेज़ ज्यादा हैं, यू० पी० में २५ पर्सेन्ट टैक्सेशन है, राजस्थान में तो केवल ११ पर्सेन्ट ही टैक्सेशन है, इसलिए राजस्थान में टैक्सेशन और बढ़ाया जाना चाहिये । मैं भी भविष्यवाणी कर रहा हूं पहले से ही मैं दावे के साथ कहता हूं कि वे यह कहेंगे कि राजस्थान में टैक्सेशन कम है और टैक्सेशन बढ़ाया जाय । अगर इस चीज के लिये कमीशन की नियुक्ति नहीं की गई है तो इस सदन में मुख्य मन्त्री जी या वित्त मन्त्री जी, मैं मुख्य मन्त्री जी से ही प्रार्थना करूंगा क्यों कि वित्त मंत्री जी तो हमारी ही तरह हैं, इसलिये मैं मुख्य मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे यह स्पष्टीकरण सदन में कर दें कि नये टैक्सेशन के प्रोपोज़ल्स इसमें नहीं आयेंगे तो हम यह मान लेंगे कि राजस्थान के फाइनेन्सेज़ सुधारे जायं, इस गरज से इस कमीशन की नियुक्ति की गई है । हमारे यहां पर अगर अब भी सरकार महसूस करती है कि टैक्सेशन और बढ़ाये जायं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान की जनता का स्टेन्डर्ड यू० पी० या पंजाब से न नापा जाय, यू० पी० या पंजाब से गंगानगर का नाप तौल कीजिये पर गंगानगर का मामला आता है तो जागीरदारियों की तरह इन जमीदारियों को भी लेने वगैरह में आप चश्मपोशी करते हैं । यू० पी०, पंजाब से गंगानगर का संतुलन करें लेकिन जयपुर के आस-पास के रूखे-सूखे इलाके का अगर यू० पी० पंजाब से सन्तुलन करते हैं तो यह गलत है । गंगानगर का इलाका यू० पी०, पंजाब की तरह उपजाऊ होते हुए भी हमारे यहां का जयपुर के आस पास के रूखे सूखे इलाके का किसान बहुत ज्यादा देता है । गंगानगर का किसान जो कुछ देता है वह यहां के किसान के मुकाबले में कुछ नहीं देता, यहां का

[श्री मानसिंह महार]

किसान गंगानगर के किसानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा देता है। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि मुख्य मन्त्रीजी इस ओर सतर्क रहेंगे तो अच्छा रहेगा।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने एक बात और फरमाई कि जिस कामयाबी के साथ चुनाव पूरे हुए हैं वह सन्तोष की बात है। मैं भी सरकार को बधाई देता हूँ कि यों तो जो व्यक्ति हारता है वह कहता है कि मेरे डिब्बों में से तोड़ कर वोट निकाल लिये, पर चुनाव के बारे में मैं कहूंगा कि कोई किसी जगह किसी अफसर विशेष ने पक्षपात किया हो, पर जो जनरल सरकारी अफसरान की कार्यवाही रही उसके लिये राजस्थान के ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे कर्मचारी हमारी बधाई के पात्र हैं। वैसे इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा काम है, हो सकता है कहीं छोटा मोटा पक्षपात किसी एक के द्वारा हुआ हो पर आम तौर पर कहूंगा कि इस तरह की बात नहीं हुई। मेरी तो अपने इलाके की बात है मेरे इलाके में तो नहीं हुआ, हो सकता है कि सरकारी पक्ष का आदमी मेरे इलाके में नहीं था इसलिये नहीं हुआ और मेरे साथ यह रियायत बरती गई हो पर फिर भी मैं कहूंगा कि छोटी मोटी बातों को छोड़ कर काम बहुत संतोषजनक हुआ।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में विगत पांच वर्षों में जो कुछ पंचवर्षीय योजना के तहत प्रगति की है उसके लिये मैं दो शब्द निवेदन करूंगा।

उपाध्यक्ष जी, मेरी यह निश्चित् धारणा है कि पिछली पंच वर्षीय योजना का जो फायदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा या उदयपुर खास के इलाकों को पहुँचा है वैसा हमारे जयपुर इलाके को नहीं पहुंचा, इसके लिये मैं मन्त्री महोदय को चैलेंज कर सकता हूं कि वे हमारे साथ चलकर देखें और हमें भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा साथ ले जा कर दिखायें। हमारे इलाके में कुछ भी खर्चे पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं किये गये। खैर हुआ सो हुआ पर अब आयन्दा पांच वर्षों में बराये मेहरबानी हमारे जयपुर इलाके को इमदाद पहुँचायें। यह कोई इमदाद नहीं मानी जाती कि इलेक्शन के समय में पुरानी बस्ती में ४ जगह बिजली लगा दी, घाट दरवाजा बस्ती में रात रात भर बत्तियां जलती रहें। जयपुर तो राजधानी है, यहां तो राजधानी होने के नाते वह काम होने चाहिये थे कि दुनियां देख कर दंग रह जाती। पर मैं तो अपने आमेर, जमवा-रामगढ़ इलाकों के लिये कहता हूं कि उधर मंत्री महोदय पधारेंगे तो उनको पता चलेगा कि वहां का किसान डूंगरपुर, बांसवाड़ा के किसानों से ज्यादा गरीब है और डूंगरपुर बांसवाड़ा के भीलों के समान ही पिछड़े हुए हैं। अब तो दोनों इलाकों से कांग्रेसी मित्र रिटर्न हो गये हैं तो मैं आशा करूंगा कि पंच वर्षीय योजना में जो कुछ सहायता मिल सके वह इन इलाकों को भी दें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम तो महसूस करते आ रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना के तहत जो कुछ कार्यवाहियां हुई हैं वह सत्तारूढ़ दल के साथियों के इलाकों में ही हुई हैं और उन कार्यों से जमवा-रामगढ़ और आमेर के इलाकों को वंचित रखा

Page No.29

[श्री मानसिंह महार]

गया है । इन इलाकों के लोग समझते ही नहीं कि पंचवर्षीय योजना क्या चीज है, क्योंकि वहां पंच वर्षीय योजना के तहत कोई कार्य हुआ ही नहीं है ।

यहां से बिजली दौसा गई है, वह सीधी दौसा तो पहुंच गई पर बीच में गांव आये उनको बिजली नहीं दी गई, पांच-पांच सौ, एक-एक हजार रुपये लगाकर उनको भी बिजली दे दी जाती तो क्या हो जाता ? परन्तु उनको कहा गया कि १०० आदमी साथ मिलकर दर्खास्त दें और बिजली लेना चाहें तो बिजली दे सकते हैं, वर्ना सारा खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा । मैं तो सब जगह गया । अभी कुछ मित्रों ने यहां तक कहा कि दौसा से लालसोट लाइन जा रही है वह लाइन आधी बीच में जाकर रुक गई है लालसोट पहुंची नहीं और रुकी है वह किसी कारण विशेष से रुकी है ।

(घंटी)

यह कोई ठीक बात नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष, इन बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय उपाध्यक्ष, मैं चित्तौड़ के लिये भी निवेदन कर रहा हूं कि चित्तौड़ में भी जो काम होना चाहिये हमारे यहां उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा हुआ है । गाडोलिया लुहारों के नाम पर, मीरां मन्दिर के नाम पर जो पैसा खर्च हुआ है, हरि कीर्तन के नाम से पैसा खर्च हुआ है किसी भी तरह से होता है मगर इस बारे में आप इधर भी व्यवस्था कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी । लेकिन चुनावों के सिलसिले में एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक नई बात हुई और जिस प्रकार की नई बात चालू हुई है वह किसी से छुपी नहीं है और वह बात खतरे से खाली नहीं है और मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो बीमारी फैल रही है उससे मुझे तो फायदा होने वाला है मगर मैं उधर बैठने वाले मित्रों को आग्रह कर देना चाहता हूँ कि वे अभी खुश हो सकते हैं लेकिन एक साल या दो साल में उनको अपनी भूल का पता लगेगा इसलिये मैं यह कहूंगा कि वे अभी से ठंडे दिमाग से इस पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा और राजस्थान को इससे खामयाना नहीं उठाना पड़ेगा । यह तो हुई चुनाव की बात ।

यों तो पिछले ५ वर्षों में बहुत ज्यादा काम सरकार ने किया है । टिनेन्सी एक्ट वगैरा पास हुए हैं । मगर सबसे बड़ा काम तो हमारे यहां जागीरदारी उन्मूलन का है जो हमारे मुख्य मन्त्री और मौजूदा मुख्य मन्त्री से पहले जो मुख्य मन्त्री थे उन दोनों की बुद्धिमानी से, समझदारी पूर्ण और शांतिपूर्ण तरीकों से हल हुआ । वह तो बड़ा भारी काम है और जिन्होंने इसको शांतिपूर्ण तरीकों से किया है, मैं समझता हूं कि वे बधाई के पात्र हैं । यह एक बहुत बड़ा एचीवमेंट है, और इसलिये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं, लेकिन फिर भी मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि आज जो रवैया जागीरदारों के कर्मचारियों के प्रति जो जागीरदार नहीं हैं, भूतपूर्व जागीरदार हैं उनके प्रति है वह ठीक नहीं है । इसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा

[श्री मानसिंह महार]

है। मैं यह निवेदन करूंगा कि उन कर्मचारियों ने क्या अन्याय किया, जागीरदारी समाप्त हुई, जागीरें गई, सबका एकीकरण हुआ उसमे जुडिशियल पॉवर के ठिकाने थे उनके आदमियों को तो तहसीलदारियों में या आर. जे. एस. या आर. पी. एस. यहां तक की आई. ए. एस. में वे लोग पहुँच गये हैं लेकिन हमारे यहां के कर्मचारी जो छोटी छोटी तनख्वाहएं पाते थे वे बेकार हो रहे हैं। अगर आज भी राजस्थान सरकार इसके लिये कोई नक्शा प्रस्तुत करे तो हम मानेंगे कि फलां जागीरदार के इतने नौकरों ने दरख्वास्त दी और इतने इतने आदमियों को सरकार ने सर्विस में ले लिया है और इतने आदमियों को इस वजह से नहीं लिया। केवल यह कह देना कि वे अयोग्य थे इसलिये नहीं लिया गया यह कहना काफी नहीं होता। इसके बारे में कोई खास बात होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर भी ध्यान देगी और सरकारी कर्मचारियों की तरह इनके साथ भी सहानुभूति से देखेगी और सरकार को उनके साथ भी उसी तरह से देखना चाहिये। आज भी हजारों आदमी हैं…

(घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं अभी समाप्त ही कर रहा हूं।

जयपुर में यह नई बात हुई। एक रोज जलेबी चौक में कलेक्टर के दफ्तर के पास बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ था, उसमें हजारों आदमी थे, मैं भी वहां आया था। मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि कलेक्टर साहब जागीर कर्मचारियों का इन्टरव्यू कर रहे हैं। मैंने सोचा कम से कम आधे तो जरूर आवेंगे। लेकिन उन्होंने १०, १५ को जिनकी बहुत मोटी सिफारिश थी ले लिये और बेचारे दूसरे यों ही अपना खर्च करके लौट गये। अगर चीफ मिनिस्टर अभी भी इन बातों पर ध्यान देंगे तो उचित होगा। जयपुर और जयपुर डिविजन में ध्यान देने की जरूरत है। यही नहीं, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के कर्मचारियों की जो अर्ध गवर्नमेंट सर्वेन्ट थे उनकी भी यही हालत हुई। उनके साथ भी बड़ा पक्षपात पूर्ण काम हुआ है। कई लोग जो बहुत बाद में नौकर हुए उनको नायब तहसीलदार कर दिया गया और पुराने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के कर्मचारी गिरदावर और पटवारी यों ही पड़े रह गये। इस बात की जांच की आवश्यकता है। मैं आशा करूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री जागीर कर्मचारियों की ओर सहानुभूति पूर्वक देखेंगे और इस प्रकार का इन्तजाम करेंगे जिससे उनको सहूलियतें पहुंचे।

(घंटी)

और मैं जागीरदारों के बारे में तो अर्ज करूंगा ही साहब।

श्री उपाध्यक्ष—आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री मानसिंह महार—हम तो अभी तक के हैं। आप तो इस कुर्सी पर रहेंगे ही। हम तो जाने वालों में से हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जागीरदारों को तो मुआवजे मिलते हैं उसमें छोटी मोटी चुरमुर बहुत निकलती है और अभी तो एक नई बात हो गई है वह सक्सेशन सर्टिफिकेट की है और उसमें जागीरदारों को बड़ी दिक्कत आती है। अत: मैं यह निवेदन करूंगा कि जागीर कमिश्नर को या एसिस्टेन्ट कमिश्नर को एम्पोवर कर दिया जावे तो बहुत ठीक रहेगा और इस बात के लिये जागीरदार या पर्दानशीन औरतों को दर-दर भटकना पड़ता है। मैं यह कहता हूँ कि जिस खूबसूरती के साथ यह जागीर उन्मूलन का काम हुआ है वह खूबसूरती नहीं रहती। इन औरतों को सर्टिफिकेट लेने के लिये आधा मुआवजा इधर उधर देना पड़ जाता है। इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष, खास कर अनाज के भावों में जो गिरावट हुई है इन बातों को मैं जरूर महसूस करता हूँ और राज्यपाल महोदय को जो धन्यवाद का प्रस्ताव मेरे मित्र नागोर से आने वाले मित्र ने रखा है, वे तो रखते ही क्योंकि वे तो पार्टी के बंधे हुए हैं, हम लोग जो बाहर निकलने वाले हैं टंडे दिमाग से देखते हैं कि २॥ सेर का नाज का भाव पहुँच गया है और आयन्दा एक सेर या १॥ सेर तक पहुँचे। हम तो इसके लिये धन्यवाद नहीं दे सकते। यह हो सकता है कि हां में हां मिलाने वाले धन्यवाद दे सकते हैं। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष, जिन मंत्रियों और मित्रों को प्रोमोशन मिला है उनसे भी मैं आशा करूंगा कि वे दिल्ली में भी जा कर अपनी पैतरे बाजियें दिखावेंगे और जिन लोगों को यह सौभाग्य मिला है राजस्थान विधान सभा में आने का उनसे भी आशा करूंगा कि वे मौन नहीं रहेंगे जिस प्रकार रहे हैं। वे लोग पब्लिक की आवाज को बुलन्द करेंगे और केवल इसलिये चुप नहीं रहेंगे कि उनके यहां एक ब्लोक खोल दिया या एक व्यक्ति या उसके किसी व्यक्ति को जगह दे दी गई जिससे उनके मुंह के ताला कूंची लग गये, यह बात वाजिब नहीं होगी। इसलिये मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि वे लोग कम से कम आयन्दा पाँच वर्षों में जो वस्तु स्थिति है उसमें कह कर जनता की आवाज को बुलन्द करें। इस प्रकार ६ सेर के नाज का भाव २॥ सेर का हो गया और फिर भी आप कहें कि अनाज की स्थिति ठीक है और राजस्थान हरा-भरा हो गया है उचित नहीं होगा। यह तो दिनों-दिन डूबा जा रहा है और आप कहते जा रहे हैं कि यह हरा भरा होता जा रहा है। अब आप टैक्सेशन ही ले लीजिए। हमारे यहां जो टैक्स आज से पांच साल पहले थे उससे आज डेढ़ा टैक्स लग चुका है और अगले पांच साल में शायद यह टैक्सेशन तिगुना होने जा रहा है। जो कुछ भी सरकार ने किया है चाहे वह थोड़ा ही किया हो ऐसे समय में जब कि यह अंतिम सत्र है बधाई दे ही देनी चाहिए। मैं तो ऐसी परिस्थिति में हूं कि जाते जाते इन लोगों को भी क्यों नाराज किया जाय। इस पिछले काल में जो भी मुख्य मंत्री रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि मैंने जो खरीखोटी बात इस सदन के काल में कही हो तो वह उनका बुरा न मानें। साथ ही मेरे दूसरे मित्र जो कि सरकारी बैंचों पर बैठे हैं उनको भी अगर कभी कोई बुरी बात कह दी हो तो वह भी बुरा न मानें। लेकिन फिर भी मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि अगले पांच साल में वह अपना कर्तव्य पूरा

[श्री मानसिंह महार]

करें। पिछले पांच सालों में जो उन्होंने काम किये हैं मुझे उससे सन्तोष नहीं है। मैं अब आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि कम से कम अगले पांच सालों में अपने इलाके की जनता की सच्ची आवाज यहां रखें। मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि उनकी आवाज आप यहां बुलन्द करें। अब आगे जो मंत्री लोग बनें उनसे भी मेरी यही प्रार्थना है। जिन्होंने इन पांच सालों में जो कुछ भी थोड़ा बहुत तजुर्बा हांसिल किया है उनसे भी मैं यही कहूंगा कि अब तक जो अन्तर्टेन्टी का पीरियड था वह खत्म हो गया और अब राजस्थान के हर कौने में पंच वर्षीय योजना की आवाज को बुलन्द करके यह दिखायें कि हम प्रगति के पथ पर जा रहे हैं।

इसके बाद आखिर में मैं एक बात कहूंगा। जिसमें एक सब-इन्सपेक्टर के बारे में कहा गया है। जिस एक सिपाही को इस बात के लिए जवाब-तलब किया गया है कि उसने अपने रिश्तेदार को कुछ मदद करने की हिम्मत की इसके साथ वास्तव में अन्याय हो रहा है। इसको आई० जी० पी० महोदय को दिखाया गया मैं चाहता हूं कि इस निर्दोष के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। अगर इसके साथ किसी प्रकार का अन्याय न हुआ तो यह सराहना की बात होगी। अगर उस पर किसी प्रकार का दबाव डाला गया तो मैं तो यही कहूंगा कि यह अन्यायपूर्ण बात होगी। मैं तो फिर इसको डेमोक्रेसी के नाम पर कलंक कहूंगा।

यह चन्द शब्द कह कर यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव मेरे नागौर से आये हुए मित्र ने रखा है उसका विरोध करता हूं। मैं यह समझता हूं कि इस सदन के सभी मित्र एक मत होकर इस धन्यवाद के प्रस्ताव को ठुकरा कर यह सिद्ध करेंगे कि जो इन पिछले पांच सालों में काम हुआ है, मंहगाई बढ़ी है वह हम ठीक नहीं मानते। इसलिए हम इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं।

रावत श्री शंभुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है उसके संबंध में मैं भी दो शब्द निवेदन कर देना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में फरमाया कि विधान सभा का यह अधिवेशन वोट ऑफ अकाउन्ट के सिलसिले में बुलाया गया है, परन्तु इस समय वर्तमान सभा के जीवन काल के संबंध में भी सरसर दृष्टि डाल देना अनुचित होगा। मैं समझता हूँ कि राज्यपाल महोदय यदि इसी सिलसिले में यह भी फरमा देते कि वर्तमान विधान सभा के कार्यकाल में विरोधी पक्ष के सदस्यों ने क्या क्या सुझाव रखे और उन सुझावों के ऊपर सरकार ने क्या कार्यवाही की अथवा उन सुझावों का क्या पालन किया, तो मैं समझता हूँ कि यह अधिक उपयुक्त बात मालूम होती। इस तरफ से जिन सदस्यों ने कई अच्छे अच्छे सुझाव और तजवीजें पेश कीं और समय समय पर इस सदन में जो बिल उपस्थित होते रहे उनके संशोधन पेश किये और अपनी समझ के अनुसार संकल्प प्रस्तुत किये यदि उन संशोधनों और उन तजवीजों को मानकर के विरोधी पक्ष की बात की अगर कद्र की जाती तो मैं समझता हूँ कि इन पांच सालों में सरकार जिस प्रगति का दावा

[रावत श्री शम्भुसिंह]

करती है उस प्रगति की वास्तविक तस्वीर कुछ और ही हमारे सामने होती। परन्तु मुझे खेद है कि सरकार ने इस तरफ से पेश होने वाले सुझावों पर बहुत कम ध्यान दिया और इसी वजह से जो विरोधी पक्ष की तरफ सदस्य बैठे हैं वह इस धन्यवाद के प्रस्ताव में शरीक होना मुनासिब नहीं समझते।

श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने फरमाया कि इन पांच सालों में सरकार को बहुत काम करना पड़ा और सेवाओं के एकीकरण की मिसाल दी। तो इस बारे में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जहां तक सेवाओं के एकीकरण का प्रश्न है मैं समझता हूँ कि उनका अभी तक पूर्ण रूप से काम नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए मैं शिक्षा विभाग के एकीकरण की मिसाल पेश करता हूँ। मेरी अपनी सूचना यह है कि शिक्षा विभाग की सेवाओं का एकीकरण नहीं हो पाया है और विभिन्न राज्यों में उस समय में जो वेतन का स्तर था अभी तक उसमें एकीकरण नहीं हो पाया है। यदि मेरी सूचना सही है तो फिर यह दावा करना अनुचित होगा कि हमने सेवाओं का एकीकरण कर लिया है।

इसके आगे श्रीमान राज्यपाल महोदय ने कुछ कानूनों का जिक्र किया और उन्होंने यह फरमाया कि सभी कानूनों का जिक्र न करके केवल दो कानूनों का ही उल्लेख कर देना काफी होगा और वहां हैं राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियमों तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट। मुझे यह समझने में कुछ कठिनाई प्रतीत होती है कि श्रीमान राज्यपाल महोदय ने इन अधिनियमों का वर्णन करके, इनसे क्या हित हुआ अथवा इनसे देश की क्या भलाई हुई, उसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की। हां, एक बात स्पष्ट है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के पास होने के बाद बहुत से जागीरदार डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हो गए अथवा वहां के जो बहुत से एम्प्लोईज़ थे उनकी एम्प्लायमेंट दूर हो गई और वे अनएम्प्लोयड हो गए, उनके रिहेबिलिटेट के वास्ते भी अभी तक पूर्ण रूप से कोई संतोषजनक प्रबन्ध हो पाया है, यह भी मैं नहीं समझता। मैं आपको एक उदाहरण निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन जागीरदारों ने मुआवजा लेने की दरख्वास्त पेश की उनको भी संतोषजनक रूप से मुआवजा नहीं मिल रहा है। उदाहरण के लिए भीलवाड़ा जिले में कोशिथल नाम का एक ठिकाना है, उसने मुआवजे के लिये दरख्वास्त की तो उसका हिसाब होने के बाद जब जागीरदार वहां पहुँचा तो उनको पता चला कि कुछ साहूकार ऐसे थे कि जिन्होंने ठिकाने के ऊपर अपने रुपयों का दावा बता करके जो रकम मिलने वाली थी उसकी अदायगी अपने नाम पर करा ली। तो जब वह जागीरदार साहब वहां पहुँचे तो उनको जवाब मिला कि आपको जो मुआवजे की रकम मिलने वाली थी वह उन लोगों को दे दी जायेगी जो कि आपके ऊपर कर्जा मांगते हैं। और इस प्रकार उनको निराश होकर वापिस लौटना पड़ा। तो इस प्रकार से इस मुआवजे का जो लाभ जागीरदारों को मिलना चाहिये वह उनको नहीं मिला और उन लोगों को फायदा पहुँच रहा है

[रावत श्री शम्भुसिंह]

जो कि झूठे ही किसी की चीज पर अपना दावा बताते हैं। जागीरदारों को इससे किसी भी प्रकार को राहत नहीं पहुँची है। इसी प्रकार से टिनेन्सी एक्ट जो इस विधान सभा में पास हुआ उसके पास होने के समय हमने यह सुझाव रखे थे कि किसानों को जमीन का मालिक मान लिया जाय, परन्तु वह भी हमारी बात नहीं मानी गई और न किसान को जमीन का मालिक या पूरा प्रोपराइटर ही माना गया और न किसान को उस जमीन के रहनबे आदि के जो अधिकार होने चाहिये थे वह अधिकार ही दिये गए और भी इसी प्रकार के कई हकूक जो किसानों को देने चाहिये थे वह भी नहीं दिए गए। तो वह टिनेन्सी एक्ट तो जरूर पास हुआ मगर जो इस तरफ के सदस्य थे वह जिस रूप में इस टिनेन्सी एक्ट को चाहते थे वह नहीं हो पाया।

इसके आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने कहा और उन्होंने एक बात का दावा किया है कि हमने अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न करने का टार्गेट हांसिल कर लिया है। इसके आगे उन्होंने फरमाया है कि अनाज के भावों के बढ़ जाने से जो कठिनाई हो रही थी उसको हमने हल कर लिया है, सस्ते अनाज की दुकानें खोलकर। यह परस्पर विरोधी दो बातें किस प्रकार कही गई हैं यह मेरी समझ में नहीं आया। एक तरफ तो यह कहा गया कि खाद्यान्न के भाव बढ़ जाने से सस्ते अनाज की दुकानें खोली गईं और दूसरी तरफ यह कहा गया कि हमने अनाज के मामले में टार्गेट हांसिल कर लिये हैं। या तो यह समझा जाय कि अनाज के भाव नहीं बढ़े या यह समझ लिया जाय कि अनाज के मामले में आप टार्गेट हांसिल नहीं कर सके। इन दोनों बातों में से एक बात गलत हो सकती है। मैं यह बात जानता हूं कि खाद्यान्न के भाव बढ़ गये हैं वहां दूसरी बात का गलत होना स्वाभाविक है। यह बात यह है कि जिस खाद्यान्न के लक्ष्य तक पहुँचने का दावा करते हैं वह गलत है। इस वास्ते प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता और असफलता का यह ज्वलन्त और एक आवश्यक प्रमाण है जहां देश में और राजस्थान में खाद्यान्नों के भाव बढ़े हैं इससे यह साफ जाहिर है कि हम खाद्यान्नों की कमी महसूस कर रहे हैं।

सस्ते अनाजों की दुकान खोलने का जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में किया। मैं यह नहीं जानता कि किन किन जगहों पर ये दुकानें खोली गई। हो सकता है बड़े बड़े शहरों में खोल दी गई हों, राजस्थान बहुत लम्बा चौड़ा प्रान्त है, राजस्थान में मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग और इनकी आमदनी जो एक निश्चित है उस आमदनी में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो पायी है, लेकिन खाद्यान्न के भाव इस कदर बढ़ गये हैं कि इन लोगों को बड़ी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। उनको किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। यह सस्ते अनाज की दुकानें जहां खोली गई हैं उन दुकानों पर जो लोग अनाज खरीदने जाते हैं उनको वक्त पर अनाज नहीं मिल पाता, वहां पर भी लम्बी लाइन बनाकर क्यू में खड़ा होना पड़ता है। जहां सरकारी कर्मचारी दुकान पर अनाज लेने

[रावत श्री शम्भुसिंह]

जाय, तो उसको घंटों तक इन्तजार करना पड़ता है, इससे वह ऑफिस में टाइम पर नहीं पहुंच पाता, इतनी सारी समस्यायें हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि अनाज के भावों में किसी प्रकार की कमी नहीं हो पाई है और इसमें सरकार को किसी प्रकार की कामयाबी नहीं हुई है।

इसके आगे श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने कहा कि लॉ एण्ड ऑर्डर और जानो-माल की खतरे के संबंध में जिक्र करते हुए यह फरमाया है कि डकैती में कमी हुई है जान और माल कोजो खतरा बना हुआ था वह भी कम हो गया है। हो सकता है जानो-माल का खतरा कम हो गया हो, मैं तो एक बात जानता हूँ कि राजस्थान से लगा हुआ जो पाकिस्तान का इलाका है वह बहुत लम्बा है उस हिस्से में अभी तक राजस्थान के डाकू लोग शरण पाते हैं। वहीं से वे लोग आकर छुट-पुट हमले किया करते हैं। राजस्थान में इस समय तो जानो-माल का सवाल ही नहीं, यहां तो इस समय जनतन्त्र को ही खतरा हो रहा है। मैं नहीं समझता, यह जो जनतन्त्र को खतरे की भावना जनता में महसूस हो रही है उस खतरे को दूर करने में हमारी सरकार सफल हो सकेगी या नहीं। यहां जनतन्त्र को उसी प्रकार का खतरा महसूस हो रहा है आज कुछ ताकतें राजस्थान में फासिज्म की ओर बढ़ रही हैं। ये ताकतें जनतन्त्र के वास्ते खतरा साबित हो सकती हैं। जर्मनी में जब पहले एकतन्त्रीय शासन था उसके बाद में जब वहां रिपब्लिक शासन हुआ, वहां पर भी इसी प्रकार से फासिज्म पैदा हुआ था और उस फासिज्म में जर्मनी का क्या किया यह किसी से छिपा नहीं है। वहां की पब्लिक को फासिज्म में श्रद्धा नहीं रही और फासिज्म एक प्रकार से दुनियां के लिये खतरा साबित हो गया था। मेरा इशारा किसी वर्ग या किसी समुदाय के वास्ते नहीं। राजस्थान की जनता में ऐसी भावना फैल रही है। आज जिस दल की सरकार है जो दल अपनी आपसी फूट के कारण कमजोर हो रहा है वह दल अपना घुटना-टेक नीति के कारण यहां के शासन को ठीक तरह से संचालन नहीं कर पा रहा है, मुझे भय है, कि वह सरकार अपनी कमजोरी की वजह से यहां के शासन को किसी प्रकार मजबूती से संभाल सकेगी, इसमें शक है कि दूर भी कर सकेगी या नहीं।

श्रीमान् राज्यपाल ने अपने भाषण में जहां जान-माल के खतरे का जिक्र किया वह बहुत हद्द तक दूर हो गया है, किन्तु जहां राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है उस सीमा में राजस्थान के डाकू लोग शरण पाते हैं। पाक सीमा की वजह से राजस्थान की शान्ति व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है, राजस्थान का यह खतरा तमाम भारतवर्ष के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए राजस्थान सरकार को और एक दल की सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी आपसी फूट की वजह से जो खोखली बनी हुई है उसको चाहिये वह इस सम्बन्ध में खास तौर से ध्यान रखे।

(घंटी)

[रावत श्री शम्भुसिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में ही समाप्त करने की कोशिश करूंगा, मुझे दो चार मिनट का और समय दिया जाय।

इसके पश्चात उदयपुर आदि जिलों का जिक्र किया गया और कहा गया कि वहां कई गावों में खरीफ की फसल खराब हो जाने से सरकार द्वारा वहां राहत पहुंचाई गई है। मैं तो भीलवाड़ा जिले के बारे में दो-चार मिसालें दूंगा, सहाडा, मांडल और आसीन्द ये तहसीलें ऐसी हैं जहां पर अकाल है, उसके बारे में मैंने कलेक्टर साहब से भी बात चीत की थी। वहां अनाज की फसल रुपये में दो आना और चार आना तक कम हुई है। ऐसी हालत में वहा के लगान में छूट होनी चाहिए। कलेक्टर ने इस प्रकार का आश्वासन भी दिया था, किन्तु न मालूम उस आश्वासन का पालन क्यों नहीं किया गया? वहां के किसानों को किसी प्रकार की राहत लगान में न दी जाकर वहां के किसानों से लगान की वसूली सख्ती से की जा रही है। जहां राज्य-पाल महोदय ने यह कहा कि अतिवृष्टि या अनावृष्टि के कारण जिन इलाकों में अकाल पड़ा है उन क्षेत्रों में राहत पहुंचाई जा रही है यह मैं मानने के लिये कतई तैयार नहीं।

इसके बाद एक बात और निवेदन कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। कल श्रीमान् वित्त-मंत्री ने जो यह फरमाया कि लो पेड़ सर्वेन्ट्स के एलाउन्स में पांच रुपये की वृद्धि की है, मैंने भी इसी प्रकार का संकल्प गत सत्र में दिया था यह उसी के अनुसार है, उस संकल्प में यह बात थी। लो पेड सर्वेन्ट्स के अलाउन्स में वृद्धि की जाय। मेरे उस संकल्प की मन्शा किसी हद तक आज पूरी हुई है और लो पेड सर्वेन्ट्स के अलाउन्स में वृद्धि की गई है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि श्रीमान राज्यपाल महोदय ने यहां पदार्पण करके जो कुछ फरमाया है उसमें भले ही तथ्य कम हो और वास्तव में तथ्यों की कमी है फिर भी उन्होंने यहां पधारने का कष्ट किया उसके लिये उनको धन्यवाद दे दिया जाय तो कोई अनुचित नहीं होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास-- उपाध्यक्ष महोदय, कल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुनते समय ऐसा मालूम हो रहा था जैसे घर की बुड्ढी दादी अपने बच्चों को कहानी सुनाती हो कि एक था राजा, एक थी रानी। अतीत की बात, बीत चुकी उस जमाने का वर्णन और वह भी जब से राजस्थान बना और सेवाओं का पुनर्गठन नामक एक समस्या राजस्थान की सरकार के सामने आई तब से होने वाली घटनाओं का एक कहानी के रूप में जिक्र सा प्रतीत हुआ। यह ठीक है कि पांच

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

वर्ष की इस अवधि में जो कार्य हुआ उस कार्य का लेखा-जोखा किया जाना चाहिये, लेकिन लेखा जोखा करने में केवल इतना ही आवश्यक नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ हुआ उसका उल्लेख किया जावे। सही मनोवृत्ति तो यह होनी चाहिये कि जो कुछ हुआ उस पर सन्तोष या समाधान करने के साथ साथ जो न हो पाया, और होना सम्भव था उस ओर भी संकेत किया जाना चाहिये था; जिससे कि हम एक दूसरे को पीठ थपथपाने की बजाय इस अवधि के अपने अनुभवों से कुछ नतीजे निकालें और आने वाले कार्यकाल में उससे हम या हमारे आने वाले मित्र कुछ सहायता प्राप्त कर पायें।

राज्यपाल महोदय के भाषण की मनोवृत्ति इस एक सेन्टेन्स से नजर आ जाती है उपाध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने यह कहा कि 'राजस्थान में पिछले कुछ महीनों में ऐसी कुछ खास घटनाएं नहीं हुई हैं जिनका वर्णन किया जावे' राजस्थान सरकार की समझ के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में जैसे कोई राजस्थान में एक तसफिया हुआ हो सारी चीजों का, सब तत्वों का और सब समस्याओं का और एक स्टेन्ड स्टिल एग्रीमेन्ट करके रक्खा हो कि जिससे कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय घटनाएं नहीं हुई हों। आज भी वित्त-मन्त्री महोदय का भाषण पढ़ते समय उसमें मैंने इस बात का उल्लेख देखा कि सेन्टर से फाइनेन्स कमीशन राजस्थान में आया। आने वाले पांच वर्षों के लिये राजस्थान सरकार को कितना हिस्सा मिलेगा, कितनी धन-राशि मिलेगी, उसका निर्णय होने का वह मौका था। कम से कम अपनी राय प्रस्तुत करने का तो मौका था। लेकिन जिसे एक महत्वपूर्ण घटना समझनी चाहिये, राज्यपाल महोदय की एवं राजस्थान सरकार की समझ के मुताबिक वह कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। इस अर्से में भरतपुर में वैगन फैक्टरी के सिलसिले में निर्णय हुआ और कई निर्णय हुए पर राज्यपाल महोदय एवं राजस्थान सरकार की नुक्ते नज़र से ये कोई महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हैं।

हकीकत तो यह है कि आज जिस समय हम यहां बैठे हैं उस समय राजस्थान के कई भागों में रबी की फसल में गेहूँ में जो बीमारी होती है, जिसे अंग्रेजी में रेस्ट की बीमारी कहते हैं और राजस्थानी में जिसे रोली कहते हैं वह बड़ी मात्रा में फैली है, उसका काफी बड़ा प्रकोप हुआ है और जयपुर के आस पास ही अभी कुछ दिन पहले ओले गिरे थे, फसल को, गेहूँ को कटाई के पहले स्टोर्म आया था। अब इससे फसल को क्या फायदा या नुकसान हुआ इसकी कल्पना तो सामान्य समझ वाले आदमी ही कर सकते हैं; ये नहीं। इसके कुछ दिन पहले गंगानगर के इलाके से खबर आई थी कि वहां काफी ज़ोर से हवा और आंधी चलने से बहुत बड़ा नुकसान फसल को हुआ। लेकिन राज्यपाल महोदय के ख्याल से यह कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई।

इस अभिभाषण में खरीफ की फसल का जिक्र है। मैं और ज्यादा तफसील से उस पर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जिक्र करूंगा । मार्च के महीने में रबी की फसल का नुकसान हुआ है उसका उल्लेख नहीं । उससे सम्भावित कीमतें बढ़ने की जो एक आज स्थिति पैदा हुई है उसका भी उल्लेख नहीं । ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई लोरी-नींद दिलाने के लिये कोई बात कही गई हो जिसमें केवल समस्या को टाला गया है और यह बात एक जगह नहीं अनेकों जगह इस प्रकार की बात कही गई है इस भाषण में । मैं आपका ध्यान पेज ४ पैराग्राफ ३ की ओर आकर्षित करूंगा । मुझे मालूम नहीं कि यह भाषण के तर्जुमे का असर हुआ है या उसे तैयार करने वाले जिन जिम्मेदार व्यक्ति या सरकार ने मन्जूरी दी है उनकी मौजूदा मनःस्थिति का असर हुआ है । आगे लिखा है, 'पिछले कुछ महीनों में वर्षा समय पर न होने से खरीफ की फसल को बहुत नुकसान पहुँचा है ।' मेरी समझ में नहीं आता कि यह पिछले कुछ महीनों में वर्षा न होने की स्थिति कौनसे राजस्थान में पैदा हुई ? अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर में तो वर्षा राजस्थान में ,नहीं होती, मद्रास के इलाके में होती है । जनवरी, फरवरी में मलावार के इलाके में होती है । राजस्थान में राजस्थान की सरकार और राजस्थान की सरकार के सहयोग से चलने वाले राज्यपाल महोदय मार्च की १८ तारीख को कहते हैं पिछले कुछ महीनों में वर्षा न होने के कारण...और क्या हुआ ? रबी की फसल को नुकसान पहुँचा । रबी की फसल की कटाई हो गई दीवाली के हो समय, और होली के बाद जिक्र किया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में यह स्थिति वर्षा न होने से उत्पन्न हुई । तो यह राजस्थान की सरकार का पिछले कुछ महीनों की समझ का एक नमूना उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे और आपके सामने प्रस्तुत है । होना तो यह चाहिये था, अपने कर्तव्य के प्रति सजग सरकार की ओर से, कि रबी की फसल को जो नुकसान पहुँचा है उसकी सम्भावित स्थिति पर पूरी जानकारी प्राप्त करके उस पर राज्य सरकार क्या कर रही है उसका उल्लेख इसमें करती । पर कहा यह जा रहा है जैसे फिकरा मशहूर है कि जुम्मे ही जुम्मे जल्दी जल्दी काम हो रहा है, अभी पिछले कुछ महीनों में जैसे वर्षा का मौसम अभी कुछ निकला ही है, और खरीफ की कटाई पिछले कुछ महीनों में होती हैं । है । किन्तु मैंने देखा शायद यह प्रेस की छपने की गलती रह गई हो. मैंने दुबारा गौर से पढ़ा । पर फिर अगले ही पैराग्राफ में ऐसी ही बात का फिर उल्लेख किया गया है कि सरकार को इस बात का इल्म है यानि मार्च ५७ में सरकार को यह इल्म है कि पिछले कुछ महीनों में अनाज के भाव बढ़ जाने की वजह से जनता को काफी कठिनाई हो गई है । मेरी समझ में नहीं आता उपाध्यक्ष महोदय, कि यह पिछले कुछ महीनों की नई परिभाषा तो नहीं बनती जा रही है । मुझे जहां तक याद है सन् ५६ के जुलाई के महीने में भारत सरकार के अनाज मन्त्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि अगर अनाज के भाव इसी प्रकार बढ़ते गये तो भारत सरकार को कोई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे । मुझे यह भी याद है कि अगस्त ५६ में भारत सरकार ने अपनी ओर से सस्ते अनाज की दुकानें खुलवाने की तैयारी की घोषणा की और सितम्बर ५६ से मद्रास में और दूसरे देश के भागों में बंगाल में आदि में सस्ते अनाज की दुकानें भारत सरकार ने खोलीं । अक्टूबर और नवम्बर में

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हमारे यहां विधान सभा का जो अधिवेशन हुआ उस अवसर पर राजस्थान सरकार के मन्त्री महोदय ने कहा था कि जगह जगह सरकार ने सस्ते अनाज की दुकानें खोल दी हैं और अक्टूबर के बाद नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च इन पांच महीनों के बीत जाने के बाद जुलाई, ५६ में भारत सरकार जिस बात का जिक्र करके कबूल कर चुकी उस बात को राजस्थान की सरकार के एक जिम्मेदार महोदय यह कहते हैं कि कुछ महीनों से अनाज की कीमतें बढ़ रही हैं। यह कुछ महीनों से एक परेशानी हो रही है, कुछ महीनों से जनता को परेशानी हो रही है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि कुछ महीनों से नहीं, लगभग एक पूरे वर्ष भर से यह स्थिति है। जिस चीज को भारत सरकार ने जून और जुलाई महीने में मन्जूर किया, अगस्त से उसका मुकाबला करने की तैयारी की घोषणा की, उस चीज के बारे में राजस्थान सरकार आज मार्च ५७ में जिक्र कर रही है और राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में इस प्रकार से कुछ महीनों के रूप में स्थिति को प्रस्तुत कर रहे हैं कि काफी मिकदार में अनाज भेजने के लिये भारत सरकार से प्रार्थना की जा रही है। इस पर भी यदि कोई चाहे कि धन्यवाद दिया जावे तो मैं समझता हूं कि धन्यवाद देने का निर्णय करने के बाद और धन्यवाद ही देना चाहिये, ऐसा निर्णय कर लेने के बाद ही शायद सम्भव हो सके कि धन्यवाद दिया जावे। पर जरा भी गम्भीरता और सन्जीदगी से सोचने से पता चलेगा कि जिस सरकार का ऐसा दृष्टिकोण हो कि अगस्त, ५६ में भारत सरकार यह कह चुकी कि जिस राज्य सरकार को चाहिये, जितना चाहिये, उतना अनाज वह देने को तैयार है, तो फिर आज अगर राजस्थान सरकार ऐसा कहे कि वह अब भारत सरकार से अनाज के लिये कहने जा रही है तो यह तो पूरे की पूरी एक प्रकार की मखौल की सी स्थिति है जो प्रस्तुत की जा रही है। हकीकत तो यह है कि आज राजस्थान में जितने अनाज के भाव बढ़े चढ़े हैं उतने शायद पिछले चार पांच वर्षों में कभी नहीं थे।

लड़ाई के जमाने के नज़दीक की स्थिति वापस आगई है। बहुत बड़े इलाके में बाजरे का भाव गेहूं के नज़दीक पहुंचने लगा है। दो, सवा दो सेर का भाव शायद किसी ने सुना नहीं होगा। खरीफ की फसल को नुकसान हुआ तो हुआ। आज भी यह समझा जा रहा है, भारत सरकार से कहा जा रहा है कि खतरा उत्पन्न हो गया है। बढ़े चढ़े भावों के कारण आम लोगों को बहुत कुछ परेशानी होगई है। इसकी जिम्मेदारी आज किस पर है ? अपने जिले के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, इसकी जिम्मेदारी नाज़ के उत्पादन की कमी के ऊपर नहीं है, बल्कि राजस्थान सरकार और सरकार के अधिकारियों के ऊपर है। अभी भी जोधपुर शहर में केवल ८ दूकानें सस्ते अनाज की खोली गई हैं और केवल ४० बोरी वहां पर बिक्री के लिए दी गई हैं, जब कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ऐसा पाया गया है कि वहां का कन्जम्प्शन १५०० बोरी का है। अब इस स्थिति में बहुतकुछ मिक्दार में अनाज भेजने के लिए भारत सरकार से प्रार्थना की जारही

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है तो मुझे ताज्जुब भी होता है और अफसोस भी होता है। जहां कि भारत सरकार के भू-दान के एक उच्च अधिकारी हैं उन अधिकारी के बारे में मेरी निश्चित् जानकारी है उन्होंने लिख कर भेजा है लेकिन ५, ६ महीनों से पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय को भी पत्र लिखे हैं, वह मिल रहे हैं। यह सारा आप क्यों नहीं ले रहे हैं ? लेकिन कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय शायद यह समझते हों कि जितनी बचत की जाय, यदि भारत सरकार द्वारा भेजे गये अनाज की बचत की जाय तो उनको कुछ इनाम मिलेगा, तोफा मिलेगा। यह मैं नहीं कह सकता कि १५०० बोरी का दाखला जहां हो सकता है वहां ४० बोरी का दाखला है। उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा बाजार में आटे के रूप में बिक रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जोधपुर में हमने सस्ते अनाज की दुकानें खोली हैं लेकिन फिर भी बाजार में बिकने वाले गेहूँ के भाव में ४, ५ रुपये का फर्क मौजूद है। ४० बोरी बेचने से कभी यह फर्क पूरा नहीं होगा, क्योंकि उससे कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा।

यह मैंने एक दो चीजों का हवाला दिया है फिर भी यदि कोई यह कहे कि धन्यवाद दिया जाय तो मैं समझता हूं कि वह उचित तो नहीं होगा।

अभिभाषण में जो दो, तीन मुख्य चीजों का वर्णन किया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, वह पंचवर्षीय योजना में किये गये कार्यों का और राजस्थान विधान सभा ने जो कानून बनाने का काम किया उसका है। राज्यपाल महोदय ने जो श्रेय अश्रेय अथवा जो कुछ भी कहा, विधान सभा को दिया है वह तो मैं राजस्थान सरकार के हाथ सौंप देता हूं। वह श्रेय-अश्रेय बुरा अच्छा जो कुछ भी किया वह सरकारी कार्यवाही जिस रूप से हमारे सामने आई है उस रूप से हुआ। इसलिए उसका जो भी सर्टिफिकेट लेना है तो वह सरकार ले ले और यह भी सर्टिफिकेट मिलने जैसी स्थिति नहीं है तो वह सरकार की जिम्मेदारी की बात कहना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह क्या हुआ है कि १९५७ में कोई यह कहे कि जागीर पुनर्ग्रहण कानून पास कर दिया इसलिए बधाई और धन्यवाद के हम पात्र हैं। मैं यह कहूंगा कि १९५३ में यह बधाई लेली होती। एक बार और १९५४ में ले ली होती, लेकिन १९५७ में यह जवाबदेही देनी चाहिए कि जमीदारी उन्मूलन का कानून आज तक पास क्यों नहीं किया गया ? जागीर उन्मूलन का कानून पास करने वाले १० साल तक अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे वह अच्छी बात नहीं है। उसके बाद जो बाकी है उसकी ओर संकेत करना चाहिए था, उसकी ओर संकेत नहीं किया गया है। जागीर उन्मूलन कानून पास हुआ है उसकी ओर संकेत है। उसकी क्या स्थिति है, और क्या नहीं है, उसका मैं यहां अभी उल्लेख नहीं करूंगा। यह मौका नहीं है। उसमें कितनी कमियां हैं, उससे कितनी राहत किसानों को मिल पाई है, वह अलग विषय है। उस कानून को पास हुए लगभग ४-५ वर्ष होगये हैं। टिनेन्सी कानून पास होगया है इसलिए बधाई की पात्र है, तो जनता पूछना चाहती है और उसे पूछने का अधिकार है कि सीलिंग का कानून क्यों इतने दिनों तक दबा पड़ा रहा ? इस बारे में क्या

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जवाब है ? टिनेन्सी कानून तो बहुत दिनों का बना हुआ है लेकिन प्लानिंग कमीशन ने जो यह कहा है कि 'खुदकाश्त' नाम की चीज़ की परिभाषा में परिवर्तन किया जाय, उस परिभाषा में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है ? ताकि वह जमीन जो खुदकाश्त में पड़ी हुई है वह तो कम से कम किसानों को मिले। रूरल क्रेडिट सर्वे की सिफारिशों का क्या हुआ ? उसका केवल एक भाग पास हुआ लेकिन पिछली विधान सभा के सत्र में हमने देखा, आपने देखा, कुछ ताज्जुब होने की बात नहीं है। जो मनी लैन्डर्स के सिलसिले में कानून बना था, संबंधित मंत्री महोदय ने कम से कम एलानिया तौर पर कहा था कि यह निश्चित तौर से पास हो जायगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि बाद में क्या स्थिति पैदा हुई कि अचानक कानून को ड्रॉप कर दिया गया ? उसको क्यों ड्रॉप कर दिया गया ? ऐसे काश्तकारों के सिलसिले में जो उल्लेख किया जा रहा है तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये राजस्थान सरकार के ध्यान में यह बात ला दूं कि अभी दो, तीन महीने पहले एक छोटी सी पुस्तिका का वितरण किया गया था राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार के एग्रीकल्चर डेलीगेशन की रिपोर्ट थी। उन्होंने विदेशों का दौरा करके भारत की खेती की स्थिति के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मैं नहीं कह सकता कि उस रिपोर्ट को राजस्थान सरकार के संबंधित मंत्री और राजस्थान सरकार के जिम्मेदार व्यक्तियों ने गौर से पढ़ा हो। लेकिन मैंने पढ़ी है, उपाध्यक्ष महोदय, उस रिपोर्ट में यह नतीजा भारत सरकार के डेलीगेशन ने प्रस्तुत किया है। उस डेलीगेशन में केन्द्रीय खाद्य उपमंत्री थे और उन्होंने यह नतीजा प्रस्तुत किया है कि आज तक जो कुछ कार्य हमने खेती के सम्बन्ध में किये हैं वह लगभग हमारी आवश्यकता को ५ फी सदी से ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है। अभी तक तो सामूहिक रूप से कार्य करने के लिये अच्छे औजार, अच्छे बीज, कर्जे से राहत एक निश्चिततम रूप में किसानों को मिलने के सिलसिले में भारत में जितना कार्य होना चाहिये उसका लगभग ५ फी सदी कार्य हम कर पाये हैं। तो उन चीजों की ओर कोई संकेत किया जाता तो कोई बात होती। सिंचाई के बारे में कहा गया, हालांकि मैं मानता हूं सिंचाई के सिलसिले में जो योजनायें हैं, राजस्थान सरकार अथवा भारत सरकार के कमीशन द्वारा मंजूर हो चुकी हैं और उन पर कार्य शुरू कर दिया गया, वे काफी महत्व-पूर्ण हैं और जब वे पूरी हो जावेंगी तो बहुत बड़े भू-भाग को न सिर्फ पानी मिलेगा लेकिन उनके कारण अनाज की और दूसरी चीजों के उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन और चीजें हैं उनकी ओर भी मैं संकेत करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय। इसमें कहा गया है कि आज भी जो रकबा है वह कल्टिवेटेड से दस प्रतिशत से ज्यादा है। मैं समझता हूं कि ये आंकड़े सन् ५७ के होने चाहिये और कम से कम सन् ५६-५७ के वित्तीय वर्ष के होने चाहिए और राजस्थान सरकार के स्टेटिस्टिक्स विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक में ये हैं। उसमें लिखा है सन् ५१ में टोटल कल्टीवेटेड एरिया का ९ प्रतिशत भाग ईरींगेटेड है। मैं वह नहीं कह सकता कि ये आंकड़े दुरुस्त हैं या वो दुरुस्त हैं अथवा दोनों ही ना दुरुस्त हैं या दोनों ही सही हैं। लेकिन चूंकि सरकार ने पेश किये हैं और सरकार यह चाहेगी कि उसके द्वारा पेश किये गये आंकड़ों को सही माना जाय इसलिये मैं एक बार

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सरकार द्वारा पेश किये गये आंकड़ों को सही मान कर चलता हूं, तो सन ५१ में कल्टीवेटेड एरिया ९ प्रतिशत था और सन् ५७ में दस प्रतिशत से कुछ ज्यादा है तो सरकार ने अपनी जबान से सन्तोष देने की बात नहीं की जब कि करोड़ों रुपयों की धन-राशि इसमें खर्च हो चुकी है। तो मोटे रूप में राजस्थान की जो मुख्य समस्यायें हैं उनका इसमें उल्लेख नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वह धीरे धीरे हुआ है, लेकिन नई समस्यायें हमारे सामने हैं। लोगों के शिक्षा की, दवा-दारू की किस हद तक वृद्धि हो पायी, राजस्थान के जन स्वास्थ्य में, सुरक्षा में कितनी वृद्धि हो पायी, कुछ भू-भाग में, जो महान साधन उपलब्ध थे उनको कहां तक प्रयोग में लाने के लिए आगे बढ़ आये, उद्योग अथवा व्यवसाय के माने में क्या कर पाये ? और साधारणतः अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो जिम्मेदारी और सन्तोष की बात तो यह होती कि कोई भी सरकार या राज्यपाल महोदय गत काल का लेखा-जोखा करते समय अपनी पीठ थपथपाने के बजाय इस पिछड़े हुए राजस्थान में जो कुछ कर पाये हैं सदन में बताते कि पहले के और आज के मुकाबले में बहुत कुछ कर पाये हैं या सम्भवतः नहीं कर पाये हैं और यह कोई नई बात नहीं होती यदि यह कहा जाता। राजस्थान सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना को रिवाइज़ करते समय यह किया. वह पहली पंचवर्षीय योजना कहां मुकम्मल थी, वह तो जोड़े-तोड़े की चीज थी। योजना के रूप में कार्य नहीं हुआ। इसको खुद राजस्थान सरकार ने कबूल किया है और आज अचानक यह कह दिया जाय कि बहुत कुछ किया है उससे सन्तोष हो जाय, मैं समझता हूँ कि कम से कम इस प्रकार के सन्तोष प्रकट करने वाले हैं, वे राजस्थान का हित चाहने वाले नहीं हैं, चाहे इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों और अगर सन्तोष मान लिया, इस राजस्थान सरकार ने और किसी सरकार ने, वे मैं समझता हूं अहित चाहने वाले हैं, सबसे बड़ी संशयप्रद चीज होगी। इस प्रकार अतिसंशय की ओर इशारा करने के कारण, जो कुछ कार्य बाकी हैं उनकी ओर इशारा न करने के कारण, कुछ महीने पहले की एक्टीविटीज़ के प्रति प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के कारण और आवश्यकता के अनुरूप बहुत कुछ करना है इसका संकेत न होने के कारण, चाहे कृषि के सम्बन्ध में हो, चाहे उद्योग के सम्बन्ध में हो, चाहे बेरोजगार के सम्बन्ध में हो, चाहे लोगों का रोजगार और बढ़ाने के कारण हो, इस प्रकार की प्रवृत्ति इस भाषण में झलकती है और इसलिए मेरा निवेदन है और आपके जरिये मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इस प्रवृत्ति के कारण राज्यपाल महोदय को इस भाषण पर धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री ईश्वरीसिंह—चूंकि किसानों के लिए बहुत बड़ा राज्यपाल महोदय ने कहा कि किसानों के लिए, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा २ कानून बनाया सो वो कानून थोड़ा मैं भी वर्णन कर दूं।

श्री अर्जुनदास—On a point of order, Sir. Are we not supposed to speak either in Hindi or in English ? If so, the hon'ble member just now speaking is not using either of the two languages.

श्री हरिकृष्ण व्यास—This is the language spoken and understood by a majority of the Members of the House and a Ruling on this point has already been given more than four years back. However, for the benefit of the hon'ble member I suggest that he may peruse the previous proceedings of this House.

श्री अर्जुनदास—Are we entitled to speak in a language other than Hindi and English ?

श्री उपाध्यक्ष—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Provided it is intelligible. If you speak in an unintelligible language, there may be difficulty in understanding it.

श्री ईश्वरीसिंह—या बात है। आप देखेंगे कि मैं क्या बताऊं । आप लोगों ने बधाई के वास्ते बहुत प्रशंसा करी, कि किसानों के लिए जो कुछ किया है, वो बहुत बड़ा आछ्या किया है। और मैं मानूं कि दो हजार साल से जमानों बदलों और इं राज के, राज हाथ आयो, प्रजातंत्र बन्यो और समाजवाद नाम बन्यो। और बहुत बडो तो यो कियो कि किसानों की गोचर भूमि के सहारे जानवर उसमें जान खड़ा हो जाता तो उसको दंड दिया जाता। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट बन्या पछे आगरा से ले डीड़वाना तथी तमाम गोचर भूमि ही वो रामराज्य ने काश्त कर दी रामराज्य भी करी और कांग्रेस भी करी तो धन्यवाद देवा की जरूरत है। दूसरो बड़ो सुधार कांग्रेस जो करयो है, के लेवी के विषय में २२ किसानों ने सुवाणा में गोली से मौत के घाट उतार दिया। अस्यो सुधार और किसानों के लिए आयो नहीं । तीसरो सुधार जो किया है, मालया में १६ किसानां ने मौत के घाट उतार दिया और दिवाजी ने राम राम करवा ने नहीं आया जस्यो किसान ने रियायत करी। चौथां किसानां के साथ यो सुधार करयो गयो है कि आज मौजूदा टिकट लेवा बुरा राज्यां में न होता हां आज प्रजातन्त्र का राज्य में पंचायतां बनायी और पंचायतां बनायी मारे सीकर का इलाका में एक सवा रुपया देवा के वास्ते बीस किसानां ने गोली से मौत के घाट उतार दिया। एक पंचायत बनायी, कानून बनायो कि पांचसौ रुपया से ऊपर का मकान है उस पर २५) रुपया कर का लागेगा तो या सरकार बिलकुल धन्यवाद देवा की है। लेकिन मैं या कहूं कि या सरकार जैसी गई बीती गुजरी है जसी दो हजार सालों में न गुजरी न गुजरेगी ।। मैं धन्यवाद देनो नहीं चाहूं और विरोध करूं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो राज्यपाल महोदय के भाषण के

[श्री चुन्निलाल मोदी]

ऊपर धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो बहस हो रही है वह धन्यवाद प्रस्ताव जिस रूप में इस विधान सभा में प्रस्तावक महोदय लाये उस रूप में उस धन्यवाद के प्रस्ताव को लाना नहीं चाहिये था।

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

क्योंकि उनको आये हुए करीब ६ महीने हो गए हैं और इन ६ महीनो में भी वे इस राजस्थान की पूरी हालत को, राजस्थान की स्थिति को पूरी तरह से नहीं देख पाये। तो यहां राजस्थान में इस तरह राज्यपाल का कानून और शासन कहां तक उचित हो सकता है ? राजस्थान के अन्दर आज जैसा कि भाषण में बताया गया है, अनाज के भाव बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको कुछ निजी जानकारी के आधार पर यह बताना चाहता हूँ कि आज अनाज का भाव इस सरकार ने बढ़ाया है न कि जनता ने। कुछ दूकानें खोलकर सरकार ने मुसीबत पैदा कर दी है। एक दुकान पर ५०० या १००० तक आदमी इकठे हो जाते है और २ रु० के अनाज के लिये दिन भर परेशान होते हैं। आप या राज्यपाल महोदय खुद जाकर देखें तो पता चलेगा कि लोग अनाज के लिये सुबह जाते हैं पर शाम तक उनको अनाज नहीं मिलता हैं और कुछ लोगों को योंही वापिस आना पड़ता है। सुबह ४ बजे से ही लोग दुकानों पर जा कर सो जाते हैं। ऐसी दुकानें खोलने से क्या फायदा है ? जहां ढ़ाई सेर का जौ मिलता है वहां सवा दो सेर का मिले तो क्या बात है ? ढ़ाई सेर के बजाय दो सेर का भी सुख से मिले तो अच्छा है, लेकिन सुबह जावें और शाम को वापिस लेकर आवें या खाली हाथ आवें और २ रु० मेहनत करके कमावें वह भी चला जाय तो उससे क्या फायदा है ? ऐसी हालत में अनाज की दुकानें खोलने का इन्तजाम करने से और जनता में असन्तोष फैलाने से क्या फायदा है ? राज्यपाल महोदय ने कह दिया कि सस्ते अनाज की दुकानें खोलने का इन्तजाम सरकार ने कर दिया है, पर ऐसी दुकानें खोलना कहां तक ठीक है ? राजस्थान में आज भी अनाज की कमी नहीं है। यदि सरकार पहले सोचती तो लाखों मन अनाज राजस्थान से बाहर नहीं जाता। लाखों मन अनाज सरकार ने बाहर भेज दिया। शायद सरकार को यह मालूम नहीं था कि राजस्थान में कभी ओले पड़ सकते हैं, रोली लग सकती है और बरसात के कारण भी नुकसान हो सकता है। शायद यह सरकार को मालूम नहीं था, इसलिए लाखों मन अनाज बाहर भेज दिया। इसमें सरकार की कितनी भारी गलती हुई। परमिटों पर परमिट दिये गये और सिफारिशों पर सिफारिशें मानी गई और अनाज बाहर भेज दिया गया। इनको घर की व्यवस्था के बारे में मालूम नहीं पड़ा क्योंकि कागज पर दस्तखत कर देते हैं। यदि मिनिस्टर साहब और सेक्रेट्री साहब सुबह से शाम तक जाकर अनाज के लिये खड़े रहें तो पता चले कि उनको मिलता है या नहीं ? उनको जनता की हालत देखनी चाहिये। आखिर जनता भी आदमी है और वे भी आदमी हैं। आज उनमें और जनता में कोई फर्क नहीं है।

दूसरी बात यह है कि राज्यपाल महोदय ने पंचवर्षीय योजना की तारीफ कर दी। इस योजना की जितनी तारीफ की गई उतना काम यहां पर हुआ ही नहीं। इस पंच वर्षीय योजना में जहां

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

मिनिस्टर्स और एम.एल.एज़. पॉवरफुल थे वहां काम होगया और जहांपर विरोधी सदस्य थे या जिस क्षेत्र के कांग्रेसी पॉवरफुल नहीं थे उनके इलाके में न तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा केन्द्र खोले गये और न कोई काम हुआ। आज उन क्षेत्रों की जनता उतनी ही परेशान है जितनी पहले थी। जहां बड़े बड़े धन वान रहते हैं वहां जरूर कुछ काम खोला गया होगा या जहां के मिनिस्टर थे वहां राष्ट्री विस्तार खंड खोले होंगे, लेकिन जहां गरीब लोग हैं या बाकी लोग हैं वहां किसी बात का पता नहीं है। आज यदि इस प्रकार की योजना नहीं बनती तो यह कहने का मौका नहीं मिलता कि पंच वर्षीय योजना बनाई गई है फिर भी काम नहीं होता। आज पंचवर्षीय योजना से जनता को दुख होता है और जनता कहती है कि फलां जगह केन्द्र खोल दिये गये और हमारे यहां नहीं खोले गये और जहां पर खोले गये वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे एरिया में कुछ नहीं होता है। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं यही मिसाल लागू होती है। जिस तरह से अफसरों को काम करना चाहिये था उस तरह से कतई नहीं किया और रुपये बरबाद किये गये। थोड़े रुपये जरूर काम में आये होंगे वरना अधिकतर कोई काम नहीं आये।

इलेक्शन के बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इलेक्शन में इतनी गड़बड़ियां हुई हैं कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। मेरे इलाके में भले ही नहीं हुई हों लेकिन दूसरे इलाकों में जहां मैं गया हूं वहां सरकारी कर्मचारियों की तरफ से बहुत गड़बड़ियां की गई हैं। अफसरों, तहसीलदारों और पटवारियों ने पूरा सरकार का साथ दिया है और अपोजिशन के लोगों का साथ नहीं दिया और उनके खिलाफ खुले आम प्रचार किया। ऐसी हालत में अच्छे चुनाव कहां रहे ? चुनाव न कराकर अपने आप ही चुन लेते तो अपोजिशन के लोगों को आने की जरूरत नहीं थी। आज जिस तरह का इलेक्शन होने का राज्यपाल के भाषण में कहा गया कि इलेक्शन अच्छी तरह हो गया तो, मैं इसे मानता हूँ कि राजस्थान के इलेक्शन डिक्टेटरशाही के तरीके पर हुए, हुकूमत के आधार पर हुए और मैं इतना और कहना चाहता हूँ कि हुकूमत के आधार पर इलेक्शन किया गया, लोगों को दबाया गया और कहा गया कि विरोधी पक्ष वाले नहीं आने पावें। उधर बैठने वाले सिद्धान्तवादी और गांधीवाद को मानने वाले लोगों ने यह कोशिश की कि विरोधी पक्ष नहीं आने पावे। लेकिन सरकार की सारी ताकत लगाने के बाद भी आज विरोधियों को काफी अच्छे वोट मिले हैं। ऐसी हालत में राज्यपाल के भाषण में जो इतनी तारीफ की गई है, वह तारीफ के लायक नहीं है व धन्यवाद देने के लायक नहीं है। इसलिये हम लोगों को और उधर बैठने वाले जो सदस्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि उनको भी उस अभिभाषण का, जो राज्यपाल महोदय ने दिया है, उसके लिये धन्यवाद का प्रस्ताव पास नहीं करना चाहिए।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय सभापति जी, श्री राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण सदस्यों के समक्ष दिया उसको मैंने बहुत गौर से पढ़ा। यह तो सत्य है, जैसा इसमें कहा गया है कि

[श्री वेदपाल त्यागी]

सदस्यों को, पिछले पांच सालों के कार्य काल के समय में जो कुछ किया है, उसको देखने का यह मौका मिला है और उसको देखना भी चाहिए लेकिन इसके अतिरिक्त जिस तरह से भाषण दिया गया है, और जब वे पढ़ रहे थे, तब मुझे तो कभी कभी यह महसूस होता था कि एक उच्च पद से बोलने वाले वक्ता इस तरह की बात भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सामुदायिक विकास योजना में जो क्षेत्र आये हैं उसमें हमको पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मैं नहीं समझ सकता कि 'पूर्ण' शब्द से उनका क्या मतलब था और वे उसको किस तरह से पूर्ण मानते हैं ? मैंने बहुत से ऐसे क्षेत्र देखे हैं कि जिनमें सामुदायिक विकास योजना का कार्य हो रहा है लेकिन जो एक स्पिरिट वहां के लोगों में आनी चाहिये और जो स्पिरिट और कोओपरेशन वहां के लोगों में योजना के द्वारा होना चाहिये वह उनमें नजर नहीं आता। यह ठीक है कि श्रमदान करते हैं, यह ठीक है कि श्रमदान का एक बहुत बड़ा नक्शा हमारे सामने रखा जाता है कि इतने लाख का काम श्रमदान के द्वारा किया गया है। लेकिन मैंने राज्य कर्मचारियों में भी ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो कहते हैं कि यह श्रमदान नहीं है बल्कि दुनियां की आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका है कि कुछ लोगों को, लड़कों को मिठाई खिलाकर, दूध पिलाकर काम कराया जाता है। सम्भवत: इस प्रकार जो काम किया है, उसकी कीमत चुकाई जाती तो कुछ कम होती बनिस्पत उसके कि जिस तरीके से खर्च करके श्रमदान द्वारा काम किया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि यह भाषण जिस रूप में लिखा गया है और जिस तरह से दिया गया है वह इस काबिल नहीं है कि उसकी तारीफ की जा सके। यह ठीक है कि ऐसा मौका प्राप्त हुआ है कि हम पिछले कार्य काल के काम को देख सकें और हमको देखना भी चाहिए कि हमने पांच वर्ष में क्या काम किया है ? आया वह काम इस प्रकार का है जिस पर हम महसूस कर सकें कि हम बधाई के पात्र हैं, सरकार बधाई की पात्र है या सरकार ने हमारे अन्दर एक ऐसा उत्साह पैदा किया जिसके कारण जन तंत्र के प्रति हमारा उत्साह पैदा हो। यह ठीक है कि जो इलेक्शन का नतीजा निकला है उससे पता चलता है कि कांग्रेस सरकार फिर वापिस आ रही है। इसका मतलब यह नहीं कि वे समझ लें कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आज हमको मौका मिला है कि हम पिछले कामों को देखें। इन चुनावों में कांग्रेस वाले लोग भी हार रहे है और उस हार के क्या कारण हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं कि इस अवसर पर हम गहराई के साथ देखें कि हमने जनतंत्र की इस नींव को पांच साल में मजबूत किया है या नहीं ? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपने जनतंत्र की नींव को मजबूत नहीं किया है लेकिन नींव को खोदा है और उसको खोखला किया है। इसका नतीजा आज आपको पता लगे या न लगे लेकिन आने वाला समय बतायेगा कि आपने जो कुछ भी कार्य किया है, जिस स्पिट से काम किया है, वह स्प्रिट घातक होगी और इस जनतंत्र को बड़ा नुकसान पहुंचायेगी। सामुदायिक विकास योजना, पंचवर्षीय योजना और लॉ एन्ड आर्डर और इलेक्शन एक इम्पार्शियल तरीके से किये जाने और लोगोंको कानून बना कर राहत देने का इसमें जिक्र है।

[श्री वेदपाल त्यागी]

यह ठीक है कि हम लोगों ने कुछ काम जरूर किया है और वह काम तरक्की के लिए किया है लेकिन जहां सिद्धान्तों की हम बात करते हैं, उन सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणित करने का जहां सवाल आता है वहां उन सिद्धान्तों को बलाये ताक रखते हुए हमने देखा है। जनतन्त्र का नारा लगाते हैं और जनतन्त्र के नाम पर दुहाई दी जाती है लेकिन जिस कारण यह नारा लगाया जाता है वह जनता के लिए, जनतन्त्र के लिए नहीं बल्कि गुटबन्दी के लिए लगाया जाता है, चंद व्यक्तियों के लिए लगाया है जो सफेद टोपी पहन कर बैठते हैं। मैं इस सम्बन्ध में एक नमूना पेश करना चाहता हूं, उसमें अगर कोई बात ठीक न हो तो माननीय मुख्य मंत्री मुझे बतायें। छीपड़ा बड़ौद में, जहां से मै रिटर्न हुआ था, वहां मंत्री महोदय पहुंचे और उनको एक चाय पार्टी दी गई। उस चाय पार्टी में उनको बताया गया कि पंचवर्षीय योजना में इतना खर्च किया जा रहा है, और योजनाओं में इतना खर्च किया जा रहा है, एक्सटेन्सन ब्लॉक्स इतने खोले जा रहे हैं लेकिन इस क्षेत्र में एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा रहा है, इसका क्या कारण है ? तो इतने खुले में, आम व्यक्तियों में यह जवाब दिया गया कि आपने ऐसे व्यक्ति को वोट दिया है इसलिए हम कोई काम नहीं करेंगे और उनको यह बता दिया कि इस तरह के व्यक्तियों को आप वोट देंगे तो आयन्दा भी कोई काम नहीं होगा। यह है आपकी सरकार की नीति जिसे हमारे मंत्री महोदय ने खुले तौर से कहा है और खुले तौर पर एलान करते हैं। यह वजह है कि लोग-बाग घबराते हैं, नोन कांग्रेसमैन को वोट देते हुए। लोग बाग समझते हैं कि नोन कांग्रेसमैन को वोट देने से क्या हानि होती है ? इस बार मुझे मौका मिला है और मैंने वास्तविक स्थिति को देखा क्योंकि मैं चुनाव में खड़ा नहीं हुआ था और किसी भी पार्टी से मेरा सम्बन्ध नहीं था इसलिए मुझे इमपेशेन्टेली देखने का मौका प्राप्त हुआ। मैंने देखा कि जहां वे लोग खड़े हुए थे, जिनको सरकार का समर्थन प्राप्त था वहां वे जिस काम के लिए कहते वह काम तुरन्त होता था और जहां अपोजीशन के लोग खड़े हुए थे और जिनके जीतने की सम्भावना थी या वे लोग खड़े हुए थे जिनको सरकार समर्थन नहीं देना चाहती थी, भले ही वे कांग्रेस पार्टी के क्यों न हो, वहां मैंने देखा कि राज्य कर्मचारियों का रवैया विपरीत था। कहीं कहीं तो ऐसा सुनने में आया है कि उन केन्डीडेटों ने, जिनको खड़ा किया गया था पब्लिक मीटिंग में कहा है कि हमारी मदद नहीं की जाती है, और एस. डी. ओ. ने कहा वहां लोगों को ऐसा नजर आया कि राइट फ्रोम एस. डी. ओज़ टू दी पटवारी उनका काम कर रहे थे। मैं निवेदन करूंगा कि यह ठीक है और बहुत हद तक ठीक है कि राज्य कर्मचारियों ने निष्पक्षता का भाव रख कर इलेक्शन में काम किया लेकिन जहां पर सरकार ने थोड़ा बहुत इन्ट्रेस्ट लिया वहां पर निष्पक्षता न रह सकी। इसके कारण दोष उन राज्य के कर्मचारियों को नहीं दिया जा सकता, दोष सरकार के उन व्यक्तियों को देंगे जो उसमें इन्ट्रेस्ट लेते हैं। पिछले पांच सालों में और इलेक्शन में राज्य कर्मचारियों के अन्दर वह निष्पक्षता की भावना होनी चाहिए थी जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है और जो निष्पक्ष भाव, पोलीसी इम्पलीमेन्ट कर सरकार

[श्री वेदपाल त्यागी]

फोरमुलेट करती है, पर वह रूप निष्पक्षता का नहीं आता। ऐसा जो जहर पैदा किया है और जो लोगों में कमियां रही हैं वह जहर डेमोक्रेसी को खोखला करके रहेगा। मैं निवेदन करूंगा कि निष्पक्षता की भावना उस हद तक नजर आती है जहां पर कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है। जहां पर थोड़ा बहुत भी इन्ट्रेस्ट आता है वहां हर कीमत पर राज्य कर्मचारियों को डिमोरेलाइज करके ऐसे काम कराते हैं जो न हमें शोभा देते हैं और न उनको। आज लोगों में असंतोष पैदा हो रहा है। मैं राज्य कर्मचारियों से मिलता रहता हूं, मुझसे नीचे और उच्च कर्मचारी मिलते रहते हैं। लोगों को विश्वास नहीं है कि उनके साथ कोई न्याय होगा इसलिए जब तक वह भावना पैदा नहीं होगी कि उनको न्याय मिलेगा तब तक उनके साथ न्याय नहीं हो सकता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज जब मौका मिला है तो इस दिन आपको सच्चाई और ईमानदारी से गौर करना चाहिए और इस बात को मान लीजिए कि आपने उस भावना से इन पांच सालों में काम नहीं किया जिससे जनतन्त्र की नींव मजबूत होती। यदि कोई भावना अब तक रही है तो वह गुटबन्दी की, पार्टी बन्दी की और हमेशा आपने हर तरीके से नैतिकता को नीचे लाने की कोशिश की है। मुझे कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि अनैतिकता ने नैतिकता को महान् चुनौती दे रखी है और अनैतिकता कामयाब होती जा रही है। यदि यही हालत रही और इसी तरह से चला रहा तो वह दिन आयेगा जब जनता आपको उठा कर फैंक देगी। जनता आपको माफ थोड़े समय के लिए करती है। आज अपोजीशन आपको एक पार्टी के रूप में नजर नहीं आता क्योंकि पार्टियों की नजर से वोट डालना पड़ता है और गुट को महसूस कर वोट डालना पड़ता है, लेकिन आज जिस पर कांग्रेस सदस्य मेजोरिटी में आ जाते हैं, उसको एनेलाइज करें, जिस तरह वोट पड़े हैं, उसका एनेलाइज करें तो पता लगेगा कि जनता में आप वह भाव पैदा नहीं कर सके जो कि जनता में आपको करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, अधिक समय मैं नहीं लेना चाहता। संभवत: दूसरे लोग बोलने वाले हैं। आज का ही दिन है, क्योंकि शायद सरकार भी नहीं चाहती कि जाते वक्त बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी की जाय, लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि हमारे यहां जनतन्त्र में अगर कोई बुनियादी चीज है तो इलेक्शन्स है। इलेक्शन्स में जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, जिन लोगों ने गड़बड़ी कराई है और उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों ने इलेक्शन्स में गड़बड़ियां कराई हैं उनकी जांच अवश्य कराई जानी चाहिये। यह ठीक है कि बहुत जगह निष्पक्ष रीति से काम हुआ है परन्तु जहां भी पक्षपात हुआ हो, चाहे कितना ही हुआ हो, वहां जांच अवश्य करानी चाहिये और जो दोषी पाये जायं, चाहे वे आपके ही साथी क्यों नहीं हों, उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री ब्रजनदास—Mr. Chairman, I believe this is a conventional motion for thanks for a conventional speech, that Hon'ble the Governor has delivered to the House. If we really look into the matter I believe the Hon'ble the Governor did not tell to the House anything substantial to be done by the Government for which we should really thank him. He just said away something for the sake of saying, for which the Government does not deserve any credit. The Hon'ble Governor said that the elections were too fair in this State. My own experience tells me that the last elections were most unfair, the equal of which we cannot possibly find in this world. The greatest chaos comes in these elections from the continuance of the Hon'ble Ministers who tried to seek re-elections. From my own experience I can say that if an Hon'ble Minister seeks elections and continues to be a Minister, the fairness of the elections cannot be granted. A Minister who wants to re-seek election should resign his post of a Minister and then come before the public and re-seek elections. But unfortunately, the Hon'ble Minister continued to be on the posts, they exercised all possible influence, they went their own constituencies, they transferred Government servants in their own constituencies and asked them to work for them, and beyond that I can say that having finished their own constituencies, they go about to other constituencies, and tell them that this election is being sought by the Hon'ble Minister himself. In my own constituency, Sir, I can only say that I was opposing not a Congress candidate but the Hon'ble Minister for Basic Education himself. The Hon'ble Minister for Basic Education having finished his own election campaign came down in my constituency, viz., Ajmer City West, went up from place to place in my constituency, and told the voters that it is not Dr. Pohumal who is fighting the election, but it is the Hon'ble Minister for Basic Education seeking election from Ajmer City West, and now that I have won the election, I can conveniently say that I have not defeated Dr. Pohumal, but I have defeated the Hon'ble Minister for Basic Education.

Apart from this I also came to know one thing, when I went to the Musalmans of my constituencies, Mr. Abdul Rahim...told me that he could not properly work for me because once the Hon'ble Chief Minister and the present Hon'ble Minister for Basic Education met him and he actually threatened him and told him, "You Musalmans, you have got to support the Congress, failing that..."

This is the threat given to the Musalmans. This is the type of coercion which is being done at the point of bayonet, that the Ministers are seeking posts in the Congress from the Musalmans and scheduled castes. Still, we call it fair elections. I think we are misguiding our own-self. We cannot possibly call it fair elections where the Minister work for their constituencies. If they want to work, they should first resign. A public servant is not entitled to work in the elections. The Hon'ble

[श्री अर्जुनदास]

Ministers are also puclic servants, but unfortunately the Hon'ble Ministers observe this rule by violation and not by observance.

I will really thank the Governor if he could show us that the elections were fair. I challenge that every statement of mine is correct. No statement of mine is wrong. If my statement is wrong, then I am prepared to resign from the membership of the House to which I have been elected. If it is not so, the Hon'ble Minister for Education should resign. I am really ashamed to see that the Ministers go and work up against the members of the opposition in their own constituency.

The Government servants were being pulled up and asked to support the Congress candidate. They were again being transferred from one place to another to make the election of the congress candidate and especially the Ministers in their constituency easier. We cannot tell it a fair election.

Apart from this, I have to point out another thing. The Governor spoke about fair price shops in the State. At least in this election all the persons to whom fair price shops have been allotted have been asked openly to work for Government. I could not understand why it is so ? Possibly Government tried to gain something out of this also by allotting them fair price shops. They are their own 'pitthoos' and not real dealers in foodgrains. We, sitting here, openly hear that the fair price shops are really a misnomer. The public cannot get foodgrains there. I personally had tried to get it, but I could not get it so far from those fair-price shops. The whole foodgrains are being sold away in the black-market and thus those fair-price shops are being allowed to deal in black-market. The public cannot get foodgrains there. We cannot possibly meet the demand of the public in the way in which these fair-price shops are being run. There should be some ration cards or some method by which people can get foodgrains there. There is no certainty of anybody getting it. The dealers engage certain persons who pay 8 annas and get the foodgrains. All others have to stand in a queue. If anybody in the public goes there the dealers say, the big line is alreaey waiting. Foodgrains are issued to them ; they are being returned back to the dealer who again sells them in the black-market. There is a big queue of 100 people. How can we possibly buy from these fair-price shops ? We cannot get the ration that we need. But Government does not want to do it. The best thing is to find out some method by which anybody and everybody may get it. If you cannot do it, issue ration cards, so that we can get what we need :

Then there is another thing in these elections. Most of the motor-lorry permit holders were working for them. Most of them. I do not think, why Govern-

[श्री अर्जुनदास]

ment is trying to continue the monopolies ? If you want to do it, the best thing is to nationalise the motor lorries, or make it a competitive business. Allow anybody to deal it so that he can compete and the public can get the advantage of this competition. But our present Government does not want this business to be done by competition. Competition alone can give us service. But the present Ruling Party does not want to give the public the benefit of this competition. The permits are being issued to those who look upon the Congress and the last election could easily say that most of the permit holders and license holders were supporting the Congress, because they were afraid that their permits and licenses cancelled by the Covernment. So long as these monopolies are continued I will only say—one process the Government abolished Jagirdari, but under shadow you are creating new Jagirdars-these License holders and the permit holders-they are new Jagirdars which are created by the present Government for their own interest and not for the benefit of the public. It is only advantagous to the Ruling party and the license holders and the permit-holders. The general public is not benefited and loose heavily.

I would not like to speak but I would say a few words so far as the education is concerned. My own feeling is that school buildings are not constructed and schools are not properly run in manner. I have two suggestions to make. There are aided schools who get 90 percent from the Government. They all should be made Government schools rather than the Government aided schools. I would like to point out that these Government aided schools are run on party political basis and not for advantage to the public. We do not want to take all these schools as Government Schools and to spend 10 percent more. The Government aided Schools are given 90 percent grant and the remaining 10 percent they have to spend, but my own experience is that they take 10 percent from the Government and even more than this. By legal means they try to get the remaining 10 percent from the Government and even more than that. The managment has to spend 10 percent while the managment is run by the private parties. Why the Government do not take directly under control and the other services ? We need buildings and a number of buildidgs in town are rented buildings. School buildings are short and some of the schools buldings are dark and we cannot sit there and we cannot allow our children to sit there for the sake of education. There are no furniture and the children have to sit on the ground, because the Goverument do not give furniture. I would request the Government to look at it and make provision for construction of school

[श्री अर्जनदास]

buldings and for the furniture. I do feel that once the school buildings are provided the dark rented school buildings would be vacated.

I take my seat while saying that not to pass this vote of thanks to th Governner.

श्री भैंरू सिंह (१६)—माननीय सभापति महोदय, श्री राज्यपाल के अभिभाषण में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जिसके सम्बन्ध में इस सदन में पहले भी सरकार की रीति नीति में कमियें रही हैं उनके बारे में जिक्र नहीं आया हो। सबसे ज्यादा राज्यपाल के अभिभाषण में जिस बात पर जोर दिया गया है वह है चुनावों के सम्बन्ध में। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में आशा जाहिर की है राजस्थान के चुनाव बड़ी कामयाबी के साथ सम्पन्न हुए हैं। कामयाबी का तात्पर्य, मैं समझता हूँ जहां तक राज्यपाल की मंशा होगी, यही होगी कि चुनावों के सम्बन्ध में सरकार की ओर से उस नैतिक प्रणाली को अपनाया है जो प्रजातन्त्र तक लिये आवश्यक समझते हैं। चुनावों के बारे में मेरे से पहले, मेरे पूर्व वक्ता श्री अर्जनदास ने आपत्ति उठाई थी कि चुनावों से पहले इस सदन के सदस्य जो मंत्री पदों को सुशोभित करते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको यह चाहिये था कि वे अपना त्यागपत्र देकर जनता के साधारण नागरिक की तरह वोटों के लिये प्रार्थना करते और भिक्षा मांगते। मगर ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान सरकार की बदकिस्मती इससे भी ज्यादा है कि यदि वैधानिक आपत्ति के कारण या विधान में इस प्रकार की व्यवस्था होने के कारण राजस्थान के मंत्रीगण चुनाव के समय भी इस्तीफा नहीं देते तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक ऐसी अजीब परिस्थिति पैदा हुई है मंत्रियों के लिये जिसके कारण ऐसी चिन्ता होती है कि कोई चुनावों में जो आज साधारण श्रेणी के लोग स्वतन्त्र मत देने का अधिकार समझ कर वोट डालें कहीं ऐसा न हो कि उससे वे जंजीरों में जकड़े जावें, जिसके कारण वे अपने स्वतन्त्र अधिकारों से भी वंचित हो जावें। जिस समय नोमिनेशन फाइल किया जा रहा था उस दिन, जनवरी २९ को, राजस्थान प्रदेशिक कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री जयनारायण व्यास ने, जो सदन के एक सदस्य भी हैं, पत्रकारों को भेंट में बताया कि जिन लोगों को कांग्रेस के टिकट नहीं मिले वे इसी कारण से नहीं मिले कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के लिखित आरोप थे। वह 'राष्ट्रदूत' पत्र मेरे पास है जिसकी दो लाइनें मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं :—

"......उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों का मनोनयन एक सिद्धान्त के आधार पर हुआ है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध कागजी सुबूत सहित आरोप लगाये गये थे तथा जिन्होंने कांग्रेस के अनुशासन को भंग कर गत चुनाव में कांग्रेस का विरोध किया था उन्हें स्थान नहीं दिया गया।"

सभापति महोदय, यदि साधारण सदस्य के बारे में कोई इलजाम लगाया जाता तो ऐसा

[श्री मंगलसिंह]

समझा जा सकता था कि वह एक दल के अनुशासन में नहीं रहा या किसी दल का प्रभाव उस पर नहीं रहा जिसके कारण से उसको किस प्रकार से पिनेलाइज़ किया जावे। लेकिन जिन लोगों को टिकट नहीं मिले उनमें राजस्थान के तीन मन्त्री आते हैं। उनके खिलाफ उनके अध्यक्ष का भाषण है उसमें उनके खिलाफ अनुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इसलिये चाहिये तो यह था कि वे मन्त्री पद पर बने न रहते और जिस दिन लोक-नायक श्री व्यास ने अपना यह वक्तव्य पत्रकारों को दिया उनके खिलाफ उनको जांच करवानी चाहिये थी। उनके फौरन त्यागपत्र लिये जाने चाहिये थे और उसके बाद में अगर जुर्म काबिल दस्तन्दाजी पुलिस है तो उनको पुलिस के हवाले करना चाहिये था, मगर ऐसा नहीं हुआ। नोमिनेशन फाइल करने के बाद भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। लोग यह सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी त्यागपत्र दे देंगे लेकिन त्यागपत्र देने का नाम नहीं। उन लोगों ने अपने इस्तीफे दे दिये जिनको चुनावों में हार खानी पड़ी। उनको चाहिये था जिन्होंने चुनाव नहीं लड़े फौरन इस्तीफे दे देते। अगर उस समय नहीं दिये तो अपने नेता के वक्तव्य के बाद तो, जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप बताये गये, इस्तीफा दे ही देना चाहिये था, लेकिन वे लोग अभी भी मंत्री के रूप में यहां बैठते हैं, राजस्थान के सचिवालय में बैठ कर दस्तखत करते हैं। फिर भी राज्यपाल कहते हैं कि चुनाव कामयाबी से हुए, चुनावों में शान्ति भंग नहीं हुई। राजस्थान में कांग्रेस का बहुमत हो गया। यदि यह सारी कामयाबी सत्ता के बल पर ली गई है तो ठीक है। लेकिन आपको यह देखना होगा कि यह कामयाबी किस ढंग की हांसिल की? सत्ता के बल हर कामयाबी प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है और न इसमें कोई बहादुरी है। सत्ता के बल पर तो सभी कामयाब हो जाते हैं। मगर एक आश्चर्य की बात है कि सत्ता पर होते हुए भी झूठे-झूठे प्रचार करना, कहां तक कामयाबी की निशानी है? चुनावों के समय में गांव के लोगों को मैंने स्वयं ने हमारे मंत्रियों द्वारा यह कहते सुना है कि अगर आप विरोधी दल के सदस्यों को वोट देंगे तो, इसका नतीजा यह होगा कि आपके इस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी विकास का कार्य नहीं होगा और अगर आप हमको वोट देंगे तो हम आपके लिए अनेक विकास के काम करवायेंगे। साथ ही उन्होंने उदाहरण भी दिये हैं कि देखो फलां जगह से विरोधी दल के सदस्य आये और उस क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, कोई हाई स्कूल नहीं बने हैं, कोई भी इन्टर कॉलेज नहीं बने हैं। तो इस प्रकार से गांव के लोगों को गुमराह किया गया। आप ही बतायें यह बात कहां तक उचित है? वह कहते हैं कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो आगे चल कर तुम्हारे क्षेत्र में विकास सम्बन्धी कोई भी काम नहीं होगा। मुझे माननीय सभापति, इस बात का खेद है कि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र पनपे और फिर साथ ही प्रजातन्त्र को कामयाब बनाने के लिए यह भी चाहते हैं कि एक अच्छा विरोधी दल भी हो और दूसरी ओर मन्त्री लोग ही यदि जनता में जाकर भाषण देते हैं कि यदि आप लोगों को अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करवाने हों तो कांग्रेस को वोट दो। तो आप ही बतायें कि अगर हमारे मन्त्री लोग ही जनता में जाकर इस प्रकार का भाषण देते हैं तो जनता इसके बारे में क्या सोचेगी? क्या इससे जनतन्त्र पनपेगा, कोई भी इस सिद्धान्त को नहीं मानेगा।

[श्री भैरू सिंह]

कांग्रेस के लोगों को, जिनकी सरकार है, उनको वोट देना चाहिए यह कोई अच्छा सिद्धान्त नहीं है। मैंने स्वयं ने अपने यहां के मन्त्री लोगों को कहते सुना है कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, तुमसे रेवेन्यू की इन्कम नहीं होगी। इस प्रकार की बातें वास्तव में चुनावों के समय पर मन्त्रियों की ओर से कही जायें यह शोभा नहीं देतीं। इतना होते हुए भी और इस प्रकार के आश्वासन दे देने के बाद भी लोगों पर टैक्स उसी प्रकार से लगते हैं, लगान उसी रूप में देना पड़ता है, सरकार की जितनी लाइबिलिटीज़ होती हैं वह तो सभी को उसी प्रकार से भुगतनी पड़ती हैं, इनके आश्वासनों का इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें कहना प्रजातांत्रिक सरकार के लिए अपमान की बात है। यदि टैक्स वगैरह के लिए हम सरकार को 'सरकार' के रूप में देखें तो वह मां-बाप के समान है और टैक्स देने वाले पुत्रों के समान हैं। तो इस प्रकार से कहना कि इस क्षेत्र के लोगों से लगान नहीं लिया जायगा, टैक्स नहीं लिया जायगा तो फिर यह क्षेत्रों के साथ सौतेले पुत्र का सा व्यवहार क्यों ? अगर इसी तरह से सौतेले पुत्र की भांति व्यवहार हमने किया तो भविष्य में प्रजातन्त्र के स्थान पर दूसरे ही राज्य स्थापित होंगे और इस प्रजातन्त्र का नाम खत्म हो जायेगा और फिर वही पहले की सी स्थिति हो जायेगी।

अब मैं चुनाव के बारे में दो एक बातें और कहूंगा। वैसे चुनावों में सरकार को बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए और साथ ही सरकारी चीजों का अथवा संस्थाओं का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और इन सभी बातों के लिए सदन में कई बार आश्वासन दिये जा चुके थे, मगर इन चुनावों में मैंने ऐसा नहीं पाया। अब जितनी भी छोटी छोटी मशीनरी हैं, जैसे जल-बोर्ड है, जिला-बोर्ड है, यह सब चुनावों में काम कर रहीं थीं। इसी प्रकार से मैंने देखा कि मारवाड़ रिलीफ सोसायटी भी चुनाव में काम कर रही थी। अब उसके लिए सरकार द्वारा यह कहा जा सकता है कि यह कोई गवर्नमेन्ट बोडी नहीं है, मगर फिर भी आधी सरकारी संस्था तो अवश्य है, इसके किसी भी भाग का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। इस सदन में कई बार मन्त्रियों की ओर से आश्वासन दिया गया था कि राजनैतिक दलबाजी में किसी प्रकार का कोई भी दल भाग नहीं लेगा। लेकिन मैंने सीकर में देखा है कि वहां के जिला बोर्ड के सभी कर्मचारी और गाड़ियां काम कर रहीं थीं। इसमें जितने कर्मचारी थे वह सारे के सारे कांग्रेस के कट्टर समर्थक थे। मैं आपको क्या क्या बताऊं। हमारे मंत्रियों द्वारा तो इतना तक कहा गया है कि अगर आपको नये कुवे बनवाने हैं, उनके लिए पैसा लेना हो या उनकी मरम्मत करवानी हो तो कांग्रेस को वोट दो। अगर माननीय मंत्री चाहेंगे तो मैं उनको उन गांवों की लिस्ट बता सकता हूँ जो कि मैंने बनाई है कि जहां पोलिंग के दूसरे ही दिन कुवे बनाने के लिए रुपया दे दिया गया। कांग्रेस ने वहां देखा कि अब हमें पूरी उम्मीद है और जीत जायेंगे, पोलिंग उनका अच्छा हुआ तो दूसरे ही दिन कुए आदि बनवाने के लिए रुपये दे दिये गये। ऐसे करीब १२ गांव हैं जिनकी लिस्ट मेरे पास है। जल-बोर्ड में जितनी भी कारें थीं वह सब की सब कांग्रेस का प्रचार कर

[श्री भैरूंसिंह]

रहीं थीं। यह मैं मानता हूँ कि यह सरकारी संस्था नहीं है, लेकिन जो पैसा खर्च होता है वह सरकार का ही है। जनता पैसा जल-बोर्ड को देती है, जल बोर्ड का पैसा जनता के लिए होता है। इसी तरह से सीकर के जिला बोर्ड में से जिन लोगों पर भ्रम था कि यह कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे उनका ट्रांसफर कर दिया गया। एक वैद्य जो एक स्थान पर था उसको दूसरे स्थान पर भेज दिया गया। सारे सीकर जिले के जितने भी कर्मचारी थे उनसे इस बात का आश्वासन लिया गया कि वह कांग्रेस की खिलाफत नहीं करेंगे। उनसे पूछा गया कि वह खिलाफत तो नहीं करेंगे उन्होंने कहा कि नहीं, हम कांग्रेस का ही प्रचार करेंगे। जिस समय चुनाव होने वाले थे उस समय राजस्थान सरकार की ओर से आदेश निकले थे कि आयन्दा से जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका ट्रान्सफर नहीं होगा और जहां तक मैं समझता हूँ कि वह आदेश इसी भावना से जारी हुए थे कि इनका किसी प्रकार से चुनाव में दुरुपयोग न हो। मैंने अभी दो तीन रोज में सारे राजस्थान के राजपत्र देखे तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि उस आज्ञा को कार्यरूप में परिणत किया गया हो ऐसी बात नहीं है। राजस्थान में सभी जगह स्थानान्तरण हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि सरकार यही उत्तर देगी कि जितने भी स्थानान्तरण हुए हैं वह सब सरकार के इन्टरेस्ट में हुए हैं, इस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों का नाजायज़ फायदा उठाया है। जिस भावना से आपने आदेश जारी किये उनसे चुनाव पर बहुत बुरा असर पड़ा है।

सभापति महोदय, स्थानान्तरण का तो पहला प्रश्न था, इसके बाद आश्वासन का प्रश्न आता है। कोई यह कहे कि मन्त्रियों ने लोगों को आश्वासन नहीं दिये, यह कोई नहीं मान सकता। यह एक ओर तो मन्त्री हैं और दूसरी ओर कांग्रेस के उम्मीदवार। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के सदस्यों के नाते जो घोषणापत्र में मोटी-मोटी बातें हैं, उनका, पहले उनको पालन करना चाहिए। अगर वह किसी प्रकार के आश्वासन मन्त्री की हैसियत से अपने पुनः चुन कर आ जाने के बाद के दे देते हैं तो फिर सरकारी कर्मचारियों में और मन्त्रियों में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं रह जाता है। लेकिन आज्ञाओं के पालन करने में यदि सरकारी अधिकारी थोड़ा बहुत भी राजनैतिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो वह सब के लिए आपत्तिजनक है। लेकिन जो आज्ञा दी है, जिस दृष्टिकोण से आज्ञा प्रसारित की जाती है अगर उसको सही रूप में अपनायें तो वास्तव में बहुत ही सुन्दर हो। एक माननीय मन्त्रीजी ने राजस्थान का खूब दौरा किया और हर जगह जाकर यह कह दिया कि जितनी भी हरिजन बस्तियां हैं वे पक्की बनेंगी, सारे हरिजनों के बच्चे एम० एल०ए० बना दिये जायेंगे, गजेटेड ऑफिसर बना दिये जायेंगे। तो इस प्रकार के हर जगह आश्वासन दिये गये। मैं समझता हूं कि लोगों पर ऐसी बातें सुनकर उल्टा असर पड़ता है। लोग मुगालते में नहीं आये। अगर वास्तव में देखा जाये तो यह मन्त्री-पद का दुरुपयोग है। पब्लिक को परेशान करने के लिये, वोटर्स को अट्रेक्ट करने के लिये कई प्रकार के हथकन्डे किये गये, इस पर भी माननीय राज्यपाल द्वारा यह कहा जाना कि चुनाव निर्विघ्नता से समाप्त होगये, यह सही नहीं है।

[श्री भैरूंसिंह]

इसके अलावा सभापति महोदय,............

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि १२ बजे सरकार की ओर से उत्तर दिया जाना तय किया है इसलिये आप अपना भाषण जल्दी से समाप्त कर दीजिये, ताकि दूसरे सदस्यों को भी बोलने का समय मिल सके, आपको और भी कई अवसर मिलेंगे।

श्री भैरूंसिंह—और कोई सदस्य बोलने वाले हों तो मैं बैठ जाऊं ?

(विराम)

तो मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय सभापति महोदय, इस शासन के सम्बन्ध में जो माननीय राज्यपाल ने बाते कहीं कि इस शासन ने चुनाव में बड़ी कामयाबी के साथ कार्य को अन्जाम दिया, यह तो मुझे बिल्कुल असत्य मालूम होता है। मैं यह नहीं चाहता कि इस प्रकार के राज्यपाल के भाषण पर उनको धन्यवाद दिया जाय इतना हो निवेदन कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री गौरीशंकर आचार्य—माननीय सभापति महोदय, हमारी विधान सभा में कुछ सदस्यों ने माननीय राज्यपाल को धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव रखा है उसका विरोध किया है। मैं यह समझता हूं कि यह इस विधान सभा का आखिरी सत्र होने के कारण विरोधी दल के सदस्यों को जरूर इस ओर गंभीरता से सोचना चाहिये था। जिस शासन ने अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाया उसको अवश्य धन्यवाद दिया जाना चाहिये। जहां तक राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में अपनी सरकार के कार्यों का सिंहावलोकन किया है यह निर्विवाद बात है कि, राजस्थान की परिस्थीत को देखते हुए और देश में जो आन्धी और तूफान उठे उनको देखते हुए, हमारी सरकार ने जिस अच्छे ढंग से अपना काम चलाया और राजस्थान में जो अमन और शान्ति कायम रहने दी और निर्माण कार्यों में प्रगति प्राप्त की उसके लिये हमारी सरकार को बधाई अवश्य दी जानी चाहिये थी। जो प्रगति प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में राजस्थान सरकार द्वारा की गई उस पर भी यह कहना कि कुछ भी काम नहीं हुआ मैं समझता हूं यह सत्य से दूर जाना है। मैं उन माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा जिनकी इस प्रकार की धारणा है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में कुछ भी कार्य नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि उन्होंने सामुदायिक योजना खंड जाकर नहीं देखे जो गांव सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत आये उनको जाकर देखें अपनी आंखों से देखें तो उनको पता चला जाएगा कि कितना काम हुआ है। मैं जो ये बातें कह रहा हूं बगैर देखे नहीं, आज ये सब चीजें कागजों में और आंकड़ों में

[श्री गौरिशंकर आचार्य]

उपलब्ध हैं। इस प्रथम पंच वर्षीय योजना में हमारे यहां अनाज का उत्पादन बढ़ा, सिंचाई के साधन बढ़े, इस पर भी यह कहना कि कुछ कार्य नहीं हुआ, तो आखिर सत्य किसको कहा जायगा ?

राज्यों के पुनर्गठन को लेकर हमारे देश में कई प्रकार के तूफान आये लेकिन राजस्थान में शान्ति रही। यह हमारे शासन की सुदृढ़ नीति का परिचायक है। काश्मीर की समस्या को लेकर युद्ध के नगाड़े बजे फिर भी हमारा प्रान्त, सीमावर्ती प्रान्त होते हुए भी, उसका हमारे प्रान्त पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा। यह होते हुए भी हमारा विरोधी दल अपनी सरकार को बधाई न दे, तो आखिर फिर कब देगा ?.

देश में बहुत प्रकार के आंधी और तूफान आये, सीमा के आस पास कुछ वारदातें भी हुई किन्तु राजस्थान में शान्ति रही, यहां का शासन निर्विघ्नता के साथ चलता रहा, इस पर भी क्या सरकार बधाई की पात्र नहीं ? यह होते हुए भी कि राजस्थान का ढ़ांचा अन्य क्षेत्रों से विचीत्र है, न सिर्फ पार्टी के नाते विचित्रता रही यहां की विधान सभा की नीति भी विचित्र रही, उस विचित्रता के गढ़ में भी शासन की बागडोर सफलता के साथ संचालन होती रही, क्या इसके लिये भी सरकार बधाई की पात्र नहीं ? बीच का पीरियड़ होता तो विरोधी दल शायद दो चार गालियां भी देदेता। आखिरी सेशन है, आखिरी वक्त में तो दुश्मन भी बधाई दे देता है आप भी धन्यवाद दे। और उनके कुछ न कुछ सफलता के काम बता देते। सरकार ने इतने भयानक तूफान और आंधियों के बीच सफलता के साथ चुनाव सम्पन्न करा दिये यह भी बधाई की चीज़ है। यह कहना कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में कुछ काम नहीं हुआ यह कहकर हम उनके प्रति अन्याय करेंगे और आखिर हमें यह भी सोचना है कि आखिर इतिहासकार क्या हमें इस बात के लिये कृतघ्न नहीं कहेंगे ? मैं विरोधी दल के सदस्यों से कहूंगा कि यह विधान सभा का आखिरी अधिवेशन होने के कारण राजस्थान सरकार ने जो कुछ कार्य किये हैं उनको ईमानदारी से देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि वास्तव में राज्यपाल को भाषण के सिलसिले में धन्यवाद दिया जाना चाहिये। आज किसान यह कहते हैं कि किसानों के लिये इस सरकार ने कुछ नहीं किया, हमारे किसान भाई भी यह सोचने लगें तो फिर क्या कहा जाय ? जिन किसानों के लिये कांग्रेस सरकार ने राजाओं से, जागीरदारों से और भू-स्वामियों से लड़ाईयां लड़ीं, जिस सरकार ने अपनी टोपी और वेश-भूषा को जलते देखा वही किसान इस कांग्रेसी सरकार को गालियां दें तो मैं यह मानूंगा कि वे अपने आप अपनी जड़ों पर कुठाराघात कर रहे हैं। कांग्रेसी सरकार ने किसानों के हित के लिये राजाओं से अधिकार लिये, जागीरें लीं, भू-स्वामियों से लड़ाई मोल ली और उन अधिकारों को किसान की झोंपड़ी तक पहुंचाया, इस पर भी अगर किसान लोग कांग्रेस सरकार को और राजस्थान की सरकार को धन्यवाद नहीं देते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे भारतीय संस्कृति पर कृतघ्नता का एक बड़ा भारी दोष लगेगा। किसानों को तो राजस्थान सरकार के प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहिये जिसने विपरीत समय में सारी सत्ता दूसरों से लेकर किसानों के चरणों में सौंप दी। यह उनके खुद के देखने की

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

बात है कि वे इसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। किसानों को सत्ता देने के मामले में कांग्रेसी सरकार द्वारा जो कुछ हो सका उसको करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। कुछ विशेष प्रकार की सफलताओं की मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, अगर आज कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो आज हमारे यहां राज्यपाल का भाषण नहीं होता, इनके बजाय राजप्रमुख का भाषण होता। अगर हमारी कांग्रेसी सरकार दृढ़ नहीं रहती तो आज हमें राज्यपाल का भाषण सुनने को नहीं मिलता। इस राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर हमारी कांग्रेसी सरकार ने राजाओं का विरोध किया? आपसी विरोध लेना पड़ा, गलियों में राजाओं ने परेशान करना शुरू किया। एक तरफ राजाओं से अधिकार छीने और वे किसानों को दिये इससे ज्यादा और क्या अच्छे काम हो सकते हैं? सीमावर्ती इलाका होने के कारण भी यहां किसी प्रकार की अशान्ति नहीं फैलने दी, इसके अलावा जो अन्दरूनी हालत जानते हैं उनको पता है कि कितनी बाधाओं का सामना किया इस कांग्रेसी शासन ने। इतना होने पर भी हम बधाई न दें तो यह उचित नहीं होगा। इतनी हालत प्रतिकूल होते हुए भी जो लोग शासन की गाड़ी चला रहे हैं वे बधाई के पात्र अवश्य हैं।

इतना होते हुए भी मैं यह मानता हूँ कि अभी बहुत कुछ कार्य होना बाकी है, उसकी ओर भी इशारा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। आज हम राजस्थान के नक्शे को देखते हैं तो हमें एक ऐसा इलाका भी देखने को मिलेगा जहां रेत ही रेत है। यह सत्य है कि आपने जगह जगह कुए खुदवाये लेकिन आपका ध्यान इस रेगिस्तानी इलाके की ओर नहीं गया। इस रेगिस्तान को रोकने के लिये जहां भारत सरकार प्रयत्नशील है वहां राजस्थान सरकार इस ओर आंखें मूंदे हुए है। यह समस्या बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। आज राजस्थान के इस हिस्से के रहने वाले लोग पानी के लिये लालायित हैं, आपने इस मरु-भूमि को रोकने के लिये कोई अनुसन्धान नहीं किया। आपने सामुदायिक योजनायें बहुत सी जगह चलायीं, लेकिन इस मरु-भूमि को रोकने के लिये, वहां के लोग पानी के लिये मरते रहें, गर्मियों में आंधी और तूफान के शिकार होते रहें, इस ओर आपका ध्यान नहीं गया। आप उदयपुर के पहाड़ों की ठंडी हवायें खाते रहें, जयपुर के महलों में आराम करते रहें, लेकिन आपको यह भी सोचना चाहिये कि हमारे राजस्थान में एक ऐसा भी हिस्सा है जहां रेत ही रेत है, उसको रोकने का प्रयत्न करें, उस इलाके को आगे लाने का प्रयत्न करें।

हमने प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अनाज की पैदावार में वृद्धि की लेकिन जहां तक भाषा का प्रश्न है उसको हम हल नहीं कर पाये। आज हम अपनी राष्ट्रभाषा को सरकारी कार्यों में उपयोग में नहीं ला सके। जहां पहले हिन्दी का प्रयोग होता था आज वहां पर भी अंग्रेजी चलने लगी है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

शिक्षा के मुतल्लिक में बताना चाहूंगा, जहां हमने शिक्षा के फैलाव की ओर ध्यान दिया वहां हमने राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या को हल नहीं किया। जहां हम देखते हैं योरोप में, अमेरिका

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

में, इंगलेन्ड में, जहां शिक्षा का प्रतिशत बड़ा है वहां हमने अपने प्रान्त में लोक-शिक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया। यहां गंवार और अशिक्षित काफी संख्या में हैं। जिस प्रकार हम बेकारी के खिलाफ जंग करते हैं उसी प्रकार हमें अशिक्षा को मिटाने के लिये भी जंग करनी होगी।

चिकित्सा के मामले में मेरा निवेदन है कि हमने राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की प्रगति की ओर ध्यान नहीं दिया, जितना बढ़ावा हमें अपनी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति को देना चाहिये वह नहीं दे पा रहे हैं। जहां सरकार ने आयुर्वेद के लिये कुछ नहीं किया वहां सार्वजनिक संस्थाओं ने जो कुछ किया उन्होंने सरकार के दरवाजे खट-खटाये किन्तु किसी प्रकार की सहायता सरकार से उनको नहीं मिल सकी। मैं तो मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको तो आपको सहयोग देना चाहिये। आखिर यह आयुर्वेद, राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति किसका दरवाजा खटखटायेगी ?

यह भी कहना चाहूंगा आप सब पुरुष सदस्यों से कि आखिर इन महिलाओं के उत्थान के लिये आपने क्या किया ? महिला जागृति के मामले में योरोप ने काफी किया, पर भारत ने क्या किया ? भारत और खासकर राजस्थान ने क्या किया ? भारत में और खासकर राजस्थान में महिलाओं की हालत बहुत बुरी है। इस पिछले अर्से में हमें इस क्षेत्र में जितनी जागृति करनी चाहिये थी वह हम नहीं कर सके हैं। काश कि यहां महिला सदस्याएं आधी के करीब होती तो सम्भव है वे अपने पक्ष को यहां अच्छी तरह से रख सकी होतीं। यह भी एक बहुत बड़ा काम है और मैं आशा करता हूं कि आने वाली सरकार और आज की यह सरकार भी इनका पूरा पूरा ख्याल रक्खेगी।

हमारे विरोधी दल के सदस्यों के दिमाग में अभी पुरानी अंग्रेज सरकार के जमाने की गुलामी के संस्कार मौजूद हैं। तभी तो उधर से एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमारा चीफ सेक्रेटरी और आई० जी० पी० बाहर से आना चाहिये। एक आई० जी० पी० के बारे में जो बाहर से आया तो मेरी जानकारी है कि वह लाखों का माल बनाकर यहां से ले गया और लाखों को बुद्धू बनाकर ले गया और फिर भी हम कहते हैं कि आई० जी० पी० बाहर से आए। फिर अंग्रेज ही क्या बुरे थे ? वे भी तो यही कहते थे कि हुकूमत बाहर वालों को करनी चाहिये, लोकल अच्छे नहीं होते, योग्य नहीं होते। तो यह गुलामी की प्रवृति दूर करनी चाहिये; अब तो जब कि देश स्वतन्त्र हो गया है। हमें यहीं ऐसे व्यक्ति तैयार करने चाहिये कि जो निष्पक्ष और निस्वार्थ राज्य चला सकें। तो यह बाहर से बुलाये जाने की सोचने की प्रवृत्ति बन्द करनी चाहिये। यह भी कहा गया कि सेक्रेटरी और डिप्टी-सेक्रेटरी वगैरह का कोई दोष नहीं,' ये तो जो कुछ करते हैं ऊपर के इशारे से करते हैं, चाहें कागज का इशारा हो, चाहे फोन का, इससे या तो आप यह समझते हैं कि आपके मिनिस्टर लोग बुरे हैं। इस बारे में मेरा यही निवेदन करना है कि हमें इस बारे में बहुत सन्जीदगी से काम लेना चाहिये। शासन की कुछ मर्यादाएं हैं। आप यहां आलोचना करें, मिनिस्टरों को भी

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

जो चाहें सो कहें पर शासन के हाथ पैरों को लान्छन लगाना उचित नहीं। इसलिये ये ब्रिटिश शासन काल की गुलामी के जो चिन्ह अवशेष रह गये हैं उनको निःशेष कर देना चाहिये।

अभी जयपुर, जोधपुर और नागौर आदि के नाम से चर्चा की गई। मैं निवेदन करूं कि हमें समस्त राजस्थान को एक समझकर चलना चाहिये। इस प्रकार हम हमारे देश की और प्रान्त की अधिक सेवा कर सकेंगे।

मुझे बहुत कुछ कहना बाकी है, जिसका बड़ा लम्बा चौड़ा लेखा अपने सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, पर समय नहीं है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं और हिन्दुस्तान के पास सबसे बड़ी अहमियत भरी चीज अगर कोई है कि जिसकी वजह से हमारा मान है और गौरव और प्रतिष्ठा है और जिसके बल पर हम दुनिया को कोई सन्देश दे सकते हैं तो वह है हमारी सबसे बडी कीमती चीज हमारी संस्कृति। हमारे पास सोना भी है, चांदी भी है, उद्योग धन्धे हैं और विपुल प्राकृतिक साधन भी हैं, पर इन सबसे भी बड़ी चीज हमारे पास जो है वह है हमारी अपनी संस्कृति। मैं देखता हूं कि इस ओर हमारी सरकार पूरा पूरा ध्यान नहीं दे रही है। मैं समझता हूं कि हमारी भारत सरकार को हमारी इस संस्कृति की रक्षा के लिये अवश्य कुछ करना चाहिये और खास कर राजस्थान सरकार को तो इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये, जहां अपनी आन और शान और संस्कृति के लिये मरने मिटने वाले हमेशा से अधिक रहे हैं, तो अगर हम ही इसके लिये कुछ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा ? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हम अपने देश और दुनिया का भला सोचते वक्त यह भी सोचें कि अपनी संस्कृति की तरक्की के लिये क्या किया जा सकता है ? हमारी गुलामी का वक्त बीत गया। आज हम एक स्वाधीन देश के नागरिक होने का सौभाग्य रखते हैं, ऐसे वक्त हमें अपनी संस्कृति की ओर अधिक देखना चाहिये। हमें कुछ न कुछ ऐसे कार्य करने चाहिये जैसे कि राणा प्रताप ने अपने समय में जो कार्य किये और जिन कार्यों के कारण उनका उल्लेख इतिहास में स्वर्णाक्षरों में किया गया है, तो आज का इतिहास भी हमारे ऐसे ही कार्यों के कारण सोने के अक्षरों में लिखा जा सके, इसकी चेष्टा करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ जो राज्यपाल महोदय को धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं कोई लम्बा भाषण देने के लिये यहां नहीं खड़ा हुआ हूँ, इसलिये भी कि जो कुछ माननीय सदस्यों ने अब तक कहा है उसमें बहुत ज्यादा ऐसी बातें नहीं हैं कि जिनके विवाद में मुझे पड़ना चाहिये। आम तौर से जो चुनाव राजस्थान में हुए उनके सम्बन्ध में चर्चाएं की गई हैं और इस दौरान में कुछ बातों का जिक्र भी आया। तो सबसे पहले तो चुनावों के अलावा, जो दूसरी बातें मुख्य रूप से कही गई हैं उनके

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

सम्बन्ध में कुछ प्रकाश में डालना चाहूंगा । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान में खाने पीने की चीजों का, खास तौर से गल्ले के भाव ऊंचे होते हुए चले आ रहे हैं। चेयरमेन महोदय, इस सत्य को माननीय राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कहा है और हम भी इस सत्य से इन्कार करें, यह उचित नहीं होगा। नाज के भाव बढ़ रहे हैं यह सही है और इन भावों को कम करने के लिये अधिक प्रयत्न होने आवश्यक हैं यह बात माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है।

बहुत सी दुकानों पर गल्ले का स्टॉक कम है इस बात से भी मैं इन्कार नहीं करता कि गल्ले का स्टॉक कई जगहों पर कम है। लेकिन यहां बीच में भाव ज्यादा बढ़े हमने तुरन्त इसके सम्बन्ध में कार्यवाही की है। गल्ला आ रहा है और जो निकट भविष्य में ही जो भाव हमारे यहां बढ़े हैं वे कम होंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं यह जिक्र कर दूं तो गलत नहीं होगा कि, ठीक से मुझे याद नहीं, पर सन् ५१ में जब कि पिछले चुनाव हुए थे उस मौके पर कई जगह जो गल्ले के भाव थे उनके मुकाबले में इस बार बहुत सी जगह भाव कम थे या उसके आसपास थे।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

बीच के अर्से में इस राजस्थान में जो किया वह किसी से छिपा नहीं, एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब गल्ले का भाव इतना कम हो गया था कि ज्वार, मक्का और यहाँ तक कि कुछ इलाकों में गेहूं सरकार खरीदे। इस बात की मांग चालू हो गई थी सरकार को सस्ता गल्ला जो बिक रहा था, जो भाव गिर रहे थे उनको स्थिर रखने के लिये, मतलब, किसान को उचित दाम मिलें इसके लिये अपनी दुकानें सरकार को खोलनी पड़ी थीं और वह कोई दूर का वाकया हो, ऐसा भी नहीं। करीब दो वर्ष पूर्व ही वह स्थिति राजस्थान में आई थी। इस साल जो मंहगाई है उसका विशेष कारण है खरीफ की फसल का ठीक नहीं होना, बारिश की कमी की वजह है और दूसरा कारण, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को भी पता है कि देश के अन्दर और विदेशों के अन्दर जो कुछ खास घटनाएं हो रही हैं उनका भी असर हमारे भावों पर पड़ रहा है। बाहर से गल्ला आने के अतिरिक्त भी एक और कारण है। भारत में विकास के कार्यों पर जो भारी खर्चा हो रहा है वह भी एक कारण है। ये सारे कारण मिलकर गल्ले के भावों पर असर डाल रहे हैं। पर ये भाव जो आज हैं, मेरी ऐसी निश्चित मान्यता है कि उन पर बहुत निकट भविष्य में ही काबू पा लिया जावेगा और धीरे धीरे फर्क पड़ भी रहा है। जो आज से सात-आठ रोज पहले फर्क पड़ गया था वह भी चुनावों के दौरान में जो गल्ले के आने जाने के लिये ट्रान्सपोर्ट ट्रक्स वगैरह से होता था वह बहुत से ट्रक्स वगैरह के इलेक्शन के काम में लगने की वजह से असर पड़ा होगा। तो वह एक बीच का दौर था। वह दौर करीब-करीब समाप्त होने आगया है और मैं समझता हूं कि नई फसल जो आने वाली है और बाहर से जो गल्ला मंगाया जा रहा है उसका भी, और ट्रान्सपोर्ट की

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

सहूलियत के भी बदस्तूर हो जाने से इन सबका असर राजस्थान में निश्चित रूप से होने वाला है और गल्ले के दामों में निश्चित रूप में फर्क आवेगा।

दूसरी बात जो कही गई उसको सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के बारे में माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो जिक्र किया है वह उचित नहीं है और इसके बारे में कई प्रकार की शंकाएं भी की गई। मैं चेयरमेन महोदय, निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को जानकारी के लिये कि पार्लियामेंट की एस्टीमेट कमेटी के सदस्यों ने देश के अलग अलग हिस्सों में इस कम्यूनिटी प्रोजेक्ट की प्रगति की सिंहावलोकन करने के लिये दौरा किया। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि भारतवर्ष में जिन तीन राज्यों में कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स का उन्होंने सर्वोत्तम काम बतलाया उसमें एक राजस्थान भी है। और उन्होंने अब ऑल इन्डिया की एस्टीमेट कमेटी, अगर किन्हीं तीन राज्यों में—जहां तक मुझे याद है, एक सौराष्ट्र है, एक राजस्थान है और एक मध्य भारत है, और अगर मैं नहीं भूलता हूँ तो एक कोई और है—दौरा करे और उस श्रेणी में राजस्थान आ जाता है तो यह मानना पड़ेगा कि राजस्थान में डेवेलपमेंट का काम हुआ है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए खास तौर पर वे आये और उन्होंने यह कहा था।

श्रमदान के कार्य हुए हैं उनके लिए एक माननीय सदस्य ने कहा कि मिठाई खिलाकर श्रमदान कराया गया, तो इससे मुझे ताज्जुब हुआ। अगर मामूली दाम देकर श्रमदान कराया जाय और मिठाई खिलाकर श्रमदान कराया जाय तो श्रमदान पर ज्यादा खर्च होगा। लेकिन श्रमदान के लिए गांवों में एक प्रकार का उत्साह पैदा हुआ और उसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान में एक करोड़ का श्रमदान हुआ और हमने स्वयम् ने प्लानिंग कमीशन को लिखा कि इसको इवेल्युएट करने के लिए एक्सपर्ट भेजे जांय, जो इसकी जांच करें और जांच के बाद हमारा जो अन्दाजा है उसमें अगर रद्दोबदल करने का सवाल हो तो उसके लिए हमें वह सुझाव दे सकता है। वे एक्सपर्ट यहां आये और उन्होंने कुछ हमको बताया, उन्होंने कहा कि हमारा जो अन्दाजा है वह ठीक है। लेकिन राजस्थान में एक करोड़ का श्रमदान मिठाइयां खिलाने से नहीं हुआ है बल्कि लोगों के उत्साह से हुआ है, यह मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को जानना चाहिए।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यहां जो जिक्र किया गया है कि जो कानून हमने बनाये पिछली बार उनके बनने के बाद बहुत सों पर अमल ठीक नहीं हुआ। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि जागीरों का कानून तो बनाया लेकिन उसमें दिक्कतें पैदा हुई और उनको हल करने में समय

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

समय पर हमने प्रयत्न किये, लेकिन कुछ माननीय सदस्य, हमें क्षमा करेंगे कि बजाय इसके कि इस प्रश्न को एक रचनात्मक तरीके से हल करते पिछले समय में इस सरकार को दो बड़े एजीटेशन्स का मुकाबला करना पड़ा। उसमें समय गया, शक्ति गई और वह माननीय सदस्यों से छुपा हुआ नहीं है। उन परिस्थितियों में और कई परिस्थितियों में जो समय समय पर होती रहीं, जो माननीय सदस्यों से छिपी नहीं हैं, जो कार्य किया इस सरकार के द्वारा जो कुछ बन पड़ा, जो कुछ हमने राजस्थान में किया वह अब आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि अगर आज की कमियां देखने जांय, अभाव देखने जांय तो वे राजस्थान में इतने हैं कि अगले पांच साल नहीं, शायद दस साल पन्द्रह साल या बीस साल भी लगेंगे जब जाकर पूरी होंगी। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान के विकास की भावी नींव मजबूत रूप से इस सरकार ने डाली है और अब राजस्थान की इमारत को खड़ा करने के लिए एक नींव उसको कहा जा सकता है जिसका फल आज नहीं दिखाई देता, लेकिन यह जरूर हुआ है कि विकास के पथ पर आज राजस्थान जाने लगा है। विकास की दृष्टि से, शासकीय दृष्टि से दूसरे वातावरण की आवश्यकता थी, वह उपयुक्त वातावरण आज राजस्थान में पैदा हुआ है और मेरा ऐसा निश्चित मानना है कि आने वाले पांच वर्षों में राजस्थान तेजी से विकास करेगा।

इस चुनाव में, अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस की जीत को नहीं मानना चाहिए। आम जनता ने विश्वास प्रगट किया है। मैं समझता हूं उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ेगा कि आम चुनाव ही जाहिर करते हैं कि जो कुछ काम इस सरकार ने किये, या जिस पार्टी की सरकार है उसने जो काम किये, उसकी आम प्रतिक्रिया जनता में होती है, उसकी अवाज दुनिया में होती है। मैं इतना यहां कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के खिलाफ कुछ लोग जीते हैं उसके पीछे सरकार का विरोध, कांग्रेस का विरोध इतना नहीं था जितनी उसके पीछे जातीयता की भावना थी, धार्मिक भावना थी, लेकिन कामकाज सरकार का टीक नहीं हुआ, अथवा विकास के कार्य टीक नहीं हुए, वे कारण उसके पीछे नहीं थे। धार्मिक भावना को राजस्थान में उभाड़ने की कम कोशिश नहीं की गई। कुछ जगह पैसा कारण हो सकता है, कुछ और कारण हो सकते हैं लेकिन राजस्थान में जहां २ मैं गया हूँ वहां वहां एक बात पायी गई और वह यह कि लोगों में विश्वास था। काम तो हुआ, पहले के मुकाबले हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कभी चाहे स्थानीय समस्यायें आ सकती हैं और जैसा मैंने कहा, और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन कामकाज के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा मैं उनके प्रतिकूल कहता हूं जो जीते हैं वह सरकार के कामकाज में अविश्वास की भावना से नहीं और जो सरकार ने काम ने किये हैं जिससे विश्वास का कारण हो सकता है कोई विरोधी भावना नहीं थी। पीछे कहा जाता है कि सरकार के अधिकारियों द्वारा दबाव डाला गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक दूसरे लोगों के बारे में शिकायतें आई हैं, मैं यह मानता

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हूं कि कर्मचारियों ने इस चुनाव में पूरी निष्पक्षता से काम किया। मैं अपना ही उदाहरण देना चाहता हूं। मैं जहां जहां गया, मैंने सरकारी अधिकारियों से, सिवाय इसके कि वे कर्टसी कॉल के लिए आते थे, शासकीय अधिकारियों से कम चर्चायें की थीं, कुछ कागज आये तो फैसला कर दिया होगा। लोगों ने स्वयं ने माना कि यह मौका नहीं है कि हम आपसे कुछ मांगे, हम अपना फर्ज अदा करना चाहते हैं, सरकार आगे जाकर करेगी। इतना अन्तर था और लोगों ने वही किया और आम तौर पर वे चीजें आयीं।

माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूं एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंत्री गये और उन्होंने जाकर काफी दबाव डाला, लेकिन कोई कहीं भी गया हो, मंत्री को यह हक है, मैंने तो कहीं यह नहीं सुना कि चुनाव से पहले मंत्री इस्तीफा देदें, कोई नहीं रहता जब चुनाव लड़े जाते हैं, ऐसा कभी नहीं देखा है। यह भी कोई बात हुई, मन्त्री गये होंगे, लोगों को समझाया होगा, व्यक्तिगत तौर पर समझाया होगा, लेकिन अमुक को अमुक देकर, दबाव देकर, धमकी देकर वोट देने की बात कही हो, मैं समझता हूं, यह गलत बात होगी। आम तौर पर चुनावों में यह बात देखी गई है कि अगर धमकी दी जाय तो उसका उल्टा असर हुआ करता है और कोई गड़बड़ी करे तो उसका और उल्टा असर होगा। तो यह कहना कि डरा धमका कर वोट मिल गये हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को तो मिले नहीं होंगे तो दूसरों को मिले होंगे। कहीं दबाव डालने की परिस्थिति नहीं होगी। राजस्थान में शांति से चुनाव हुए, सिवाय एक दो इन्सीडेन्स हुए हैं। कैसे हुए? मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। वे जानने वाले जानते हैं कि कहां पर हुए किसकी तरफ से हुए। मैं उन सब चीजों में जाऊं, यह ठीक नहीं है।

चुनाव परिणाम राजस्थान में घोषित हुए और कुछ घोषित होने बाकी हैं। कुछ भाइयों ने यह कहा कि कुछ मिनिस्टर्स जिनको टिकिट्स नहीं मिले हैं वे भी आज यहां मिनिस्टर हैं, गद्दी पर बैठे हुए हैं और उनके बारे में कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष ने जो वक्तव्य दिया था उसको पढ़कर सुनाया गया। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस सम्बन्ध में जहां तक उन सदस्यों का सवाल है, मिनिस्टर्स का, उन्होंने मुझे तुरन्त इस बात के लिए कहा था कि वे इस्तिफा देना चाहते हैं और उनके ऊपर कोई चार्ज है इस सम्बन्ध में, मैंने जो सम्बन्धित अधिकारी कांग्रेस के ऊंचे से ऊंचे स्थान पर है, उन लोगों से बात की थी तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि किसी वजह से या कारण से उनको टिकिट नहीं मिला है और यह भी बातचीत की हुई थी कि मिनिस्टर्स को हटाने की बात करने से काम काज में रुकावट पैदा होगी, क्योंकि कम समय का सवाल है, वे काम करते रहें। और यह समझना कि कोई चार्जेज कायम हो चुके थे, गम्भीर आरोप थे, यह वास्तव में स्थिति पैदा हुई हो तो मैं समझता हूँ कि उस पर हम विस्तार से जायें तो सारे हालात मालूम हो सकते हैं। मैं संक्षेप में यही कह सकता हूं कि उनके ऊपर इस प्रकार के कोई एस्टेब्लिशड फैक्ट्स नहीं थे, जिन एस्टेब्लिशड

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

फैक्ट्स पर टिकिट नहीं देने का फैसला किया गया हो । इस हालत में उनका कान्टीन्यू करना वाजिब था । उन्होंने काम किया और जो चुनाव में हारे हैं वह भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कम समय का प्रश्न है जिसके बाद में नई सरकार बन जायेगी ।

सरकार के लिए जनतन्त्र की बहुत सी बातें कही गईं और साथ में यह कहा कि एक माननीय सदस्य ने जो कि कोटा से आये हैं कि उनके क्षेत्र में इसलिए काम नहीं किया गया है क्योंकि वहां से कांग्रेस के विरोधी चुनकर आये थे । मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जो डेवेलपमेंट ब्लॉक्स, एक्सटेन्शन ब्लॉक्स या दूसरे बड़े बड़े काम हुए हैं उन कामों पर निगाहें डालेंगे तो आपको आसानी से कई उदाहरण मिल जायेंगे जिसके अन्दर विरोधी दल को तरफ से चुनकर आये थे वहां पर भी काम चालू हुए हैं, उनको देखकर के उनके बारे में आप यहां पर कहें और एक सब इन्सपेक्टर के बारे में जिक्र किया तो मैं समझता हूँ कि जो शिकायत उनकी तरफ से आई उसके संबंध में पुलिस के आई.जी.पी. कार्यवाही कर रहे हैं । वह उनकी निगाह में है और आगे भी उसके बारे में उचित कार्यवाही की जायगी । यह आप विश्वास रखकर चलें ।

चुनाव के लिए एक भाई ने कहा कि कई ऐसे जरिये बर्ते गये जिसका असर इन्डाइरेक्टली चुनाव के लिए कांग्रेस के पक्ष में पड़ते थे । मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि १००) रु० से कम आमदनी वाले कर्मचारियों के ५) रु० बढ़ाने का जिक्र कल के अभिभाषण में किया गया । वास्तव में वह निर्णय अगर हम चाहते तो आज से महीने भर पहले निश्चित तौर से ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास भारत सरकार की तरफ से जो कुछ सब्सिडि मिलने वाली है उसकी सारी लिखा पढ़ी, सारी चीजें आ चुकी थीं, लेकिन केवल एक कारण से निर्णय नहीं लिया कि यह कहा जा सकता था कि चुनाव पर असर डालने के लिए हमने यह घोषणा कर दी है । ५) रु० कर्मचारियों के बढ़ा दिये हैं । उसकी हमने चर्चा तक नहीं आने दी । पूरा संयम रखा इस मामले में, और जब उपयुक्त अवसर आया तो उसका जिक्र किया । चुनाव की दृष्टि से हमने कोई इस प्रकार की बात नहीं की । हमने काम किया ५ वर्षों के अन्दर और कांग्रेस अपने काम से लोगों के पास जा सकती है । हमें इन चीजों के कहने की आवश्यकता नहीं थी । मैंने एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने रखा, क्योंकि यदि पहले करते तो निश्चित बात है कि राजस्थान में बहुत बड़ा वातावरण बना सकते थे; मामूली से मामूली सिपाही और चपरासी के ५ रुपये बढ़ाये गये हैं, एक शिक्षक के ५) रु० बढ़ाये गये हैं, एक मामूली लोअर डिवीज़न क्लार्क के ५) बढ़ाये गये हैं, वह सारे के सारे वातावरण पर असर डालने के लिए किया गया है, लेकिन हम जागरूक रहें । जागरूक रहें इसलिए यद्यपि कोई दूसरी रुकावट नहीं थी, कि लोग यह कहेंगे कि चुनावों के कारण इन लोगों पर असर डालने का प्रयत्न किया गया है । जितना सतर्क रहा जा सकता था उतना सतर्क रहने का हमने प्रयत्न किया । उस प्रयत्न को करते हुए चूंकि कुछ दिक्कतें खड़ी हुई हैं उन दिक्कतों का सामना करते हुए राजस्थान को

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

यह अवसर दिया कि चुनाव शान्ति के साथ संपन्न हुए।

जल-बोर्ड की गाड़ियां चुनाव के अन्दर काम में लाई गई। जहां तक मेरी जानकारी है, आगे भी जानकारी और करूंगा, जलबोर्ड के जो व्यवस्थापक थे उनके साथ निश्चित तौर से बात हुई थी कि जलबोर्ड और सोश्यल वेलफेयर के सेन्टर्स चलते हैं उनकी किसी की जीप इस मौके पर चुनावों के काम में नहीं आनी चाहिए। और मैं कई इलाकों के बारे में जानता हूं कि जलबोर्ड की जीप काम में नहीं आई है। मेरी जहां तक जानकारी है जलबोर्ड की जीपें बेच दी गई हैं। मुझे यह कहा गया था। जहां तक सीकर का सवाल है वहां पर जलबोर्ड की जीपें बेच दी गई हैं, उन्हें यदि माननीय सदस्य ने देखा हो और यह समझा हो कि जलबोर्ड की जीपें काम कर रही हैं तो वे अब इस तथ्य को जान लें। क्या तथ्य है इसकी पूरी जानकारी मैं आगे अर्ज करूंगा, क्योंकि माननीय सदस्य ने यहां पर जिक्र किया है। लेकिन जो जल बोर्ड में काम करते हैं तो उनको सरकार की तरफ से एक पैसा भी नहीं दिया जाता है। वे अलग तौर से काम करते हैं, वे चन्दा एकत्रित करते हैं। उनके कर्मचारियों ने अगर काम किया हो तो वे सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं, वे गैर सरकारी हैं। इसी तरह से खादी का काम चलता है, ग्रामोद्योग का काम चलता है। कई शिक्षण संस्थाएं हैं जिनको सरकारी ऐड मिलती है वे काम करते हैं तो उस श्रेणी के अन्दर वे कार्यकर्ता आते हैं। वे सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में निश्चित तौर से नहीं आ सकते हैं। और कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र हुआ है जिनके विस्तार के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि जो पिछले ५ वर्षों में और जो बातें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही गई हैं वे बातें संक्षेप में कही गई हैं, क्योंकि दरअसल में यह अधिवेशन तो वोट ओन एकाउन्ट के लिए ही बुलाया गया है। पूरा अधिवेशन तो बहुत जल्दी जो नई विधान सभा होगी उसका होगा। उसमें पूरे विस्तार के साथ ऐसा करना उचित बात है। इस मौके पर माननीय राज्यपाल महोदय उतना ही लम्बा भाषण दें जितना कि आम तौर पर दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह आशा रख सकते हैं कि इस मौके के लिए उसकी आवश्यकता नहीं थी। और जो खास खास बातें थीं वे आपके सामने आई हैं। जो बातें कही गई हैं वे उचित बातें सामने आई हैं। मैं निवेदन करूं कि दरअसल में बहुत काम करना पड़ा है और उस काम को आगे लाना होगा तभी राजस्थान आगे बढ़ेगा। अभिभाषण में नहीं कहा गया है कि सब कुछ होगया है, सब कुछ काम हो चुका है। दरअसल में बहुत सा काम पड़ा हुआ है। एक अंशमात्र काम अभी हुआ है। बाकी आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयत्न करने होंगे उसका जिक्र बाद में होगा जब कि सारे काम पूरे होंगे। लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत काम हुए हैं, जो कुछ हमारे पास साधन थे और जिन साधनों के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न किया गया है उसमें, मैं समझता हूं, निश्चित तौर से मानना होगा कि राजस्थान आगे बढ़ा है। राजस्थान ने तरक्की की है और वे चीजें कई बातों से साबित हुई हैं। उसमें चुनाव भी साबित करने का एक जरिया है जिसके द्वारा भी वह चीज साबित हुई है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

तो, अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने यहां दिया है, मैं समझता हूं, हम एकमत से उस अभिभाषण के लिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उस धन्यवाद के प्रस्ताव को पास करेंगे।

(करतल-ध्वनि)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो राज्यपाल महोदय को धन्यवाद का प्रस्ताव श्री नाथूरामजी मिर्धा ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(करतल-ध्वनि)

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल···(श्री मोहनलाल सुखाड़िया से) ८ बजे या साढ़े आठ बजे ? क्योंकि ८ बजे तक लोग आते नहीं।···· (विराम) आठ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

कुछ माननीय सदस्य बजट के पेपर्स तो ले गये हैं और जिन्होंने नहीं लिये हैं वे नोटिस आफिस से लेते जायं।

(सदन की कार्यवाही मध्यान्ह १२.२० बजे, बुधवार दिनांक २० मार्च, १९५७ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—१९ मार्च, १९५७.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

(कृपया प्रश्न संख्या १ का उत्तर देखिये)

तहसील सवाई जयपुर के हाई स्कूल

१.	राजकीय हाई स्कूल, मोती कटला।	सरकारी
२.	दरबार हाई स्कूल, जयपुर	सरकारी
३.	महाराजा बहुउद्देशीय हाई स्कूल, जयपुर	सरकारी
४.	मिशन हाई स्कूल, जयपुर	सहायता प्राप्त
५.	दिगम्बर जैन हाई स्कूल, जयपुर	,, ,,
६.	मुस्लिम हाई स्कूल, जयपुर	,, ,,
७.	महेश्वरी हाई स्कूल, जयपुर	,, ,,
८.	खन्डेलवाल हाई स्कूल, जयपुर	,, ,,
९.	भवानी निकेतन हाई स्कूल, जयपुर वेस्ट	,, ,,
१०.	महारानी हाई स्कूल, जयपुर	सरकारी
११.	महाराजा मल्टी पर्पज़ गर्ल्स हायर सैकिन्डरी स्कूल, जयपुर।	,, ,,
१२.	जैन श्वेताम्बर हाई स्कूल, जयपुर	सहायता प्राप्त

तहसील सवाई जयपुर के मिड्लि स्कूल।

१.	बेसिक मोड़ल मिड्लि स्कूल, जयपुर।	सरकार
२.	महाराजा बेसिक मिड्लि स्कूल, जयपुर।	,,
३.	दरबार मिडिल स्कूल, जयपुर।	,,
४.	मोदीखाना मिडिल स्कूल, जयपुर।	,,
५.	रामगंज मिडिल स्कूल, जयपुर।	,,
६.	घाटगेट मिडिल स्कूल, जयपुर।	सरकारी
७.	गान्धीनगर मिड्लि स्कूल, जयपुर।	,,
८.	रेजिडेन्सी मिडिल स्कूल, जयपुर।	,,
९.	पुरानी बस्ती मिड्लि स्कूल, जयपुर।	,,
१०.	मिड्लि स्कूल, सिरसी।	,,
११.	मोडल गर्ल्स मिड्लि स्कूल, जयपुर।	,,
१२.	घाटगेट गर्ल्स मिड्लि स्कूल, जयपुर।	,,
१३.	तेलीपाड़ा गर्ल्स मिड्लि स्कूल जयपुर।	,,

१४.	गंगापोल गर्ल्स मिडिल स्कूल, जयपुर।	,,
१५.	त्रिपोलिया गर्ल्स मिड़िल स्कूल, जयपुर।	,,
१६.	चांदपोल गर्ल्स मिड़िल स्कूल, जयपुर।	,,
१७.	गोड़विप्र विद्यालय, जयपुर।	सहायता प्राप्त
१८.	यूनियन मिडिल स्कूल, जयपुर।	,, ,,
१९.	हिन्दू मिडिल स्कूल, जयपुर।	,, ,,
२०.	कायस्थ पाठशाला, जयपुर।	,, ,,
२१.	दधिमति पाठशाला, जयपुर।	,, ,,
२२.	उस्मानिया मिड़िल स्कूल, जयपुर।	,, ,,
२३.	अग्रवाल मिड़िल, स्कूल, जयपुर।	,, ,,
२४.	जैन दिगम्बर तेरापंथी मिड़िल स्कूल, जयपुर।	,, ,,
२५.	आदर्श विद्यालय, जयपुर।	,, ,,
२६.	सिन्धी पंचायत मिड़िल स्कूल, जयपुर।	,, ,,
२७.	जय-हिन्द मिड़िल स्कूल, जयपुर।	,, ,,

तहसील आमेर के हाई स्कूल्स।

१.	राजकीय हाई स्कूल चौमूं।	सरकारी
२.	बहुउद्देशीय हाई स्कूल, कालाडेरा,	सहायता प्राप्त।

तहसील आमेर के मिड़िल स्कूल।

१.	राजकीय हिन्दी मिडिल स्कूल, आमेर।	सरकारी
२.	,, ,, ,, गोविन्दगढ़	,,
३.	,, ,, ,, चौमूं।	,,
४.	,, ,, ,, सामोद।	,,
५.	,, ,, ,, जाहोता।	,,
६.	,, ,, ,, खेजरोली।	,,
७.	,, ,, ,, इटावाभोपजी।	,,
८.	,, ,, ,, हरमाड़ा।	,,
९.	,, ,, ,, निवाणा।	,,
१०.	,, ,, ,, हस्तेडा।	,,
११.	,, ,, ,, खोराश्यामदास।	,,